राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठा सत्र, १९६४ का प्रथम दिवस [संख्या १

शुक्रवार, दिनांक १४ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक प्रातः ८. ०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(चिकित्सा, खनिज, स्वायत्त शासन, सिंचाई, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, नियुक्ति, राजस्व, गृह-विभाग)।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरबड़।

जल वितरण योजना मकराना

२३२. **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मकराना नगर में गर्मी के मौसम में कुओं में पानी सूख जाने से जनता को बड़ी परेशानी हो जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस नगर का जल-कष्ट-निवारण करने हेतु स्थानीय नगरपालिका ने जल वितरण योजना बनाकर सरकार के पास भेजी है। यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, गर्मी की मौसम में कुओं के पानी की सतह में अवश्य कमी आ जाती है जिसके कारण जनता को असुविधा होना संभव है।

(२) स्थानीय नगरपालिका ने नहीं बल्कि जलदाय विभाग द्वारा योजना बनाई गई है। इस योजना पर लगभग ९,१५,४०० रु. खर्च होंगे। यह योजना भारत सरकार के पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट को राय के लिए

Page No. 2

(श्रीमति प्रभा मिश्रा)

भेजी गई है। उनका उत्तर प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : यह योजना क्या है, किस जगह की है थोड़ा स्पष्ट विवरण करें ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : ६ लाख २५ हजार के करीब की यह योजना नल से पानी पहुंचाने के लिये मकराना शहर के लिये बनाई है।

श्री जेठमल बरबड़ : क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जब नागौर में मंत्री-मंडल की बैठक हुई थी उस समय तय हुआ था कि मेड़ता और मकराना में जल-वितरण योजना बनाई जाय ?

श्री बरकतुल्ला खां : स्कीम हाथ में ली हुई है।

श्री जेठमल बरबड़ : काम कब तक शुरू किया जायगा ?

श्री बरकतुल्ला खां : टेक्नीकल स्कीम बनाने के बाद गवर्नमेंट आॅफ इंडिया को एप्रूवल के लिये भेजा जाता है। जब वे एप्रूव कर देते हैं उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट काम शुरू करती है।

श्री जेठमल बरबड़ : क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि यह कब भेजी गई गवर्नमेंट आॅफ इंडिया के पास ?

श्री बरकतुल्ला खां : सन् ६४ में भेजी गई।

श्री जेठमल बरबड़ : यह योजना राजस्थान सरकार ने कब तैयार की ?

श्री बरकतुल्ला खां : दिसम्बर सन् ६१ में तैयार की गई।

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्दसहाय।

खान का ठेका, करौली

२३३. **वैद्य श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तिवाड़ी झूमरमल स्वरूपनारायण को करौली, (कल्याणी) की खान का ठेका ८० हजार रु. सालाना के हिसाब से दिया गया था ? यदि हां, तो उसकी अवधि कब समाप्त होगी ?

(२) क्या यह सही है कि इस खान का ठेका नीलामी द्वारा दिया जाये तो इससे ४ लाख की आमदनी हो सकती है ? यदि हां, तो इसे नीलामी द्वारा नहीं दिये जाने के कारण राज्य सरकार को पिछले ठेके में कितनी हानि हुई ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) करौली (कल्याणी) की खान के ठेके का नवीनीकरण ५ वर्ष के लिये ८० हजार वार्षिक मत लगाने पर दिनांक १. ४. ५६ से किया गया या जिसकी अवधि ३१. ३. ६४ को समाप्त हो चुकी है।

(२) चूंकि अप्रधान खनिज रियायत नियम १६५५ के अनुसार चालू ठेके का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक था। अतः

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नीलाम किए जाने का तथा हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसहाय : क्या मार्च में अवधि समाप्त होने पर वापिस उन्हीं को दिया गया या नीलाम किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, ३१.३.६४ तक अवधि समाप्त हो चुकी है लेकिन इस बीच पार्टी ने हाई कोर्ट में रिट पेश करके स्टे ऑर्डर ले लिया उस स्टे ऑर्डर के अन्तर्गत हम उनको डिसटर्ब नहीं कर सकते जब तक कि रिट का फैसला हाई कोर्ट से नहीं हो जाय।

श्री गोविन्दसहाय : जब ५ साल के लिये सरकार ने उनको दिया तो फिर हाई कोर्ट में रिट पेश कैसे की गई ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द।

श्री गोविन्दसहाय : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई प्राइवेट लोगों की दर्ख्वास्तें हैं फिर भी हाई कोर्ट का बहाना लेकर नीलाम नहीं करते जिससे सरकार को भी काफी नुकसान होता है। राज्य सरकार ने ऐसा डिफेक्टिव कानून क्यों बनाया जिसके कारण एक एक मसले को लेकर ठेकेदार हाई कोर्ट में चले जाते हैं और लाखों रुपयों का सरकार को नुकसान होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने ३१-३-६४ के बाद इसका नवीनीकरण नहीं किया क्योंकि हम उसको नीलामी से बेचना चाहते थे। इस बीच में वह हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया इसलिये उस समय तक हम इनको नीलाम नहीं कर सकते जब तक कि स्टे ऑर्डर वेकेट न हो जाय।

श्री गोविन्द सहाय : क्या उस खान पर पजेशन पार्टी का है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्टे का निर्णय है इसलिये पजेशन पार्टी का है हाई कोर्ट के हुक्म से।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द।

ग्राम पंचायत लालसोट का नगरपालिका में परिवर्तन

२३४. **श्री मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि सरकार ने १४ नवम्बर, १९६० को लालसोट ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित करने का प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित किया था ?

(२) क्या यह भी सच है कि जनता लालसोट और विभिन्न राजनैतिक दलों ने भी अपनी सम्मति नगरपालिका घोषित करने के पक्ष में दी थी ?

(३) क्या यह सच है कि जिलाधीश, जयपुर ने अपनी सम्मति नगरपालिका घोषित

(श्री मूलचन्द चौधरी)

करने के लिये देकर पत्रावली सरकार के पास भेज दी ? यदि हां, तो अब तक इसको नगर-पालिका क्यों नहीं घोषित किया गया है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी.हां।

(३) जी हां।

पुनः विचार पर राज्य सरकार ने यह उचित समझा कि वहां पर नगरपालिका न होकर पंचायत ही कायम रहे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : जब वहां की जनता ने पंचायत के बजाय म्युनिसिपैलिटी कायम करने की मांग की है और कलेक्टर ने इसके लिये रिकमन्डेशन करदी है तो ऐसा कौनसा कारण था जिसकी वजह से वहां पर म्युनिसिपैलिटी का निर्माण नहीं हुआ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (**श्री बरकतुल्ला खां**) : यह तय किया है कि जब तक पंचायत के इलेक्शन न हो जांय उस वक्त तक किसी पंचायत को म्युनिसिपैलिटी में कनवर्ट नहीं किया जाय। इसलिये यह माना है कि वहां पर पंचायत के इलेक्शन हो जांय, नई पंचायत आ जाय उसकी क्या राय है। वे इसको म्युनिसिपैलिटी में कनवर्ट करना चाहते हैं या नहीं उसके बाद जो उनकी राय होगी उसके अनुनार किया जायगा। यदि म्युनिसिपैलिटी में कनवर्ट करने की राय होगी तो कर देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह राज्य सरकार की यूनिफार्म पालिसी है ?

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि नगर........

श्रीदुर्गालाल बाढ़दार : क्या इस सम्बन्ध में राजपत्र में आज्ञा निकाल दी गई उसके बाद में फैसला रोका गया ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राजपत्र में १९६० में निकाला ? १९६१ में पंचायत बन गई। उसके बाद में १९६१ में फैसला हो जाना चाहिए था लेकिन यह दूसरे चुनाव तक क्यों रोका गया ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह क्वेश्चन गवर्नमेंट के सामने साल भर पहले आया था। जब सामने आया उस वक्त जनरल पॉलिसी तय की थी कि किसी भी पंचायत को म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक कि गवर्नमेंट अन्तिम रूप से फैसला न ले ले।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जब यह स्टेट की यूनिफार्म पॉलिसी हैं तो जहां पंचायत है और उसने निर्णय ले लिया है, फिर भी आप कहते हैं कि अभी नहीं, दुबारा चुनाव हो जायेंगे तब फैसला करेंगे। यह एक के लिए है या सबके लिए किया गया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह सबके लिए है, किसी एक पंचायत के लिये नहीं किया गया है।

Page No. 5

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : नई पंचायत की प्रतीक्षा क्यों की जाती है ? इसका क्या कारण है ? पुरानी के रिजोल्यूशन के आधार पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

काश्तकारों के काम में आने वाली वस्तुओं पर रायल्टी तथा उसकी वसूली

२३५. **श्री मोहनराज** (बाली)– क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी रेली-बजरी, मिट्टी व पत्थर आदि जो कि ग्रामवासी अपने निजी काम में लेते हैं उसकी रायल्टी वसूल करने का ठेका नीलाम किया गया है ?

(२) क्या राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि माइनर मिनरल कंसेशन के अन्तर्गत काश्तकारों को रायल्टी में छूट दी गई है उसका पूरा फायदा अभी तक उक्त वर्ग को नहीं मिल रहा है क्योंकि ठेकेदार अभी तक वसूली कर रहा है और अदालतों में दावे करके जरिये कुर्की वसूल कर रहा है ?

(३) क्या सरकार इन रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुओं पर से वसूल होने वाली रायल्टी की छूट सभी वर्गों को देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री राम प्रसाद लड्ढा) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस जवाब में तरमीम करके अर्ज करना चाहता हूं ।

(१) जी हां ।

(२) ठेकेदार अदालत में दावे करके जरिये कुर्की वसूल कर रहा है इस प्रकार की शिकायतें सरकार के सामने नहीं आई हैं ।

(३) जी हां ।

श्री मोहनराज : आपने फर्माया कि इस वर्ष रॉयल्टी का ठेका दिया गया है । जब आपने छूट दी है, रेली–बजरी, मिट्टी व पत्थर वगैरह पर रॉयल्टी वसूल नहीं होगी तब ठेकेदार को ठेका दिये जाने की क्या वजह है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न सदन के सामने कई बार आया हैं । जो छूट दी गई है वह किसानों को, एग्रीकल्चरल वर्कस को और आर्टिजन्स को दी है कि रेली–बजरी, मिट्टी व पत्थर फ्री ला सकते हैं । इसके बावजूद यह दिक्कत सामने आई कि जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है । इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि रायल्टी कलेक्शन कान्ट्रेक्ट में यह करेंगे कि रेली बजरी, मिट्टी व पत्थर पर रायल्टी वसूल नहीं करेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि आयन्दा रॉयल्टी कलेक्शन कान्ट्रेक्ट में होने की वजह से हर एक को भी बिना रोक टोक लाने की सुविधा हो जायगी और इससे हर आदमी को लाभ पहुंचेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं या नहीं ?

जहां तक ठेकेदार का सवाल है इसकी तामील नहीं होती है । सरकार की मन्शा होगी लेकिन दिक्कत पेश आती है ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : तामील कम होती है इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए केबिनेट ने फैसला किया है। फैसला लागू होने के बाद यह दुविधा दूर हो जायगी।

श्री दलपतसिंह (आबू रोड) : क्या सरकार ने इसकी कलेक्टर्स को इत्तला कर दी है ?

श्री मोहन राज : रॉयल्टी के बारे में जो केस चल रहे हैं उनके बारे में क्या होगा ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : इस प्रकार का निर्णय होने के बाद निर्णय का पालन होगा। पुराने रिवाज के अनुसार किसी किसान ने, जिन प्रावधानों को इस आदेश में किया गया है, उनकी पूर्ति के लिए इमारती पत्थर, रेत-बजरी लेकर आया है और उसने रॉयल्टी नहीं दी है और उस पर केस चल रहे हैं या जिन पर रॉयल्टी कलेक्शन कान्ट्रेक्ट के अनुसार केस चल रहे हैं उनके लिए अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। मैं यह रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि कोर्ट का डिसीज़न क्या होगा क्या नहीं होगा।

श्री दलपतसिंह : मैंने निवेदन किया कि यह फैसला हो जाय तो उसकी कलेक्टर्स को हिदायत दे दें। राजस्थान में इसकी तामील होनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि एक जगह पत्थर एक बार कूए के लिए लिये तो तीन हजार रुपये का फाइन हो गया। इसलिए सब कलेक्टर्स को इसकी जानकारी होना नेचुरल चीज हो जाती है।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : I will certainly look into such cases.

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैं बसेड़ी की दो चार घटनाओं की तरफ इशारा करूंगा, ठेकेदार जबर्दस्ती किसानों को परेशान करता है कि वे गाड़ियां भर कर ले आये। बाद में पुलिस को ले आते हैं और कहते हैं यह डकैती का मामला हुआ। जब किसानों को राज्य सरकार ने सुविधा दी है, उसके बाद ठेकेदार पुलिस की मदद लेकर परेशान करता है। इसलिए कलेक्टर, एस. डी. ओ. वगैरह के नोटिस में यह लाया जाय और उनके नोटिस में इस प्रकार की घटनायें लाई जायं ताकि वे उनको सुविधा दिलायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २ मई १९६३ को हमने अमेंडमेंट इन रूल ४, जो मिनरल कन्सेशन रूल्स में एक्जेम्पशन्स दिये हुये हैं, तरमीम कर दी थी और उसके अनुसार उनको यह फायदा मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद शिकायतें आई कि तरमीम हो जाने के बाद भी सुविधायें ठेकेदार से प्राप्त नहीं हो रही थीं। इसलिए रॉयल्टी कलेक्शन कान्ट्रेक्ट के अन्दर तरमीम कर दी है और आयन्दा दिक्कत नहीं रहेगी। कजवा जो ईंट के भट्टे में काम में ली जाती है, आवां—उसके लिए छूट दे दी तो आयन्दा दिक्कत नहीं रहने वाली है।

श्री दलपतसिंह : जब काश्तकारों को ईंट पकाने के लिए, कूए के लिए ईंट की जरूरत हो तो उसके लिए मेटिरियल लेने के लिए तहसीलदार से पर्मीशन लेनी पड़ेगी—यह सही है ?

Page No. 7

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया, इस तरह के दस बारह पाइन्ट हैं जिन पर सरकार ने डिसीजन ले लिया है। उससे यह समस्यायें समाधान हो जायंगी।

श्री शंकरलाल : जिनसे ठेकेदारों ने वसूल कर लिया है, उनको सरकार वापिस दिलायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिफन्ड करने का प्रश्न मेरे सामने नहीं आया। जब ये सुविधायें दी गईं थीं तो उसको नहीं देना चाहिए था। लेकिन ज्यादती की गई है तो उसी समय एप्रोच करना चाहिए था और इस तरह के उपयोग में लाने की सुविधा गवर्नमेंट ने की है वह बतानी चाहिए थी।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): जो सुविधायें दी हैं इनको सरक्यूलेट करवा दें तो ठीक रहेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह फैसला किया है। गवर्नमेंट के अमेंडेड रूल्स प्रसारित किये जायेंगे और सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना दे दी जायगी। और पंचायत समितियों और सारे लोगों को जानकारी मिल सके—इसके लिए प्रयत्न किये जायेंगे। हिन्दी में बना कर उनको भेज देंगे।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : फॉरेट्स से कृषक पत्थर ले जाते हैं उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है उसके लिए क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फॉरेस्ट की सीमा में से पत्थर लाने के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट होगा और उसमें से लोग लेते होंगे—इसके लिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसके निकल जाने के बाद लोगों को मालूम हो जायगा कि बिल्डिंग के लिए चूना-पत्थर कहां से, किस जगह से खोद कर लायें। फॉरेस्ट एरिया से लायें काजिंग डेमेज टू दी गवर्नमेंट-उसके लिए क्या नियम है—उसकी जानकारी नहीं है। एक जगह से लाने की सुविधा हो जायगी तो दूसरी जगह से लाने में परेशानी पैदा हो सकती है तो वह रास्ता क्यों अपनाया जाना चाहिए ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सांचोर जिले में, बाड़मेर में ईंट के लिए पत्थर बजरी लाने के सम्बन्ध में हजारों केसेज चल रहे हैं उनके विषय में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि जब शिकायतें आईं कि उन लोगों से रॉयल्टी ले ली है जिनसे वसूल नहीं की जानी चाहिए तो यह निर्णय ले लिया गया और इस निर्णय को जल्दी प्रसारित कर दिया जायेगा।

श्री मोहनराज : आपने अभी फर्माया कि निर्णय लिया गया है और आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस निर्णय लेने के बाद भी क्लेक्टर ने जिन को ठेके दे दिये हैं क्या उनको केन्सिल किया जावेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : निर्णय लेने के बाद कोई ठेके नहीं हुए। पहले ठेके जरूर हुए थे। तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्ट हैं उनकी मयाद साल भर की है वे तो ठेके कन्टीन्यू रहेंगे। वे जारी रहते हुए भी रॉयल्टी एरिया है उसमें वे अधिकार प्राप्त कर सकें

Page No. 8

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उसकी उचित व्यवस्था की जावेगी। इसके लिये नियम में संशोधन कर दिये गये है।

श्री मुकुट विहारीलाल गोयल : एक मोरली ग्राम है वहां पर पंचायत ने जबर्दस्ती हथोड़ा सिस्टम लागू कर दिया है और ५ रुपये ले लेंगे। वे रुपये किसी जगह जमा नहीं होते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायतों को किसी प्रकार का कोई अधिकार लेने का नहीं है।

श्री मुकुट विहारीलाल गोयल : यह जबर्दस्ती है। आप इसके सम्बन्ध में कोई सरक्यूलर निकाल दें।

श्री अध्यक्ष : Next !

प्रश्न संख्या २३६

श्री मनफूलसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३७

श्री सतीशचन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३८

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

Next। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

हसनपुरा कच्ची बस्ती, जयपुर

२३६. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर म्युनिसिपल वार्ड नं० ३४ में हसनपुरा की कच्ची बस्ती को बसाने की योजना १९६१ में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा बनाई गई थी, तथा मंजूरी के लिये सरकार के पास भेज दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस बस्ती के दक्षिण में स्थित बॉल बेयरिंग फैक्ट्री (एन. ई. आई.) के मालिकों ने इस बस्ती की भूमि की मांग एक फाउण्डरी लगाने के लिये की है ?

(३) क्या यह सही है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड द्वारा भेजी गई स्कीम की स्वीकृति उपरोक्त उद्योगपतियों की मांग के कारण रोक दी गई ?

(४) क्या यह सही है कि हसनपुरा बस्ती का एक हिस्सा फैक्ट्री को दे दिया गया तथा बाकी के प्लाट्स देने की योजना चल रही है।

(५) क्या यह सही है कि इससे सैकड़ों मजदूरों के मकान नष्ट हो जायेंगे ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है

Page No. 9

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिये इसको दो चार रोज के लिये स्थगित किया जाए।

श्रीयोगेन्द्रनाथ हांड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर का ही प्रश्न है। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने अपनी रिकमन्डेशन दी है और आपके सामने रख दी गई है। यह घनश्याम दास जी, बिड़ला से सम्बन्ध रखती है।

श्री अध्यक्ष : चाहे यह हांड़ा से सम्बन्ध रखती हो!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसका जवाब कब तक आ जावेगा?

श्री परसराम मदेरणा : दो चार दिन में।

श्री अध्यक्ष : Next.

प्रश्न संख्या २४०

श्री मानिक चन्द सुराणा!

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत!

सचिवालय के खस के टाटे

२४१. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत** (भीम) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि वर्ष ६३–६४ में आपतकालीन स्थिति को देखते हुए सेक्रेटेरियट के हजारों के मूल्य के खस के टाटों को सस्ती दर पर राजकीय खर्चे में कमी करने के लिये बेचा गया था?

(२) क्या यह भी सही है कि वर्ष ६४-६५ में फिर से हजारों रुपये के मूल्य के नये खस के टाटे बना कर लगाये गये?

(३) क्या ऐसा करने से राजकीय खर्चे में बचत हुई है?

(४) क्या जिन टाटों को बेचा गया था वे आगामी वर्ष के लिये नहीं रखे जा सकते थे?

मुख्य मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

(१) जी नहीं। वर्ष १९६३-६४ में आपत्कालीन स्थिति को देखते हुए सचिवालय में खस के टाटे न लगाने का निश्चय किया गया था। तथा इसी कारण पुराने टाटों को, जो पिछले ५ वर्षों में समय समय पर बनाये गये थे, नीलाम किया गया था।

(२) जी हां। वर्ष १९६४-६५ में सचिवालय में खस के टाटे लगाये गये है। इनकी बनवाई पर रु० २५, २४३.७४ पै० खर्च आया है।

(३) १९६३-६४ में टाटों के अभाव से उत्पन्न असुविधाओं के कारण १९६४-६५ में टाटे लगाना आवश्यक हुआ। बचत का प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी नहीं। वे पुराने हो गए थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये टाटे कितने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में नीलाम हुए, उसकी धन राशि आप बता दें ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : ४४५) रुपयों में ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत : पिछली बार यह कहा गया कि ६० हजार के टाटों को ८००) या ६००) रुपयों में बेचा गया । इसलिये यह जो किया था वह आपत कालीन स्थिति को देखते हुए उन टाटों को नहीं लगाये जाने के लिये बेच दिये गये । इस लिये मैंने पूछा कि टाटे खराब तो नहीं होते थे । हजारों रुपयों की लागत उन पर लगी ।

श्री मोहन लाल सुखाडिया : पांच वर्षों तक टाटों को काम में लाने के बाद हालत काफी खराब हो जाती है । इसलिये ४४५) रुपये आये नहीं तो और भी ज्यादा पैसे आते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये टाटे जो ४५५) रुपयों में बेचे गये वे ओरिजनली कितने रुपयों में खरीदे गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह मुझे पता नहीं लेकिन यह कह सकता हूं कि इस वर्ष जितने रुपयों में खरीदा गया उससे पहले कम रुपये लगे होंगे ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : आपने उनको ४५५) रुपये में बेचे । क्या उनको और समय तक एक साल के लिये नहीं रोका जा सकता था ? ये खस के टाटे क्या किसी भी कीमत पर काम में नहीं आ सकते थे जिसके लिये आपने इतना बड़ा खर्चा किया ?

श्री अध्यक्ष : Next.

एक माननीय सदस्य : मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रियों की आंखों के नीचे घोटाले हों और मंत्री उसकी जांच नहीं कराते ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप हर वक्त घोटाले ही घोटाले की बात कहते हैं ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : खस तो बहुत कीमती चीज है ।

अध्यक्ष : Next.
श्रीमती नगेन्द्र बाला !

गंदा पानी रोकने के लिए व्यवस्था

२४२. **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में महाराजा कालेज व महाराजा कालेज होस्टल के सामनेरामबाग रोड पर गंदा पानी भरा रहता है ?

(२) यह पानी कहां से आता है और अब तक इसे इस सड़क पर आने से रोकने की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

उप-मंत्री,स्वायत शासन : (श्री दौलतराम सारण) :-(१) जी हां ।

(२) यह पानी महाराजा कालेज, जयपुर के अहाते में स्थित सेवेज पंपिंग स्टेशन से

(श्री दौलतराम सारण)

आता है। इस पानी को रोकने हेतु नई सीवेज लाइन शीघ्र डाली जा रही है जिसके लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा २,१३,०००) रुपये की स्वीकृत हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री जुझारसिंह !

राणा प्रताप सागर के विस्थापितों के लिए भूमि का रिजर्वेशन

२४३. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Revenue Minister please reply :—

(1) In how many villages of Ram Ganj Mandi Tehsil, areas and blocks have been reserved for the settlement of displaced persons from Rana Pratap Sagar ? Kindly give the names of such villages.

(2) Is it a fact that the allotment of land in villages out side the Rana Pratap Sagar Blocks have also been closed and that notices of ejectment & fines are being served on cultivators in possession of small bits of land (less than 5 bighas) adjoining their fields leading to great unrest in the area ?

(3) How many notices of ejectment have been served and fines imposed or realised in villages of Tehsil Ram Ganj Mandi by the Government so far ?

(4) Will the Government consider to open those villages for allotment which are not involved in the settlement of displaced persons from Rana Pratap Sagar ?

(5) In how many villages had the local people taken possession of un-occupied lands reserved for displaced persons from Rana Pratap Sagar and how many local families have been ejected from their illegal holding in these areas including the tribal families. ?

(6) How have these ejected people been settled by the Government ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील रामगंज मंडी में निम्न ग्रामों के क्षेत्र विस्थापितों के लिये रिजर्व हैं : काल्याकुई ५०० बीघा, जामुलिया ४५६ बीघा, खरली बावड़ी २१३ बीघा, विदा पहाड़ ३२६ बीघा, मटवाया ६४७ बीघा, ईश्वर पुरा ६०१ बीघा, कुकड़ा कलां ११०३ बीघा, काल्या खेड़ी ६१४ बीघा, गुलाबपुरा २०६ बीघा, अलोद ५५४ बीघा, मोतीपुरा खुर्द २५० बीघा।

(२) जी हां, चेचट सर्किल तहसील के कुल ग्रामों के क्षेत्र अथवा खेडों का आंवटन बन्द है। राजस्थान लैन्ड रेवेन्यु ऐक्ट की धारा ६१ के तहत जिन काश्तकारों ने सरकारी भूमि, चारागाह, रास्ते पर नाजायज कब्जा कर रखा था उनको तहसील से बेदखल किया गया है, अलबत्ता जिनका कब्जा ३१. १२. ६१ से पूर्व के अपने खेत के पास किसी भू-खण्ड पर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कब्जा था उन्हें रेग्यूलराइज किजा जा रहा है।

(३) अब तक १२६७ अतिक्रमी बेदखल किये गये और १३४३६) रुपया की पेनल्टी कायम हुई है।

(४) यह प्रश्न अभी सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(५) ग्राम मोतीपुरा में जो बंजारे ४, ५ साल से आबाद थे और जिन्होंने वहां अपने कच्चे मकान बना कर एक कूआ भी बना लिया था उन्हें बेदखल न कर, सरकार से १५-१५ बीघा जमीन फी परिवार अलॉटमेंट रूल्स के अन्तर्गत आंवटन करने की आज्ञा दे दी गई है। बाकी ऐसे लोग जो आरक्षित गांवों में बसे नहीं, न मकान बनाये हैं बल्कि फसल लेकर भाग जाते हैं और जो इसी प्रकार एक दो साल से कर रहे हैं उनको बेदखल करने व पैनल्टी वसूल करने का तहसील ने आदेश दिया है। ऐसे १२५ व्यक्तियों को बेदखल किया गया है।

(६) जो स्थानीय व्यक्ति आरक्षित गांवों में से बेदखल हुए थे और उनका कब्जा पुराना पाया गया उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में रखने व उतनी ही जमीन अलॉट करने का आदेश जारी किया जा चुका है।

श्री जुझारसिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लैन्ड का एलॉटमेंट दूसरी तहसीलों में चालू है तो रामगंज मंडी में डिसप्लेस्ड पर्सन्स नहीं बसाये जा रहे हैं? १०-१५ का प्रश्न नहीं है जहां पर उनको नहीं बसाये जावेंगे वहां पर एलॉटमेंट बन्द किया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय राणा प्रताप सागर के नीचे आने वाले कई गांव हैं और जिन जिन की जमीन इसमें आई हैं उन सब को बसाने का प्रश्न है। इसके लिये उनके लिये कुछ स्थानों पर भूमि रिजर्व की गई है। इन्हीं कारणों को लेकर मैं समझता हूं कि यह प्रश्न पूछा गया है। इतनी जमीन तो सब को वहां पर नहीं मिल पाती। इसलिये उनको दूसरी जगह पर जमीन देने के लिये जमीन की आवश्यकता हो सकती है। इस डूब में इतने गांव आने वाले हैं इसकी डिटेल्स तैयार करा रहे हैं इसलिये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दो तहसीलों का अलॉटमेंट बन्द कर रखा है। हमारे सामने डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की डिटेल्स आ जावेगी तो हम धीरे धीरे उनको एलॉटमेंट के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।

श्री जुझारसिंह : क्या सरकार इन सारे विस्थापितों को रामगंज मण्डी में बसाना चाहती है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन सारों को यहां बसायें तो इन दो तहसीलों में जो सारी जमीन अवेलेबल है वह भी इन को बसाने के लिये पर्याप्त नहीं होगी। इसलिये झालावाड़-डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट और कोटा डिस्ट्रिक्ट में बसा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने जिन जिन जिलों तहसीलों के लिये प्राथमिकता दी है....as a matter of safety and human approach to the displaced persons ये सारे कदम उठाये जा रहे हैं।

Page No. 13

श्री जुझारसिंह : पार्ट टू में मैंने प्रश्न किया है कि जिन काश्तकारों का अपनी भूमि से लगे छोटे छोटे दो बीघा, तीन बीघा से कम भूमि-खण्डों पर कब्जा है उनको रेगुलेराइज अभी तक नहीं किया है उनको बेदखली और जुर्माने की सूचना दे दी गई है, क्या उनको रेगुलेराइज किया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जवाब में यह निवेदन किया है कि और फिर कर रहा हूँ कि ऐसे आदेश दिये जा चुके हैं कि ३१.१२.६१ से पूर्व के अपने खेत के पास किसी भूखण्ड पर कब्जा था उन्हें रेगुलेराइज. किया जा रहा है। बाकी का रेगुलेराइजेशन नहीं हो सकता।

श्री जुझारसिंह : जो पीसेज ऑफ लैंड दूसरों को अलॉट नहीं किये जा सकते जो पड़ौस के काश्तकारों के खेतों से लगे हुए हैं, जिनका रकबा, दस बिस्वा, पौन बीघा, एक बीघा, डेढ़ बीघा है, और उन पर उन काश्तकारों का कब्जा है तो उन पीसेज ऑफ लैंड पर उन काश्तकारों का कब्जा रेगुलेराइज क्यों नहीं कर दिया जाता ? दूसरा तो इन छोटे २ पीसेज आकर काश्त नहीं कर नहीं सकता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न रेगुलेराइजेशन के सर्कूलर से पैदा नहीं होता। छोटे छोटे पेचेज के सम्बन्ध में क्या नीति हो, इसके बारे में क्या कार्यवाही की जाय, इस तरह का प्रश्न अभी सरकार के सामने आया है। सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री जुझारसिंह : एक इम्पोर्टेन्ट सप्लीमेंटरी है ! क्या ऐसे-डिस्प्लेस्ड बंजारों के लिये जिनके सम्बन्ध में यह साबित हो जाय कि ये ५, ६ साल से एक गांव में आबाद थे, जमीन पर कब्जा था, कुए भी लगाये थे, तो यह साबित होने पर कि लोकल ऑफिसर्स की गलती की वजह से या और वजह से उनको वहां से हटा कर औरों को कब्जा दे दिया तो क्या उन्हें फिर उनकी उस जमीन पर कब्जा दिलाने का डिसिजन लेने के लिये सरकार तैयार है ?

प्रश्न संख्या २४४।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह !

चरनोट सैटलमेंट कार्य-तहसील पिड़ावा

२४५. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि तहसील पिड़ावा में चरनोट अलॉट करने में सैटलमेंट का कार्य पूरा न होने के कारण अड़चन आ रही है ?

(२) क्या यह सही है कि जो जमीन सैटलमेंट ने चरनोट में दर्ज की है उसे तहसील पिड़ावा ने कुछ गांवों में काश्त के लिये अलॉट कर दी है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

Page No. 14

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) जी नहीं । सैटलमेंट से चरनोट की लिस्ट तहसील में प्राप्त होने के बाद सन् ५४ में भूमि का अलॉटमेंट हुआ उसमें कोई चरनोट की भूमि अलॉट नहीं की गई ।

श्री गोविन्दसिंह : मैंने पहले भी इस मामले में प्रश्न किया था । चार सौ, पांच सौ किसानों को अलॉट कर दी, पट्टे इसलिये नहीं मिले कि सैटलमेंट में चरनोट में आई है या नहीं, चारनोट की रिपोर्ट को किसी गांव में नहीं माना है । चरनोट की जमीन को एड्वाइजरी कमेटी ने काश्त के लिये अलॉट कर दी है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक गांव दाता है उसके सम्बन्ध में ऐसी शिकायत आई है, उस सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी झाला-वाड़ को लिख भी दिया जा चुका है । छान-बीन के बाद उचित आदेश दिये जायेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह : और भी चार पांच गांव ऐसे है वहां ऐसा हुआ है, उनके बारे में भी छान बीन की जाय ।

प्रश्न संख्या २४६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २४७

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय !

तालाब की नहरों के सीपेज से जमीन को नुकसान—तहसील गंगरार

२४८. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़ गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गंगरार तहसील जिला चित्तौड़ में त्रेस्टा उर्फ सोनीयाणा के तालाब की मोरी इतनी ऊंचाई पर रखी गई है कि तालाब के पानी की पूरी उपयोगिता नहीं हो सकती एवं उसका पेटा काश्त भी नहीं हो सकता ?

(२) क्या यह सही है कि इसके पूर्व दक्षिण में अगर एक नहर और निकाली जाय तो काफी मात्रा में सिंचाई हो सकती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब का पानी नहरों के सीपेज से काफी नष्ट होता है और इस कारण काश्तकार की जमीन भी खराब हो जाती है ?

(४) क्या यह सही है कि इसके नाले को ५-७ जगहों पर छोटे छोटे बन्धों से बान्ध दिया जाय तो उस पानी की भी पूरी उपयोगिता हो सकती है ?

उपमंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं । मोरी का लेवल कमांड के सामान्य लेवल के आधार पर फिक्स किया गया है ।

(२) जी नहीं । सिंचाई की मात्रा तालाब

(श्री दिनेशराय डांगी)

में पानी की तादाद पर ही आधारित है न कि नहरों की संख्या पर।

(३) जी नहीं। कहीं कहीं साधारण सीपेज है जहां लाइनिंग करवाया जा रहा है।

(४) जी नहीं। ऐसा करने से इस तालाब के भरने में रुकावट हो जावेगी।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : क्या यह सही है कि पूर्व दक्षिण में नहर निकालने के लिये सर्वे किया गया था और वहां के काश्तकारों को आश्वासन दिया गया था कि नहर निकाली जायगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : क्या जानकारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री दिनेशराय डांगी : जानकारी करने का प्रश्न इस समय इसलिये उपस्थित नहीं होता कि तालाब में पानी इतना ही है जितनी कि अभी सप्लाई कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी जानकारी में हो वही बता दीजिये।

श्री दिनेशराय डांगी : जो मेरी जानकारी में है वही बताया है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : उसमें पानी तो बहुत है।

श्री दिनेशराय डांगी : दिखने में ऐसा दिखता है कि बहुत पानी होगा पर ज्यादा गहराई नहीं होने से, मिट्टी बह कर आने से गहराई कम होने से पानी उतना नहीं आता है, पानी जितना चाहिये उतना रखना पड़ता है। नहरें लम्बी करने से सिंचाई नहीं हो सकती सिंचाई तो पानी अधिक आने से होती है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : तालाब की डेप्थ और नहरों के लेवल में कितना फर्क है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, सीपेज को नहीं मानते हैं तो !

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न बहुत पेचीदा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

सार्वजनिक कार्यों हेतु दी गई जमीन-जयपुर

२४६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में बीमा कर्मचारी अस्पताल बनाने के लिये अजमेर रोड पर १०० एकड़ जमीन दिये जाने का निश्चय हुआ है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

१०) रु. प्रति गज कीमत याने दो लाख में बेचने का निश्चय किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि केबिनेट का निर्णय है कि शहर में जन हितकारी इन्स्टीट्यूट बनाने के लिये जमीन निशुल्क दी जायेगी ?

(४) क्या यह सही है कि एक-दो बच्चों की स्कूलों के लिये तथा चैम्बर ऑफ कामर्स के लिये जमीन लगभग निशुल्क दी गई है ?

(५) क्या यह सही है कि चैम्बर ऑफ कामर्स की शहर के बीचों बीच अत्यधिक मूल्यवान जमीन है और अस्पताल के लिये जमीन शहर से दूर और बहुत कम रेट की है ?

(६) क्या यह सही है गंगानगर में बीमा कर्मचारी डिस्पेन्सरी बनाने के लिये जमीन निशुल्क दी गई थी ?

(७) यदि हां, तो जयपुर में अस्पताल बनाने के लिये कीमत पर देने का निश्चय क्यों किया गया ?

(८) क्या यह भी सही है कि सेक्रेटेरियेट के पास कोने पर अफसरों को १॥।) तथा २) में जमीन दी गई ? यदि हां, तो शहर से दूर इस अस्पताल के लिये जमीन का इतना ऊंचा भाव किस हिसाब से रखा गया है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरना) : (१) जी नहीं, केवल ६ एकड़ भूमि अलॉट की गई है ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं, स्कूल तथा सार्वजनिक संस्थाओं को निश्चित दर की आधी कीमत पर देने का नियम है ।

(४) जी हां ।

(५) जी हां, अस्पताल की जमीन भी मूल्यवान् है अन्तर सिर्फ दूरी का है ।

(६) जी नहीं ।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(८) जी हां । जमीन १९५९ में अलॉट की गई थी तथा उस समय योजना का योजना का खर्च लगा कर रेट निर्धारित की गई थी । अस्पताल की जमीन मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर सन् १९६३ में दी गई तथा उस समय जो रेट निर्धारित की गई वही ली गई ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : आपने किन्हीं एक दो संस्थाओं के लिए मुफ्त दी है । फिर गरीबों के अस्पताल के लिए १० रूपया एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं, यह कहां तक उचित है ?

श्री परसराम मदेरना : अस्पताल गरीब नहीं चलाते हैं, ऑटोनोमस कारपोरेशन है, सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया देती है । दूसरी जो जमीन दी है वह पब्लिक यूटिलिटी के परपज् के लिए दी है ।

एक माननीय सदस्य : चैम्बर आफ कॉमर्स को कौन चलाते हैं, गरीब या अमीर ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अगर यह रकम इन लोगों से नहीं लेंगे तो यह रकम इनके लिए दूसरे इम्प्लीमेंट्स के लिये काम में आयेगी। चैम्बर आफ कामर्स के लिए इन दी हार्ट आफ दी सिटी आपने जमीन एक तरह से मुफ्त में दी है और यह अस्पताल के लिए जमीन जो अजमेर रोड़ पर शहर से ५ मील की दूरी पर है, १० रुपए के भाव से दी है यह कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष : भारत सरकार ने उस रेट को स्वीकार कर लिया है क्या ? कॉरपोरेशन को यह जमीन दी है तो कॉरपोरेशन ने यह रेट स्वीकार कर ली है क्या ?

श्री परसराम मदेरना : जी हां।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वा. शा. मंत्री): जहां तक राज० गवर्नमेंट का सवाल है चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन्स को और एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को हाफ रेट के ऊपर जमीन देती है। जहां तक चैम्बर आफ कामर्स की बिल्डिंग का सवाल है पिछले सेशन में अच्छी तरह डिस्कस हो चुका है। राजस्थान सरकार ने अधिकार रखा है कि राजस्थान सरकार को जब हाल की जरूरत होगी, उस हाल का इस्तेमाल करेगी। जहां तक मजदूरों के अस्पताल का सवाल रखा गया में यह अर्ज कर दूं कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया की तरफ से एक ऑटोनोमस कॉरपोरेशन है जिसके पास काफी फंड्स हैं, वह इसे बना रहा है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया की तरफ से ऐसी कोई मांग राजस्थान सरकार के पास नहीं आई कि मजदूरों के लिए जमीन दी जाय।

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्द सहाय।

कालीसिल बंध की वेस्ट वेअर टूटने से किसानों को नुकसान

२५०. **वैद्य श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बंध कालीसिल की वेस्ट वेअर किस साल में टूटी थी ?

(२) वेस्ट वेअर टूटने से कितने किसानों की कितनी जमीन बेकार हो गई है ?

(३) संबंधित किसानों को आज तक मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) सन् १९५६ में।

(२) ११ किसानों की करीब ४२ बीघा जमीन खराब हुई है।

(३) रेवेन्यू विभाग से मुआवजे के एवार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : कब तक अवार्ड प्राप्त हो जायेंगे ?

श्री दिनेशराय डांगी : ४. १०. ६० को सब कागजात बना कर भेजे हैं, चार-पांच बार उनको लिख भी चुके हैं पर अभी तक अवार्ड प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए मुआवजे रुके हुए हैं।

Page No. 18

श्री दलपतसिंह (ग्राबूरोड) : जो डैम ग्रादि के नीचे जमीन ग्राती हैं, रोड्स ग्रादि के नीचे ग्राती है उनके मुग्रावजे नहीं दिये जाते ग्रौर बीघोड़ी वसूल की जाती रहती है। माननीय ग्रध्यक्ष, ग्रापके द्वारा कई दफा मंत्रियों को ग्रादेश दिये गये है कि जल्दी से जल्दी काश्तकारों को मुग्रावजा मिल जाना चाहिये पर किसी को फाइनली मुग्रावजा नहीं मिला है, पटवारी बीघोड़ी वसूल कर रहे हैं। यह बड़ा सीरियस मामला है। इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए। ग्रगर लॉ में किसी तरह की खामी है जिसकी वजह से ये मुग्रावजे नहीं चुकाए जाते हैं तो वी ग्रार लॉ मेकर्स यहां पर ग्रमेंडमेंट ला कर उस लॉ की कमी को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। ग्रध्यक्ष महोदय हम तो कई सालों से कहते ग्राए हैं कि काश्तकारों को जल्दी से जल्दी मुग्रावजा दिया जाना चाहिए लेकिन ग्रभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान बहुत बुरी तरह से बरबाद हो रहे हैं। ग्राप मौके पर विजिट कर लें तो पता लग जायगा। ऐसी हालत में जल्दी से जल्दी उनको मुग्रावजा देने का कुछ न कुछ प्रबंध करना चाहिए।

श्री गोविंद सहाय : मंत्री महोदय ने जो ग्रांकड़ा दिया है बिल्कुल गलत है। ग्रभी भी लगान लिया जा रहा है।

श्री ग्रब्दुल जब्बार : (निम्बाहेड़ा) मंत्री महोदय बता दें कि उनकी लगान से कितना पैसा ग्रा रहा है, कितने साल से वे लगान दे रहे हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री, राजस्व): लगान की हमारे पास कोई शिकायत नहीं ग्राई है।

श्री ग्रब्दुल जब्बार : वसूली क्यों हो रही है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ग्राप स्पेसिफिक बताएं कि कहां वसूली हो रही है।

श्री दलपतसिंह : ग्रभी भी हो रही है।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय: १९५६ से वेस्ट वेग्रर टूटा है ग्रौर ग्राज तक उनसे लगान वसूल की जा रही है ग्रौर मंत्री महोदय सदन में रिपोर्ट दे रहे हैं कि सिर्फ ४२ बीघा जमीन खराब हो रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ग्रापके पास जो फिगर्स ग्राए हैं, वे गलत हैं ग्रौर वेस्ट वेग्रर इस साल बन-कर तैयार हो रहा है, किसान रो रहा है, एप्रोच कर रहा है लेकिन ग्रभी तक लगान वसूल हो रही है।

श्री दलपतसिंह : कम से कम लॉ को ग्रमेंड करिए इसी सेशन के ग्रंदर ग्रौर ग्राप के द्वारा यह व्यवस्था होनी चाहिए कम से कम जिन काश्तकारों की जमीन इस वेग्रर के टूटने की वजह से सड़कों के नीचे ग्रा गई है उसके लिए ग्रोन दी फ्लोर ग्राफ दी हाउस डिक्लेयर कीजिए कि ६ महीने के ग्रंदर जितने भी ऐसे केसज होंगे उनको मुग्रावजा दे दिया जायगा ग्रौर जिनकी जमीन नीचे ग्राई होगी उनको रीहेबिलिटेट करने का पूरा प्रबन्ध किया जायगा।

श्री दिनेशराय डांगी : ऐसी शिकायत आई तो नहीं कि लगान वसूल हो रही है पर इसकी मैं जांच करवा दूंगा कि कहीं पर लगान वसूल की जा रही है। जहां तक मुआवजे का सवाल है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो कुछ कागजात तैयार करके हम भेजते हैं, इसके बाद लैंड एक्वीजीशन आफीसर से देरी होती है, इस कारण से इसके अंदर....

वैद्य श्री गोविन्द सहाय: मंत्री महोदय का कहना गलत है कि....

श्री अध्यक्ष : श्री चतर्भुज उपाध्याय।

चित्तौड़गढ़ अस्पताल की व्यवस्था

२५१. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ का बड़ा अस्पताल वहां की डिस्पेन्सरी के बजट से ही चल रहा है? यह अस्पताल कब खोला गया और अब तक इसका वार्षिक बजट क्यों नहीं बना?

(२) क्या यह सही है कि बजट की उचित व्यवस्था के अभाव में वहां के स्टाफ और दवाइयों की व्यवस्था अपर्याप्त रहती है?

(३) वर्तमान व्यवस्था में कब तक सुधार होने की संभावना है?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :

(१) जी नहीं। इस अस्पताल का वार्षिक बजट जो प्लान बजट से स्वीकृत किया गया है वह निम्न प्रकार है :

सन् १९६२–६३ में	४४,५०० रुपए
सन् १९६३–६४ में	४२,५०० रुपए
सन् १९६४–६५ में	४८,८०० रुपए

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : जो डिस्पेन्सरी चल रही है वह अपने ही बजट से चलाई जा रही है?

चिकित्सा मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : चित्तौड़गढ़ जिले की जनता ने मांग की कि अस्पताल के साथ साथ ही शहर के अंदर डिस्पेन्सरी रहनी चाहिए। याने दोनों डिस्पेन्सरी और अस्पताल चलाए जायं। पहले यह तय हुआ था कि सिर्फ अस्पताल चलाई जायगी लेकिन जनता ने मांग की कि नया अस्पताल भी रहे और जहां पुराना अस्पताल था वहां डिसपेन्सरी कायम की जाय।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : बजट डिस्ट्रिक्ट डिस्पेन्सरी के नाम से है या सिटी डिस्पेन्सरी के नाम से है?

श्री बरकतुल्लाखां : बजट हॉस्पीटल के नाम से है और उस बजट में से पार्ट ऑफ फंड डाइवर्ट करके डिस्पेन्सरी को चला रहे हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : जनता की मांग

(श्री अब्दुलजब्बार)

की अवहेलना हो रही है। आप डिस्पेंसरी के बजट को बढ़ाइए, डाक्टर बढाइए।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

वाटर वर्क्स के कर्मचारियों को ग्रेचुटी।

२५२. **श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :** क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वाटर वर्क्स के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जा रही है या नहीं ? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्धमें वाटर वर्क्स कर्मचारी बहुत अर्से से मांग कर रहे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा-ग्रेच्युटी दिया जाना स्वीकार किये जाने के बायजूद वित्त विभाग द्वारा लगाई गई अड़चनों के कारण ग्रेचुटी दिये जाने का निर्णय नहीं हो रहा है ?

उपमन्त्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) वाटर वर्क्स के कर्मचारी राजस्थान सर्विस रूल्स से शासित होते हैं। उनको राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पेन्शेन तथा ग्रेच्युटी दी जाती है। वाटर वर्क्स जोधपुर के कर्मचारियों को जिनका कि प्रॉवीडेण्ट फंड कटता है उनको ग्रेच्युटी देने का नियम नहीं है।

(२) वाटरवर्क्स कर्मचारियों की मांग सर्विस बेनिफिट्स की है। यह सरकार के विचाराधीन है। एक मांग वाटर वर्क्स के कर्मचारियों को प्रोवीडेण्ट फंड शुरू होने की तारीख से पहले की सर्विस ग्रेच्युटी देने की है वह अभी विचाराधीन है और जैसा भी निर्णय पी. डब्लू. डी. के कर्मचारियों के नियम में होगा वह इनको भी लागू होगा।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस वक्त प्रोविडेन्ट फंड नहीं था उस वक्त के लिए ग्रेच्युटी देने की जो मांग है वह कितने समय से आपके सामने विचाराधीन है ?

श्री बरकतुल्लाखां : वर्कचार्ज्ड रूल्स बने हुए है पी० डब्लू० डी० में भी और वाटर वर्क्स में भी हैं। दोनों विभागों के कर्मचारियों का नेचर आफ वर्क एक है, डेजिगनेशन एक है। अब पी० डब्लू० डी० वाटरवर्क्स और यूनियनों के बीच डिस्कशन्स हो रहे हैं और उसके बाद जैसा पी० डब्लू० डी० में होगा वैसा वाटर वर्क्स में भी लागू करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके पास यह सवाल वर्षों से विचाराधीन है और आखिर इस मांग का फैसला आने वाले कितने माह में हो जायगा ? पी० डब्लू०डी० अगर एक साल तक निर्णय न करे तो आप उससे वाटर वर्क्स के कर्मचारियों को क्यों लिंक करते हैं। आखिर कोई समय की सीमा होती है। जहां तक मजदूरों की मांगों का प्रश्न है उसमें समय की सीमा रहनी चाहिए।

श्री बरकतुल्लाखां : समय का तो ऐसा है कि जहां तक वर्कचार्ज्ड का ताल्लुक है एक मैजोरिटी पी० डब्लू० डी० के अन्दर एम्प्लाइड है और स्माल नम्बर वाटरवर्क्स के अन्दर है। स्टेट में दो किस्म के रूल्स नहीं हो सकते। यह सवाल इंटरलिंक्ड है। दोनों डिपार्टमेंट्स का जाइंट फैसला होगा। जहां तक वाटरवर्क्स का ताल्लुक है, मैं यह एश्योर कर सकता हूं जल्दी से जल्दी डिसाइड करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

चम्बल प्रोजेक्ट के गांवों को सिंचाई की सुविधाएं

२५३. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

(1) Has the Government deleted the names of some villages from the Chambal Project area and added fresh villages to the Project ?

(2) If so, what are the reasons for the deletion or the inclusion of names ?

(3) How many new villages on the right side of the Right Canal in Tehsil Sangod have been included in the Chambal Project area as a result of these changes ?

(4) Is it a fact that the Irrigation Department will not be able to supply water to all the area included in the first phase of the project (On the right side of the right canal in Tehsil Sangod) on account of the fact that the field level is higher than the canal level at present ?

(5) How does the Government propose to supply water to villages which have been recently included in the project in Tehsil Sangod and are at a highr level than the canal ?

(6) How much time will it take for the Government to provide irrigation facilities to the newly included villages if they are to be supplied water through lift from the canal ?

(7) Does the Government intend to delete the names of such villages from rhe project which are not likely tc receive the benefits of irrigation factlities for some years on account of the 'difference in ground level or other reasons ?

उपमंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) :

(१) जी हां।

(२) कुछ गांवों के नाम सिंचाई क्षेत्र से निकालने तथा जोड़ने के निम्न कारण हैं :

निर्माण के समय नहर के संरक्षण में कुछ हेर फेर हुई थी। फलस्वरूप कुछ गांव उस क्षेत्र से बाहर निकल गए तथा कुछ अतिरिक्त शामिल हो गए हैं।

(श्री दौलतराम सारण)

(३) सांगोद तहसील के सात गांव दाईं नहर के दाईं ओर कमांड में शामिल किए हैं।

(४) जी हां।

(५) इन गांवों को लिफ्ट द्वारा पानी दिया जा सकेगा।

(६) अनुमानतः १६६६--७० में।

(७) फिलाहाल ऐसी कोई तजवीज विचाराधीन नहीं है।

श्री जुझारसिंह : मन्त्री महोदय ने फरमाया कि यह जो गांव कमांड में लिए जा रहे हैं उनको लिफ्ट इर्रीगेशन में १६६६--७० में पानी दिया जा सकेगा इसका मतलब पांच वर्ष तक पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कमांड में क्यों लिया जा रहा है? इससे किसानों को बड़ी दुविधाएं आएंगी, वे परेशान होंगे।

श्री दौलतराम सारण : कोई भी प्रोजेक्ट प्लान बनता है वह एक दिन में नहीं बनता है। उसके लिए समय लगता है और प्रोजेक्ट प्लान बनने से काफी समय पहले प्रोजेक्ट एरिया डिक्लेयर करना होता है। अगर ऐसा न किया जाय तो जो सरकारी जमीन वहां होती है वह जनरल अलॉटमेंट रूल्स के अन्तर्गत अलॉट हो सकती है और आगे कुछ काम्प्ली-केशन्स आ सकती हैं। सिंचित भूमि की कीमत बढ़ जाती है और उसकी कीमत प्रोजेक्ट की कीमत से एडजस्ट करनी होती है। सरकार की आमदनी पर असर पड़ता है और विकास का सारे इलाके पर असर पड़ता है। इस वजह से प्रोजेक्ट एरिया डिक्लेयर करने की जरूरत होती है।

श्री जुझारसिंह : इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यदि प्रोजेक्ट एरिया में चरनोट की भूमि का अलॉटमेंट शुरू हो जायगा तो मवेशियों को बड़ी परेशानी होगी। दूसरी बात यह है कि इस असेम्बली में करीब दो तीन साल से और फर्स्ट असेम्बली में भी यह सवाल पूछता रहा हूं कि सांगोद तहसील में सॉइल इरोज़न की जबर्दस्त समस्या है और उसकी मारजिनल एरिया चरनोट में अलॉट की जा रही है। जब कॉलोनाइजेशन में चली जायगी तो यह समस्या और भी एक्यूट हो जायगी। सॉइल इरोज़न और ज्यादा बढ़ेगा, जितनी जमीन अभी अलॉट नहीं हो पाई है, उसे भी अलॉट....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कॉलोनाइ-जेशन के साथ सम्बन्ध रखता है, जहां तक चरनोट का प्रश्न है, चम्बल प्रोजेक्ट के तहत जितनी एरिया है उसके अन्दर चरनोट के सम्बन्ध में यह सक्यूंलर प्रसारित किया गया है कि जब तक किसी जमीन में तीन साल तक उसका पानी न आए तब तक वहां पर चरनोट को बदलकर जमीन को बेचने का सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए यदि आप खुद मानते हैं और जैसा कि बताया गया है कि १६६६-७० तक उसमें पानी नहीं आएगा इसलिए १६६६-७० से पहले चरागाह समाप्त होने का प्रश्न पैदा नहीं होता और सॉइल इरोज़न वाले प्रश्न को हल करने के अन्दर यह मदद देगा। इस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तरह से अभी कमान्डेड एरिया होने की वजह से हम जमीन को अलॉट नहीं कर रहे हैं। तो सम्भव है कि आर्डिनरी लैंड अलॉटमेंट के जो रूल्स हैं उनके अन्तर्गत अलॉट हो जाय लेकिन अभी तक क्योंकि कमान्डेड एरिया में लिफ्ट इर्रीगेशन की व्यवस्था तत्काल नहीं हो रही है इसलिए कॉलोनाइजेशन रूल्स के अन्दर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अगर खेतों का सर्फेस लेवल इन गावों की नहरों से ऊंचा है तो फिर कैसे करेंगे ? कमांडेड एरिया उसको कहते हैं जिसमें वर्किंग हैड है और फील्ड का लेवल कैनाल से लोअर है।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : लिफ्ट इर्रीगेशन से सिंचाई होगी या कैनाल से सिंचाई होगी, यह प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है। श्री गोविन्द सहाय।

बंध मोरेल से ऊष का पैदा होना– सवाई माधोपुर।

२५४. **वैद्य श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सवाई माधोपुर जिले में बंध मोरेल की सिंचाई से जो जमीन में ऊष हो रहा है उससे कितनी जमीन खराब हो चुकी है ? तथा उसकी रोक के लिए सरकार क्या कर रही है ?

उपमंत्री, सिंचाई (श्री दिनेश राय डांगी) :

लगभग ४०० एकड़। उसकी रोक के लिए हरी घास का उपयोग, गन्ने की खेती पर रोक, खेतों में पानी की कम मात्रा का उपभोग तथा उसी के उपयुक्त फसलों का बोना आदि प्रयोग किए जा रहे हैं।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : वहां पर कोई इस तरह के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि सिर्फ ४०० एकड़ जमीन खराब हुई है। अभी भी उसमें कोई राज्य की ओर से आदेश नहीं हुए हैं। एक दाना भी घास का पैदा नहीं होता है, उस बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जितने एकड़ जमीन की सूचना मुझे कार्यालय से मिली है वह मैंने आपके सामने पेश कर दी है।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : आपके पास गलत सूचना है आप सही जानकारी करियेगा। आप आगे के लिये क्या कदम उठा रहे हैं जब कि वहा दिन प्रतिदिन हालत खराब हो रही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : कुछ जमीन ऐसी है जो नदी के किनारे हैं वहां खेती नहीं होती है।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : नदी के किनारे तो बहुत अच्छी खेती होती है। वहां

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

दो साल पहले जितना अच्छा गेहूँ पैदा हुआ उतना अच्छा गेहूँ और दूसरी जमीन पर नहीं होता है। दो साल से जमीन खराब हो रही है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : जो जमीन आयी है जिन गांवों की आयी है आप चाहें तो उन गांवों के नाम बता दूं।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : गांवों के नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य दुवारा जो बात कही गई उसको मंत्री महोदय फिर से देखें। यह समस्या केवल इन्हीं के यहां हो यह बात नहीं है। एक तरफ तो हम सिंचाई के साधन उपलब्ध करा रहे हैं और दूसरी तरफ जमीन इस तरह से खराब होती जा रही है। यह एक बान्ध का सवाल ही नहीं कई बान्ध हमने बनाये हैं उनमें भी इसी प्रकार की सॉइल इरोजन की, वाटरलॉगिंग की समस्या है इसको किस प्रकार ठीक किया जाय इस बारे में सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए····

श्री दिनेशराय डांगी : यहां वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपकी इस जानकारी के लिये धन्यवाद। लेकिन जो कॉन्सीक्वेन्सेज निकलते है इस प्रकार के बान्धों से वह समस्या राजस्थान में कई जगह पर है उसको ठीक तरह से हल करने के बारे में सोचना चाहिए। एक तरफ तो इर्रीगेशन बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं उससे फायदा होने के बजाय जमीन खराब हो कलटीवेशन के योग्य न हो इसलिए मै सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समस्या पर वे गंभीरता से विचार करें। आज हम बान्ध बनाते हैं, नहरें निकालते हैं उसके परिणाम जो हमारे सामने आ रहे हैं उससे यह मालूम होता है कि वहां वाटर लॉगिंग ,सॉइल इरोजन आदि की समस्या गंभीर रूप धारण किये हुए है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ड्रेनेज,वाटर लॉगिंग, सॉइल इरोजन आदि समस्याओं पर कम्प्रीहेन्सिव व्यू लेकर प्लानिंग करें। कृषि विभाग को जब कहा जाता है तो वह कहता है कि इर्रिगेशन डिभाग को कहा जाय उसके द्वारा नहरें ठीक नहीं निकाली गई। हमें तो प्लानिंग इस प्रकार का करना चाहिये जिससे औवरआल ज्यादा से ज्यादा उपयोगी सिद्ध हों। इस बारे में मैं मुख्य मंत्री जी से खास तौर से निवेदन करूंगा कि इस बारे में ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे ये समस्यायें भविष्य में आने न पावें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया(मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हम स्वयं भी चिन्तित हैं। चम्बल एरिया के अन्दर जो वाटर-लॉगिंग की समस्या है वह काफी बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। और उसके लिये विस्तृत योजना ठीक से तो मुझे अमाउन्ट याद नहीं कुछ करोड़ रुपया खर्च होगा उस योजना पर वह बनाकर के हमने भारत सरकार की मन्जूरी के लिये भेज दी है। उस वक्त जब भारत सरकार के एग्रीकलचर मिनिस्टर यहां आये थे उनके सामने भी हमनें विशेष रूप से तीसरी योजना में आउट साइड दी

Page No. 25

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्लान सिलिंग के फन्ड्स प्रोवाइड करने के लिये प्रार्थना की थी। उन्होंने इसको प्रायोरिटी देने का आश्वासन दिया है। जहां जहां भी इस प्रकार की प्रोब्लेम है उसको सॉल्व करने के लिये हम सतर्क हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करेंगे। हम अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं से पूर्णतया सहमत हैं कि हमारा इर्रिगेशन का जो प्रोग्राम है वह एडवान्टेजस होना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस संबन्ध में एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट्स बहुत हैं।

नेक्स्ट। श्री चतुर्भुज उपाध्याय !

भूमिहीनों को भूमि की व्यवस्था चित्तौड़गढ़

२५७. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ के पहाड़ी इलाके में भूमिहीन को भूमि देने की व्यवस्था में सरकार द्वारा कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ? अगर हां, तो कब और क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि ऐसे इलाके में बिला नाम जमीन काबिलकाश्त पड़त होते हुए भी भूमिहीनों के प्रार्थना पत्र खारिज किये गये और उनमें विशेषतया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों के प्रार्थना पत्र थे ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि रेवेन्यू की जमीन पड़त होते हुए भी जंगलात डिमार्केशन लाइन के पास अलॉटमेंट संबन्धी कार्यवाही भी बन्द है ? अगर हां, तो वहां भूमिहीनों के विषय में सरकार के सामने कौन सी व्यवस्था विचाराधीन है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। बन्दोबस्त द्वारा जो भूमि काबिल काश्त दर्ज की गई है उसके लिये प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किये गये हैं।

(३) जी नहीं।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत बस्सी के लोगों की दरख्वास्तें तीन-तीन साल से खारिज करते आ रहे हैं और जिलाधीश को यह आदेश दिये हैं कि जमीन अलॉट न की जाय ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : एक गांव के लिये जवाब देने को मैं मजबूर हूं, लेकिन जो समस्या मालूम होती है ओपन लैंड के अलॉटमेंट न होने की है। ऐसी भूमि जो सेटलमेन्ट रेकर्डस में काबिल काश्त दर्ज न हो तब तक उसको अलॉट नहीं कर सकते। यह भूमि इसी प्रकार की है। सरकार ने यह आदेश प्रसारित कर दिये हैं कलेक्टर और तहसीलदार को कि जो भूमि गैर मुमकिन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दर्ज है सेटलमेन्ट में अगर वह काश्त काबिल हो तो उसका क्लासिकिकेशन बदल कर काबिल काश्त में दर्ज करदे सर्वे कराके। जितनी जगहों पर ऐसी समस्या है वहां क्लासिकिकेशन चेन्ज करने के आदेश दे दिये हैं १८ जून १९६३ को जिसमें वाली, चित्तौड़गढ़, और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर इस संबन्ध में आदेश दे दिये हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : माननीय मंत्री महोदय फरमा रहे हैं गैर आबाद पड़ी हुई भूमि के बारे में लेकिन ऐसी भूमि जो काबिल काश्त है वह काफी पड़ी हुई उस जमीन को लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेटलमेन्ट रेकर्ड्स में गैर मुमकिन नाकाबिल काश्त लिखा हुआ है। इसलिये जब तक तहसीलदार उसकी क्लासिफिकेशन को नहीं बदलते तब तक उसको अलॉट नहीं कर सकते। पहले क्लासिफिकेशन बदल जाय जिसके कि आदेश दे दिये हैं उसके बाद अलॉटमेन्ट किया जा सकता है।

श्री शंकरलाल (सादड़ी) : क्या यह सही है कि ऐसी जमीन लोगों ने काश्त करली है लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने उस जमीन से बेदखल कर दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट का मसला है इससे इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह क्लासिफिकेशन कब तक तब्दील हो जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके वहां तो इस तरह की कोई समस्या नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे यहां तो नहीं चित्तौड़गढ़ में तो है फिर भी आप बता दीजिये यह क्लासिफिकेशन कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: दुबारा और लिख दिया है। जल्दी से जल्दी इसको समाप्त किया जाय सर्वे करके।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : चित्तोड़गढ़ तहसील में ऐसी जमीनों को सीलिंग एक्ट की तहत खारिज कर दिया गया। बेचारे अनुसूचित जाति एवं जन जातिके लोग न तो कचहरी में जा सकते हैं न बोल सकते हैं। वे किस तरह से भूमि हासिल कर सकते हैं इस पर ख्याल फरमाय जाय।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

ग्राम मानदींता, तहसील सांगोद में भूमि का अलॉटमेन्ट

२५६. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Revenue Minister be pleased to reply:--

(1) Is it a fact that approximately 90 bighas of land was allotted by the Colonization Department to some 13 persons in village Mandeeta of

Page No. 27

(श्री जुझारसिंह)

Tehsil Sangod, District Kota and about Rs. 1900 were realised as their share of its instalment.

(2) Is it a fact that this land has not been made available to these peresons nor their share money returned to them ?

(3) What are the reasons that the above mentioned land or an alternate piece of land has not been made available to then ? What action is contemplited by the Government now in the matter ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) ग्राम मंडीता के ११ व्यक्तियों को ६० बीघा भूमि का अलॉटमेन्ट किया है तथा उनसे रुपए १६७१.७५ पैसे जमा हुए हैं।

(२) जी हां।

(३) अलॉटमेन्ट नियम विरुद्ध हुआ था। इस कारण निरस्त कर अलॉटीज को उनकी जमा शुदा रकम रिफन्ड करने की आज्ञा दी जा चुकी है।

श्री जुझारसिंह : कब तक रिफन्ड हो जायगा ? कब से जमा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहुत जल्दी रिफन्ड हो जायगा।

श्री जुझारसिंह : ६० बीघा जमीन अवेलेबल की गई माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे जब कि पटवारी के अधिकार में नहीं है जमीन तो एडवान्स रुपया कैसे जमाकर लिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात नहीं है।

श्री जुझारसिंह : बरसों से वह रुपया जमा है रिफन्ड हो जायगा मुझे शक है फिर भी मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा वहां के लोग परेशान हैं क्या आप इस में जल्दी दिलाने की महरबानी करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर कार्यवाही की गई है तो इसमें क्या नुकसान है ?

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (डकलेरा) क्या उनको मूल पूंजी ही दी जायगी या व्याज भी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो रकम जमा शुदा है वह लौटा दी जायगी।

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जमीन आरजी तौर पर अलॉट करने के नियम

२५७. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या राजस्थान कैनाल क्षेत्र में सरकारी जमीन आरजी तौर पर अलॉट करने के सिलसिले में नियम बनाये हुए हैं, और क्या इन नियमों को ही आधार मान कर परमानेन्ट अलॉटमेंट भी किया जावेगा ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) जी हां। यह प्रश्न से राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : भारत सरकार इसको अपने हाथ में ले लेगी फिर भी क्या राइट आफ अलॉटमेंट हमारा ही रहेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नीति सरकार की यही है कि यह राज्य सरकार के पास रहे।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : इस मामले को कब तक विचाराधीन रखेंगे तीन साल तो हो गये?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारी ओर से कोई देरी नहीं की जा रही है। आशा करते हैं कि जल्दी ही मामला तय हो जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने नियम तो नहीं बनाये हैं। अभी जो अलॉटमेंट हो रहा है वह किस आधार पर हो रहा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टेम्परेरी आधार पर हो रहा है जिसके नियम बने हुए हैं। टेम्परेरी अलॉटमेंट तो हो रहा है। परमानेन्ट अलॉटमेन्ट के रूल्स चाहिये। इसमें नीति का सवाल पड़ता है, प्रायोरिटीज का पड़ता है कि फिक्सेशन आफ प्राइसेज का पड़ता है। ये सारी चीजें भारत सरकार, राज्य सरकार और सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा तय नहीं हो जायेंगी इसको फाइनल नहीं किया जा सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टेम्परेरी अलॉटमेंट के रूल्स वेरी करते हैं गंगानगर में। गंगनहर के इलाके में अलॉटमेन्ट के रूल्स कुछ हैं भाखरा में दूसरी प्रकार के हैं और राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर में जो टेम्परेरी धरती दी है उसके रूल्स दूसरे हैं। मेरा निवेदन है कि भिन्न भिन्न रूल्स रखने का आधार क्या है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्न जो पूछा गया है वह आरजी अलॉटमेन्ट करने के सिलसिले में है उसके लिये नियम बने हुए हैं। परमानेन्ट अलॉटमेन्ट के रूल्स इन्हीं आधारों पर बनेंगे यह प्रश्न था इसलिये मैंने कहा आरजी तौर पर नियम बने हुए हैं। परमानेन्ट अलॉटमेन्ट के लिये रूल्स बनाने हैं यह कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता जब तक कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच तय न हो जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो भिन्न भिन्न रूल्स रखने का आधार क्या है यह जानना चाहते हैं।

श्री मनफूलसिंह : सरकार के यह ध्यान में होगा कि टेम्परेरी अलॉटमेन्ट राजस्थान केनाल में कतई बन्द है। जो हो रहा है वह ऑक्शन हो रहा है टेम्परेरी अलॉटमेन्ट बन्द है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बजरिये ऑक्शन टेम्परेरी अलॉटमेन्ट हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो इसके लिये नियमों की जरूरत नहीं है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेन्ट के आदेश द्वारा हो रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रश्न पर बहुत प्रश्न न पूछे जांय तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मनफूलसिंह : नीलाम जो भूमि हो रही है वह भूमिहीनों को नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑक्शन में जो ज़्यादा कीमत देता है उसको दे दी जाती है यह सवाल है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न बिल्कुल अलग है।

श्री मनफूलसिंह : टेम्परेरी अलॉटमेन्ट बन्द है गरीबों को ?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अपने दल के नेता की बात तो मानें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों का समय हो गया है। एक प्रश्न बाकी है। यह पूछ लेने दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

सिंचाई विभाग का वित्तीय वर्ष

२५८ **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग का वित्तीय वर्ष मी अप्रेल से शुरू होने के कारण विभाग द्वारा काम प्रारम्भ करते-करते बरसात का मौसम आ जाता है जिससे किसान खेतों पर काम करने लग जाते हैं और पूरा लेबर नहीं मिलता तथा बरसात के कारण काम भी अधूरे रह जाते हैं।

(२) इन कठिनाइयों को देखते हुए क्या सरकार सिंचाई विभाग का वित्तीय वर्ष अक्टूबर से प्रारम्भ करना उचित समझेगी ताकि आठ महीने काम करने का मौका मिले ?

उपमंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) वित्तीय वर्ष अप्रेल से शुरू होने के कारण कोई कार्य अधूरे नहीं रहते।

(२) समस्त भारत में वित्तीय वर्ष अप्रेल माह से ही शुरू होता है। अतः उसको अन्य माह से प्रारम्भ करने का प्रश्न नही उठता।

श्री रामकिशन (वैर) : यह व्यवहारिक है क्योंकि जब बजट सेक्शन होता है बरसात शुरू हो जाती है। चार महिने तक निश्चित तौर पर काम सफर करता है। भारतवर्ष में यदि राजस्थान कोई नयी बात करता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। टेन्डेन्सी बदले यह नीति का प्रश्न है हम बदल सकते हैं। इसलिये इस पर गंभीरता से विचार करें।

श्री दिनेशराय डागी : अप्रेल के अन्दर बजट का साल रखने से कार्य में किसी प्रकार की देरी हो यह नहीं। यदि यह कर दिया जाय तो कल यह भी सवाल पैदा होगा कि अप्रेल में गर्मी ज्यादा पड़ती है इसलिये सेशन भी सरदी में किया जाय।

श्री रामकिशन : आप भी समझे कि नहीं कि आप क्या कह रहे हैं.......

Page No. 30

श्री अध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है उत्तर देने के लिये।

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भाखरा नहर की टेलों पर पानी

२३६. श्री मनफूल सिंह (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भाखरा नहर की टेलों पर अब सब जगह पानी पहुंच गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। सरदार पुरा माइनर, उमावाली माइनर, शामसिंह वाला डिस्ट्रीब्यूटरी, सालासर माइनर, शंगार माइनर व सरदार गढ़ माइनर को छोड़ कर।

डाक्टर का तबादला, सरदारशहर

२३७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सरदार शहर के जनाने अस्पताल में जिस लेडी डाक्टर ने दिनांक ८-७-६२ को चार्ज लिया उसका ट्रान्सफर पुनः वहां से दिनांक ५-८-६२ को कर दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सत्य है कि सरदार शहर के डॉक्टर व्यास के चरित्र के विरुद्ध डायरेक्टर मेडिकल विभाग द्वारा जांच की गई है ? अगर हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि सरदार शहर के डॉक्टर व्यास का ट्रान्सफर किया गया था व पुनः दो मास उपरान्त उन्हें वापस सरदार शहर बुला लिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, चूंकि डॉक्टर व्यास को सरदार शहर लगाया गया इसलिए डाक्टर हरबन्स लाल का ट्रांसफर मय उसकी पत्नि के किया गया।

(२) जी हां, अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(३) जी हां, प्रशासनिक कारण से किया गया।

सार्वजनिक स्थानों के नामों में परिवर्तन

२३८ श्री रामानन्द अग्रवाल, (अलवर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में ऐसे कौन २ से सार्वजनिक भवन, सड़कें अथवा संस्थान हैं जिनके नाम ब्रिटिश शासकों या भूतपूर्व नरेशों के नामों से संबंधित हैं ?

(२) क्या राजस्थान सरकार इन सार्वजनिक भवनों, सड़कों और संस्थानों के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नाम बदल कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता में भाग लेने वाले शहीदों के नाम पर रखेगी ?

उत्तर

(१) ब्रिटिश शासकों या भूतपूर्व नरेशों के नाम पर जो भवन, सड़कें व संस्थाऐं हैं, उनकी सूची यथा साध्य बनाकर सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) सब सार्वजनिक भवनों, सड़कों और संस्थाओं का नाम बदलना आवश्यक नहीं। जब कभी किसी विशेष संस्थान, सड़क व भवन का नाम बदलने की जरूरत होगी तो उस पर विचार व निर्णय किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्राईमरी हैल्थ सेंटर्स में डॉक्टर

२४०. **श्री मानिकचन्द सुराणा,** (कोलायत) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कितने प्राईमरी हैल्थ सेन्टर ऐसे हैं जिनमें एक साल से डॉक्टर नहीं हैं ? ऐसे सेण्टर (केन्द्रों) की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

केवल ४५। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

मन्नी-के-बड़ वाले तिराहे पर दुर्घटनायें, अलवर

२४४. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में मन्नी-के-बड़ वाले तिराहे पर ट्रैफिक के ऐक्सीडेण्टों द्वारा गत १ वर्ष में ३-४ बच्चों की जानें जा चुकी है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह जांच कराई है कि इस स्थान पर इतनी भयंकर दुर्घटनाओं का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि इस तिराहे पर पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाली गाड़ियों को तिराहे पर पहुंचने से पहले पूर्व से पश्चिम की ओर आने वाली गाड़ियां या अन्य कोई पैदल आने वाले लोग दिखाई नहीं देते ?

(४) क्या यह सही है कि इस तिराहे से आगे राजऋषि कॉलेज, गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, आर्य समाज गर्ल्स हाई स्कूल, न्यू हायर सेकेण्डरी स्कूल, हैप्पी स्कूल और मन्नी-का-बड़ गर्ल्स मिडिल स्कूल स्थित हैं और इन शिक्षण संस्थाओं से शहर में आने का यही मुख्य रास्ता है ?

(५) क्या सरकार इस रास्ते पर हैवी ट्रैफिक-बसें और ट्रकों का चलाना बन्द करेगी ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(६) क्या सरकार इस तिराहे पर ऐसी तब्दीलियां करने पर विचार करेगी जिससे पश्चिम से आने वाली गाड़ियों को पूर्व से आने वाला ट्रेफिक साफ तौर पर नजर आ सके ?

उत्तर

(१) उक्त स्थान पर गत एक वर्ष की अवधि में दो बच्चे एक्सीडेन्ट द्वारा मारे गये ।

(२) जी हां, तिराहे की ओर जाने वाली गाड़ी को सामने से आने वाली गाड़ी तब तक दिखाई नहीं देती जब तक कि वह एन तिराहे के पास न आजाए ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां । परन्तु राज कृषि कॉलेज इस स्थान से काफी दूर है ।

(५) फिलहाल प्रयोगात्मक स्टेट ट्रांसपोर्ट और बस व ट्रक ओनर्स एसोसियेशन के आपसी स्वीकृति से प्रातः ७ बजे से रात्रि ८ बजे तक की अवधि में भारी वाहनों का मन्नी के।बड़ के तिराहे से गुजरना बन्द कर दिया है ।

(६) जी हां । इस सम्बन्ध में उक्त तिराहे के पास की जमीन को सरकार के अधीन लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत लेने का निर्णय दिनांक ४–४–६४ की आज्ञा से ले लिया गया है । प्रतिवादियों ने इस निर्णय के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज की कोर्ट में अपील ली है जो अभी तक अदालत के विचाराधीन है ।

नर्सिंग कालेज के विद्यार्थियों के लिए होस्टल

२४६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नर्सिंग कालेज के विद्यार्थियों के लिये राजस्थान में कोई होस्टल नहीं है ? इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

जी सही नहीं है । नर्सिंग कालेज की विद्यार्थिनें सवाई मानसिंह अस्पताल के होस्टल में रही रहा हैं ।

उपरोक्त कॉलेज के लिए होस्टल का प्रावधान रखा गया था किन्तु धनाभाव के कारण स्थगित कर दिया गया है । फिर भी विद्यार्थियों की संख्या अधिक बढ़ेगी तो इस दिशा में कोई भवन विद्यार्थियों के लिए किराया पर से लिया जायेगा ।

उर्स के मौके पर मौतें और उनकी जांच—अजमेर

२४७. श्री मानिक चन्द सुराणा (कोलायत) :—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नवम्बर, १९६३ में अजमेर में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ख्वाजा साहब के उर्स के अवसर पर कितनी मौतें हुई और उनमें से कितने आदमी अस्पताल में भर्ती होने-के बाद मरे ? क्या यह सही है कि ३११ आदमी अस्पताल में भर्ती होने पर भी मरे ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त मौतें दरगाह की हद में स्थित छालरा (झालरा) व कातन मां की बावड़ी में म्यूनिसिपल अधिकारियों द्वारा ब्लीचिंग पाउडर जान बूझ कर अधिक मात्रा में डाल देने के कारण हुई ?

(३) क्या सरकार ने उक्त वाके की कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

उत्तर

(१) सन् १९६३ में अजमेर में ख्वाजा साहब के उर्स के अवसर पर १३७ बिमार अस्पताल अजमेर में भर्ती हुए और उनमें से ४१ व्यक्ति मर गये, ३११ नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कुक्कुट शालाएं

५१ श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) राज्य में कितनी कुक्कुट शालायें हैं ? और कहां कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन कुक्कुट शालाओं में कितनी कितनी संख्या में कुक्कुट हैं ?

(३) इनकी सालाना आय कितनी है ? तथा सरकार को इनसे सन् १९५७ से १९६४ तक कितना लाभ व कितना नुक्सान हुआ है ?

(४) इनमें से कितनी शालायें चालू हैं और कितनी बन्द हो चुकी हैं ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जय समुद्र से अतिरिक्त सिंचाई

५२. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा, (मावली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

इस वर्ष जय समुद्र से कितनी अतिरिक्त (extra) जमीन की सिंचाई करने की इजाजत दी गई है ?

उत्तर

कोई नहीं।

Page No. 34

बांधों एवं तालाबों पर व्यय तथा उन से आय-तहसील गंगरार एवं चित्तौड़गढ़

५३. श्री चतुर्भुज उपाध्याय : (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील गंगरार एवं चित्तौड़गढ़ में किन २ बांधों एवं तालाबों द्वारा भूमि सिंचित की जाती है और कितनी जमीन में प्रतिवर्ष पानी दिया जाता है ?

(२) ये बांध एवं तालाब कब २ बने और इन पर कितना व्यय हुआ ?

(३) प्रत्येक बांध एवं तालाब से सरकार को वार्षिक आय कितनी है ? योजना के अनुसार आय प्राप्त होती है या नहीं नहीं, और तो क्यों ?

(४) इन बांधों एवं तालाबों के लिए कितना क्षेत्र कमांडेड एरिया प्रत्येक के लिए घोषित किया गया ? सम्पूर्ण घोषित क्षेत्र में विभाग द्वारा पानी दिया जा चुका है या नहीं ?

(५) कमांडेड क्षेत्र की कन्टूर लाइन जहां तक पानी पहुंचेगा घोषित की जा चुकी है या नहीं ? और नहीं, तो क्यों ? क्या ऐसा नहीं किये जाने से अभी उस लाइन के बाहर पड़ने वाले काश्तकारों पर अनावश्यक पाबन्दियां नहीं लगी हुई हैं ?

(६) इन तहसीलों के कितने तालाब पंचायतों को ५० एकड़ से नीचे होने के सौंपे गये हैं ?

उत्तर

(१) तहसील गंगरार में सौमियाना बोरदा, बानीरा, सालेरा, बगत सागर व तहसील चित्तौड़ में कशमोर, बिनाकिया व गंभीरी प्रोजेक्ट द्वारा भूमि सिंचित होती है। इनसे तहसील चित्तौड़ में लगभग ८००० एकड़ भूमि व तहसील गंगरार में १७०० भूमि प्रति वर्ष सिंचित होती है।

(२) सूची में अवलोकन करें।

(३) दोनों तहसीलों में सन् ६३-६४ में ६०,३२८) रुपये की आय हुई। तालाब में पानी की आय के अनुसार पिलाई की आय में कमी या बेशी होती रहती है।

(४) सौमियाना, बोरदा बान्धों का एरिया सूची के अनुसार खुशहाल कर के वास्ते घोषित किया जा चुका है व गंभीरी व बिना किया का किया जाना है। सम्पूर्ण घोषित क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है।

(५) कमांडेड एरिया घोषित किये जा चुके हैं। अतः दीगर एरिया पर पाबन्दी आदि का प्रश्न नहीं उठता।

(६) विवरण स्टेटमेन्ट (अ) में संलग्न है।

Page No. 35

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चीनी, गुड़, चांवल व गेहूँ का कोटा, जिला टोंक

५४. श्री जयनारायण सालोदिया: (निवाई): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान के हर जिले में दानेदार चीनी, गुड़, चांवल व गेहूँ का इन दिनों कितना माहवारी कोटा दिया जाता है? सभी चीजों के माहवारी आंकड़ों की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) टोंक जिले में उपरोक्त वस्तुओं का १९६२-६३ में कितना कितना कोटा था तथा टोंक जिले की हर तहसील को किस किस वस्तु का माहवारी कितना कितना कोटा दिया गया था? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

१. चांवल तथा गेहूं का कोई माहवारी कोटा निर्धारित नहीं है। हां, दानेदार चीनी व गुड़ का माहवारी कोटा जो अब तक दिया उसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी है।

२.१९६२-६३ में कोई माहवारी कोटा नहीं था। इसलिए सूची का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

तालाब की पाल-ग्राम कुंडल, गिरवा क्षेत्र

५५. श्री जोरावसिंह चौहान (गिरवा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गिरवा क्षेत्र के कुंडाल ग्राम में चांद सूरज का तालाब या छोटा बन्धा करीब तीन साल पहले बना था?

(२) क्या यह सही है कि उसका पानी पाल के नीचे से निकल जाता है? यदि हां, तो उसको रोकने का क्या प्रबन्ध किया जावेगा?

(३) क्या यह सही है कि उसकी पाल कुछ और ऊपर उठायी जावे तो तालाब में पानी अधिक ठहर सकता है और पिलाई भी अधिक हो सकती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान देने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) सिंचाई विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(२-३) प्रश्न १ के उत्तर के प्रसंग में इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(म० पू० ६. १०)

स्थगन प्रस्तावों पर उपमंत्री, गृह विभाग द्वारा वक्तव्य

(१) उदयपुर के पत्र 'युगदृष्टा' के संपादक पर हमले के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल एवं श्री विजयसिंह झाला ने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है जिसमें से एक का सम्बन्ध ग्राम जलवाड़ा, तहसील किशनगढ़, जिला कोटा के गठन के सम्बन्ध में है। मन्त्री महोदय, इस पर कृपया वक्तव्य दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य, (उपमंत्री, गृह) : दिनांक ५. ८. ६४ को आठ बजे शाम श्री भूपेन्द्रसिंह कोठारी साइकिल पर जा रहे थे। वे जब सज्जन निवास बाग व सूरजपोल के मध्य पहुंचे तब यकायक किसी ने उनके डन्डे या स्टिक की चोट मारी।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, यह दूसरा है।

माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने कल सूचना दी थी कि एक अखबार के संपादक के सम्बन्ध में जो उदयपुर में घटना हुई, उसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दिनांक ५।८।६४ को समय ८ बजे शाम श्री भूपेन्द्रसिंह कोठारी साइकिल पर जा रहे थे। वे जब सज्जन निवास बाग व सूरजपोल के मध्य पहुंचे तब यकायक किसी ने उनके डंन्डे या स्टिक की चोट मारी और प्रहारकर्ता लुप्त हो गया। स्थानीय पुलिस, सूरजपोल शीघ्र ही कुछ सेकण्ड्स में घटनास्थल पर पहुंची और श्री कोठारी को अविलम्ब गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में मेडिकल जूरिस्ट ने श्री कोठारी का परीक्षण कर उन्हें जाने की इजाजत दे दी और वे चले गये। परीक्षण से केवल एक साधारण चोट कुन्दआले से सिर के एक ओर आना विदित हुआ। इस पर स्थानीय पुलिस, सूरजपोल ने रोजनामचा आम में धारा ३२३ आई. पी सी. के अन्तर्गत नान-काग्नीजेबल आॅफेन्स की रिपोर्ट अंकित की। श्री कोठारी को अभियुक्त के विषय में कोई ज्ञान नहीं था और उसके विषय में उन्होंने कोई हुलिया नहीं बताया और न किसी साक्षी को बताया।

श्री कोठारी की चोट को देखने के या उपचार के विषय में अस्पताल अधिकारियों या मेडिकल जूरिस्ट की कोई लापरवाही या गफलत दृष्टि गोचर नहीं हुई। इसके अतिरिक्त श्री कोठारी ने उदयपुर में किसी भी अधिकारी को अस्पताल के अधिकारियों के उनको अटेन्ड करने की लापरवाही के विषय में कोई शिकायत नहीं की और चोट के अत्यन्त साधारण होने से ऐसी स्थिति होनी ही संभावित थी।

इस घटना से किसी पत्रकार या सम्पादक में असुरक्षितता का किंचित मात्र भी भय प्रतीत नहीं होता।

इस स्थगन प्रस्ताव के प्राप्त होने के पश्चात् पुलिस अधीक्षक, उदयपुर स्थानीय समाचार पत्रों के कई सम्पादकों से मिले और उन्होंने इस घटना में अधिक दिलचस्पी रखना प्रकट नहीं किया क्योंकि वह घटना उनकी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

व्यक्तिगत खानगी बातों से सम्बन्धित होना ही प्रतीत हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, ८ बजे सरे आम सूरजपोल में सिर पर लाठी मार दी जैसा मन्त्री महोदय ने कहा और सिर पर लाठी मारने के बाद में भी ज्यादा चोट नहीं आई ऐसा कहा गया तो खैर, यह तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगा। पर मुझे खेद इस बात का है कि सरकार को पता हो जाने के बाद भी और स्थगन प्रस्ताव के आ जाने के बाद भी अभी तक इस बात का सरकार को पता नहीं चला कि किसने लाठी मारी थी।

वे स्वयं तो शायद डन्डा पीछे से मारा गया इसलिये न बता सकें। पर इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी आज सरकार उस आदमी का पता नहीं लगा सकी और दूसरी और यह कहती है कि पर्सनल मामला था, कोई आपसी राज था तब भी आपको मालूम हो जाना चाहिये था कि किसने मारा डन्डा। तो या तो आपको मालूम है, या फिर आप छिपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते या फिर कार्यवाही करना नहीं चाहते। इन दोनों सूरतों में मैं यही कह सकता हूं कि आपके राज में गुंडागर्दी चलती है। कोई आदमी सरे आम चलते आदमी को पीछे से डन्डा मारने की हिम्मत कर ले और आपकी व्यवस्था ऐसी कि उसका पता नहीं चला पाए और वे ऐसे गुंडे हिम्मत कर लें। मैं चाहता हूं कि इसमें तत्परता से कार्यवाही हो ताकि गुंडागर्दी समाप्त हो।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): पत्रकारों के साथ में उदयपुर में यह घटने वाली तीसरी घटना है। एक दिन एक पत्रकार मन्त्रीजी के साले के विरुद्ध न्यूज का प्रचार और बिक्री कर रहा था कि उसे दिन दहाड़े पीटा गया। इसके बाद में एक पत्रकार काला बाजार के कुछ मामले लेकर पत्र बेच रहा था तो उसको पीटा गया। और 'युगद्रष्टा' के सम्पादक को पीटने के पीछे भी यही कारण है। इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का, जो भ्रष्टाचारी हैं और काला बाजारी और रिश्वतखोरी को प्रोत्साहन देते हैं, हाथ है और कुछ ऐसे महत्व के तत्वों का हाथ है जिन का सम्बन्ध मिनिस्टरों से है और जो काले कारनामे करते रहते हैं। 'युगद्रष्टा' का सम्पादक ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जनता का ध्यान मजबूती से खींचता रहा है। तो यह एक तरह से उसके प्रति ऐसे व्यक्तियों और अधिकारियों का षडयन्त्र था। आज उदयपुर में इन लोगों ने इतना आंतक पैदा कर रखा है कि कोई ईमानदार पत्रकार इन काले बाजारियों और भ्रष्ट अधिकारियों की सही न्यूज न दे सके, सरकारी अधिकारी रिश्वत ले तो उसकी सही न्यूज न दे सकें, मिनिस्टर कोई घोटाले करें उसके विरुद्ध पत्रकार आवाज न उठा सके, तो मैं कहता हूं क्या मिनिस्टर महोदय इसको आंतक नहीं मानते? आंतक शब्द का अर्थ आपके सामने दूसरा है क्या? इस तरह का आंतक पेदा करना प्रजातन्त्र की हत्या करनी है। पत्रकारों को प्रजातंन्त्र में सही बात कहने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। उसे सम्मान मिलना चाहिये। उदयपुर के पत्रकारों को आज यह नहीं मिल रहा है। उनको सुरक्षा भी नहीं मिल रही है।

आप कहते हैं कि इस घटना पर किसी पत्रकार को असन्तोष नहीं है। जो प्रस्ताव उदयपुर के पत्रकारों ने पास किया इस बारे में

Page No. 38

(श्री विजयसिंह झाला)

क्या वह आपके पास नहीं आया और क्या अन्य लोगों के पत्र आपके पास नहीं आये ? जयपुर के और बाहर के सभी पत्रकारों ने इसकी निन्दा की है ।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि यह ३२३ की चोट आई । डाक्टर ने जो सर्टिफिकेट दिया उसका जिक्र किया । पर मैं बताता हूं कि पांच घंटे तक वे मूर्छित रहे चोट लगने के बाद । उनको मूर्छित अवस्था में ही अस्पताल पहुंचाया गया । चोट भी मारी चौराहे के पास । क्या वहां के दूसरे लोगों ने नहीं देखा होगा ? क्या यह षडयन्त्र नहीं था ? नहीं तो सरे आम कोई आदमी इस तरह से मारने का साहस कर सकता है और पीट कर सबके सामने से चला जाये ? आपका तो यह आतंक जमा हुआ है वहां पर । अगर इसको आतंक नहीं मानते हैं तो आचार्य जी किसको आतंक कहते हैं ? वे डकैतों को आतंक नहीं कहते । पत्रकारों को मारा पीटा जावे इसको आतंक नहीं मानते । यह पत्रकारों का अपमान है । इसकी पूरी जांच होनी चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जांच होनी चाहिये अथवा नहीं होनी चाहिये इसके लिये कहा गया । जैसा मैंने कहा ३२३ का ऑफेन्स नान–काग्नीजेबल होता है जिसमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है और इसके बाद जिसको चोट पहुंची वह इस्तगासा अदालत में करे यह होता है । तो यह तो है कानून ।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, हमारी हमदर्दी है उनके साथ । पर इस मामले में एग्रीवेटेड ऑफेन्स था । अब वह किस शक्ल का है, किन परिस्थितियों में हुआ कैसे हुआ अगर यह आपको मालूम होता तो आप इतना नहीं कहते । जब मैंने निवेदन किया कि आठ बजे रात्रि का समय, आठ या आठ से कुछ आगे रात्रि को समाचार पत्र का सम्पादक साइकिल पर जा रहा हो और सड़क भी, अध्यक्ष महोदय, कौन सी ? सज्जन निवास बाग और सूरज पोल उसको मध्य की सड़क । माननीय सदस्य उस सड़क के महत्व को स्वयं समझ रहे हैं ।

श्री विजय सिंह झाला : क्या महत्व है ? आप समझा दीजिये । हम तो नहीं समझते ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी स्थिति में एक डंडे की चोट उनके आई किसी के द्वारा और वह जरबात क्या हैं यह भी अर्ज कर दूं । १ $\frac{1}{2}\times\frac{1}{8}\times\frac{1}{8}$ इन्च यह तो है चोट ।

श्री मुरलीधर माथुर व्यास : चोट किस जगह पर है भी बताएं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसे जूरिस्ट ने एग्जामिन किया, उसने मरहम पट्टी की और उसी समय छुट्टी दे दी और वे स्वतः चले गये, और यह मैं दावे से कहता हूं कि दूसरे दिन आप साइकल पर चलते दिखाई दिये हैं । यह तो है जिक्र उस विषमता और–समता जो भी कही है उसका ।

उसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, पुलिस

(निरंजनाथ आचार्य)

ने यहां तक सतर्कता रखी क्यों कि यह काग्नि-जेबल ऑफेन्स नहीं है। फिर भी उनसे पूछा गया और वह कुछ मुंह से तो कहते लेकिन चार पांच दफा दरयाफ्त करने पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और बयान भी कुछ नहीं दिये। उनको शनाख्त के लिये पूछा गया कि कौन आदमी हो सकता है लेकिन उस तलाश करने में उनकी कोई मदद नहीं। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, जो कहा गया यहां कि प्रस्ताव पेश हुआ--हमें तो प्रस्ताव की कोई नकल नहीं मिली।

श्री विजय सिंह झाला : माननीय पत्रकारों ने प्रस्ताव पास करके सब जगह भेजा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई प्रस्ताव की नकल हमारे पास आज तक तो नहीं आई। और, अध्यक्ष महोदय, मैं भी यहां के दैनिक पत्र पढ़ता हूं। उनमें यह खबर तो सुनी लेकिन प्रस्ताव पारित हुआ हो ऐसा किसी अखबार में नहीं आया। उसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि एस० पी० ने खुद ने बुलाकर सम्पादकों से पूछा था और मैं निश्चत रूप से कह सकता हूं कि सम्पादकों ने इस घटना में कोई दिलचस्पी तक नहीं बतलाई। ऐसी स्थिति में कैसा ऑफेन्स है, किस ढंग का है हम कहां तक उसमें दस्तान्दाजी कर सकते लेकिन पुलिस ने यह समझते हुए कि यह साधारण से किसी पत्र के सम्पादक हैं। इसके अन्दर क्या रहस्य है अगर यह हमको बतलाते तो हम अपने तरीकों से इसकी कुछ जानकारी करते। इसलिए आपने यह कहा कि हम छिपाते हैं। ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं, और इसके अन्दर बहुत बड़ों-बड़ों का हाथ है. यह कहने के आप अभ्यासी हैं कि मिनिस्टरों का हाथ है। एक साधारण सी घटना है जिसका इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है और सम्भवत यह एग्रेवेट की गयी है ऐसी मेरी मान्यता है। जन जीवन से इस घटना का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : बिलकुल सम्बन्ध है और मैं अपने एलीगेशन को पुनः दोहराता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरा भी प्रस्ताव है, एक ही पर सारा समय कैसे मिल सकता है।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव

(२) ग्राम जलवाड़ा तहसील किशनगंज, जिला कोटा के समीप ए० डी० एफ० पार्टी नाहरगढ़ के आठ व्यक्तियों के द्वारा जलवाड़ा ग्राम के हजारी लाल व रामगोपाल छीपान के साथ मार पीट व लूट करने के विषय में।

श्री निरजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, श्री हजारी पुत्र धन्नालाल ने दिनांक ४--८--६४ को थाना रामगढ़ जिला कोटा में निम्न आशय की लिखित सूचना प्रस्तुत की कि तारीख ३--८--६४ को जब वह अपने भाई के साथ कपड़े लेकर नाहरगढ़ से जलवाड़ा लौट रहा था तो लगभग नाहरगढ़ से आठ मील दूर जलवाड़ा चौकी की ओर उन्हें तीन सशस्त्र सिपाहियों

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ने रोक लिया और बिना किसी कारण के उन्हें मारपीट कर छोड़ दिया। जब वह तथा उसका भाई दो मील आगे गये होंगे कि उसे पुनः दो सशस्त्र सिपाहियों ने पकड़ लिया और उससे रुपये मांगे । वह इन्कार हो गया। इस पर उसे राईफल के कुन्दे से मारपीट की गई। जब वह धरती पर गिर गया तो सिपाहियों ने उसकी जेब से रुपये १४७) नकद निकाल लिये उसकी आंख से रक्त निकलने से उसके कमीज पर रक्त के धब्बे पड़ गये। जिसको सिपाहियों ने उससे नाले में धुलवाया। रास्ते में छः सिपाहियों ने उसके भाई को रोका और मारपीट की तथा रुपये मांगे किन्तु उसके भाई के पास जेब में सिर्फ दो रुपये थे । जब सिपाही उसके भाई को मारपीट कर रहे थे तब श्री बिशन धाकड़ व चमार हाली वहां पहुंच गये और उन्होंने मारपीट करने से मना किया। इस पर सिपाहियों ने उसके भाई से दो रुपये लिये व २५) रुपये उन्हें चौकी जलवाड़ा पर देने का कहा।

उक्त रिपोर्ट पर थाना नाहरगढ़ में धारा ३९५ आई. पी. सी. के अन्तर्गत अपराध रजिस्टर किया जाकर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। अन्वेसण के दौरान अभियोगी व उसके भाई से तथा दोनों साथियों से पूछताछ कर ली गई है, चारों ने ही प्रथम सूचना की कहानी की पुष्टि की है, परन्तु किसी को नामजद नहीं किया गया है। सभी संभावित अभियुक्त एक हैड कांस्टिबल व ७ कान्स्टेबल सस्पैंड कर दिये गये हैं। अभियुक्तों के साथ कानूनन कड़ी कार्यवाही की जावेगी। इलाके में कोई अशांति नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह इनको कैसे पता चल गया कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि केस रजिस्टर हो चुका है, इन्क्वायरी चल रही है। अब उस पर और चर्चा करना उचित नहीं है। सरकार ने जो कार्य किया उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह बाटड़।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :

(१) राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत पाली जिले की जागीरों के पुनग्रहण में हुई अनियमितताओं के संबंध में तीन याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका।

(२) राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत पाली जिले की जागीरों का पुनग्रहण करते समय जागीरों का रेकार्ड सरकार के कब्जे में न लिये जाने के संबंध में तीन याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अध्यक्ष : श्री अलदाराम।

श्री अलदाराम मेणां (सुमेरपुर सु०) : (१) अध्यक्ष महोदय, मैं बिलाड़ा मार्केटिंग कॉ-आपरेटिव सोसाइटी से स्थानीय तहसीलदार द्वारा अधिक धान की कीमत जमा कराये जाने के संबंध में पांच याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(श्री अलदाराम मेंणा)

(२) अध्यक्ष महोदय, मैं भूतपूर्व, जोधपुर सरकार द्वारा सोजत में अस्पताल के रस्ते पर स्थित दुकानों व एक प्याऊ को एक्वायर की जाकर उनका मुआवजा अभी तक न चुकाये जाने के संबंध में चार याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(३) मैं, सिंचाई विभाग द्वारा नहरी पानी वितरण के लिए विभागीय सलाहकार समितियों के कार्य संचालन हेतु स्पष्ट नियम न होने से पानी के वितरण की अव्यवस्था के संबंध में चार याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(म०पू० ६. २६)

गैर-सरकारी सदस्य का अशासकीय संकल्प

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि आज गैर सरकारी संकल्पों पर विचार होगा। समय का बंटवारा इस प्रकार प्रस्तावित किया जाता है कि पहले प्रस्ताव पर २ घन्टे तक बहस हो और दूसरे प्रस्ताव पर १॥ घन्टे तक। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को यह स्वीकार है और इसी हिसाब से बहस आरम्भ की जायेगी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो संकल्प है और जो प्रथम है और जैसा कि आपने समय का बंटवारा किया है वैसे तो वह शिरोधार्य है लेकिन यह संकल्प बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की अधिकांश जनता ग्रामीण है जिसकी बोलचाल की भाषा राजस्थानी है और यदि इसके लिए समय थोड़ा अधिक निर्धारित किया जाये तो बहुत ही अच्छा रहेगा और सब इसके ऊपर अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : यदि सदन सहमत हो तो जो दूसरा प्रस्ताव श्री दुर्गालाल बाढ़दार का है उस पर एक घन्टा रख दिया जाये और इस प्रस्ताव पर २॥ घन्टे रख दिये जायें। आपकी रुचि के अनुसार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, तीसरे प्रस्ताव की स्थिति क्या होगी जो कि इन सबसे अधिक इम्पॉर्टेन्ट है?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : तीसरा प्रस्ताव भी अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री हांडा का है वह काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैं उसके आपरेटिव पार्टस के लिए डिसएग्री करता हूँ लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री विजयसिंह झाला : सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो तीसरा प्रस्ताव ही है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि तीन प्रस्ताव लेने से न बहस ठीक ढंग से हो पायेगी और न माननीय सदस्य अपने विचार रख

(श्री अध्यक्ष)

सकेंगे। मैं तो यह मानता हूं कि जो संशोधन आये हैं वह भी शायद प्रस्तुत नहीं किये जायें। इस तरह से समय को चारों तरफ बिखेरने के बजाय ज्यादा उसका उपयोग ठीक तरह से होगा यदि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उस पर ज्यादा समय दिया जाय। उसके बाद दूसरे को कम दिया जाय और तीसरे प्रस्ताव पर समय ज्यादा नहीं लिया जाय। सदन में पहले भी कभी एक ही प्रस्ताव को लिया है और कभी दो भी लिया करते हैं, लेकिन तीन प्रस्ताव लेने में इसका सारा महत्व समाप्त हो जायगा। इसीलिए पहले प्रस्ताव पर ढाई घन्टे का समय और दूसरे प्रस्ताव पर १ घन्टा का समय रखा है। इस प्रकार से समय की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण जनता के लिए राजस्थानी भाषा में प्रचार साहित्य

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करती हूं "यह सदन सिफारिश करता है कि सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा ग्रामीण जनता के लिए प्रकाशित किया जाने वाला प्रचार-साहित्य राजस्थानी भाषा में हो" "अध्यक्ष महोदय यह संकल्प जो मैंने प्रस्तुत किया है उसको प्रस्तुत करने से पहले........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपका भाषण राजस्थानी भाषा में होना चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प मैं प्रस्तुत कर रही हूं........

श्री राधा कृष्ण गोयल (टौंक) : उस भाषा में प्रस्तुत कीजिये जिससे यह पता लग जाय कि कैसी भाषा चाहती हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : पिछली बार जो मैंने कलचरल का रखा था वह राजस्थानी में रखा था। इस बार मैं सोचती हूं कि हिन्दी में बोला जाय ताकि जो अंग्रेजी के पत्रकार हैं वह उसका उपयोग कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, जो यह संकल्प मैं प्रस्तुत कर रही हूं इसके पीछे कुछ गम्भीर और महत्वपूर्ण कारण हैं। हम सभी जानते हैं कि आज हमारा राजस्थान नव निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है। नव-निर्माण करने के लिए उसको चारों ओर प्रगति और प्रसार करना पड़ता है। आज हमारे सामने पंचवर्षीय योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उन योजनाओं को हमें घर-घर तक पहुँचाना है, जन-जन तक के पास पहुँचाना है। इन योजनाओं के अन्तर्गत और इनके बाहर भी कई चीजें ऐसी हैं जिनका सीधे का सीधा सम्बन्ध ग्राम जनता के साथ रहता है। जैसे, हमें कृषि का प्रसार करना है तो जो सैंकड़ो वर्षों, हजारों वर्षों से चले आये हुए औजारों का हम खेती में प्रयोग करते हैं उसी तरह से पुराने तरीके के खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमें इसको बदल कर इनके स्थान पर नये औजारों का इस्तेमाल कराना है, नये खाद को देना है और हमें किसानों को ट्रेनिंग देनी है और उन्हें समझाना है कि ज्यादे से ज्यादा किस प्रकार से खेती को बढ़ा सकते हैं और अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सामने शिक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

है। हमारा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमें आप जनता को समझना है कि शिक्षा के क्या लाभ हैं। उनके लड़के-लड़कियों को ज्यादे से ज्यादा स्कूलों में भेजना है इसी तरह से सफाई के बारे में समझाना है। पशु-पालन के बारे में उनको बतलाना है। राज-स्थान के पशु राजस्थान की एक बहुत बड़ी सम्पदा है, उनका किस तरह से पालन किया जाता है ऐसी कई योजनाएं हैं और कई प्रकार के काम हैं। जिनका सीधा सम्बन्ध आम जनता के साथ होता है। उस जनता को समझाना है जो कहीं रेगिस्तान में रहती है टीबों में और कहीं पहाड़ों के बीच में दो-दो घरों के गांव हैं। घर-घर में हमको अपना सन्देश पहुंचाना है, नव-युग का सन्देश जनता के पास, बच्चे-बच्चे के पास पहुंचाना है। आज की हमारी सारी की सारी योजनाओं की सफलता और असफलता इसी पर निर्भर करती हैं कि जन सहयोग कितना मिल सकता है, जनता के पास किस तरह से पहुंच सकते हैं, किस तरह जनता को विश्वास में ले सकते हैं, किस प्रकार से उनको समझा सकते हैं, और किस प्रकार से हम उनसे योगदान ले सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा साधन प्रचार और प्रसार है। जब तक प्रचार और प्रसार हमारा उचित नहीं है, उचित दशा में नहीं है, उचित ढंग से नहीं किया जाता है तब तक हम इन बातों को आम जनता के पास हर चीज को नहीं पहुंचा सकते हैं प्रचार और प्रसार का माध्यम केवल भाषा है। चाहे आप पुस्तकें प्रकाशित करके जनता के पास भेजें, चाहे पेम्फलेट छापें चाहे सिनेमा के द्वारा पहुँचायें, चाहे माइक के द्वारा पहुंचायें, चाहे किसी भी ढंग से पहुंचायें, लेकिन केवल उसका एक माध्यम हैं और वह भाषा है।

अब प्रश्न यह आता है कि ऐसे साहित्य के लिए किस प्रकार की भाषा को अपनाना चाहिए, और वह भाषा वही हो सकती है जो उन लोगों की मातृ-भाषा है, जिस भाषा में उन्होंने बोलना सीखा है और जिस भाषा को वे रात-दिन बोलते है, जो भाषा उनकी पैतृक है और जिस भाषा में सारे का सारा काम काज किया जा सकता है। अगर हम अपनी बातों को............ (श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा और अन्य सदस्यों के जोर से बातचीत करने पर Shri Handa ! Please don't disturb.

तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जब तक हम उनकी मातृ भाषा के द्वारा उन लोगों के पास यह बात नहीं पहुंचा सकेंगे कभी भी जनता हमको अपना सहयोग नहीं दे सकेगी और न हमको अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो सकेगी। तो भाषा के माध्यम के द्वारा ही हम सारी की सारी योजनाओं को उनका प्रचार और प्रसार उस भाषा के द्वारा करके उन तक पहुंचा सकेंगे।

इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए सर-कार ने सार्वजनिक सम्पर्क विभाग कायम किया है, और हमारे २६ जिलों में से १६ जिलों में सार्वजनिक विभाग कायम है। उनका काम है कि जनता के साथ सरकार की नीतियों का सम्पर्क रखें। जो सरकार उन के हित के लिए कानून निकालती जो उनके हित के लिए, लाभ के

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

लिए बातें बताती है उनको उन लोगों के पास पहुंचा दें और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए सार्वजनिक सम्पर्क विभाग काम भी कर रहा है। यह निकट सम्पर्क का विभाग सार्वजनिक सम्पर्क विभाग ही नहीं है और भी कई विभाग ऐसे हैं जिनका जनता के साथ बिल्कुल निकट का सम्पर्क है। जैसे, कृषि विभाग है। उसका सम्बन्ध बिल्कुल जनता के रात-दिन के निकट का है। समाज-कल्याण विभाग, पंचायत विभाग और पशु-पालन विभाग, यह कुछ विभाग ऐसे हैं कि जिनका आम जनता के साथ हमेशा निकट का सम्बन्ध बना रहता है। अब हम यह देखते हैं कि इन कामों के प्रचार और प्रसार के लिए आज तक इन विभागों के द्वारा जो पुस्तकें छापी गई हैं जो पेम्फलेट छपे गये हैं वे किस भाषा में निकली हैं? उस भाषा में निकली हुई पुस्तकों का लोगों ने क्या लाभ उठाया और क्या फायदा उनको मिला? हमको आज इसी नजर से इस संकल्प पर विचार करना है। जब हम इस दृष्टि से इस ओर विचार करते हैं तो नितान्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रचार और प्रसार साहित्य इस विभाग के द्वारा निकाला गया है वह कितनी जटिल और क्लिष्ट भाषा में है कि जिसको आम जनता के लिए समझना बहुत मुश्किल है। न वे समझ सकते हैं और न वे इस बात को लेकर सोच सकते हैं। जिस भाषा में इस विभाग के द्वारा पेम्फलेट निकाले जाते हैं वह उन लोगों के लिए रोमन और लेटिन है वह किस भाषा में निकाले जाते हैं उसके कुछ नमूने मैं सदन के सामने प्रस्तुत करती हूं। यह पुस्तक सार्वजनिक सम्पर्क विभाग (कृषि) द्वारा किसानों के लिए छापी गई है। आज इसका मतलब किसान नहीं समझ सकता है। अब इस भाषा का नमूना मुलाहिजा फरमाइये। खेती के कामों में क्या खोज हुई है यह आम किसान को बताना चाहते हैं। लेकिन किस लहजे में और किस भाषा में!

"कृषि-अनुसंधान

समस्त उन्नत कृषि रीतियों को राज्य में बड़े पैमाने पर अपनाये जाने से तथा सुगठित विस्तार सेवा के उपयोगी बनाये रखने के लिये कृषि अनुसंधान की महत्ता बढ़ गई है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के किसान को भूमि की तैयारी खाद एवं उर्वरकों की मात्रा एवं प्रयोग की विधि, बुवाई का समय, बीज की मात्रा, निराई, गुड़ाई एवं पौध संरक्षण आदि आदि के सम्बन्ध में वैज्ञानिक रीतियों पर आधारित मार्ग प्रदर्शन करना आवश्यक है।"

अब आप यह बताइये कि इस भाषा को कौनसा किसान समझ सकता है? वह क्या समझे कि "उर्वरकों" क्या है....

श्री अब्दुल जब्बार: रामजी काक समझ सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: यदि हम इसे सीधी सादी भाषा में समझा देते तो बहुत ही अच्छा रहता।

एक पुस्तक कृषि विभाग की ओर से "खरीफ अभियान" के बारे में निकली है। उसका मतलब तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की पैदावार की जाय उसके लिये मिट्टी की परीक्षा करना आवश्यक है। उसकी भाषा देखिये।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

"खरीफ अभियान के अन्तर्गत भूमि की उर्वरा शक्ति व मूल गुणों की जांच के लिये बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम तैयार किया गया है। कृषि कालेज के विद्यार्थियों की सहायता से, त्वरित वैज्ञानिक रीतियों द्वारा गांव-गांव में मिट्टी की जांच की जायगी। जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सामान्य ज्ञान हो सके और इस ज्ञान से खाद व उर्वरकों की किस्म छांटने व मात्रा तय करने में सहायता मिल सके। यह ज्ञान भविष्य में, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने व अधिक उत्पादन में विशेष सहायक सिद्ध होगा।"

यहां इस प्रकार की पुस्तकें निकालने के लिये कागज खराब करना है और एनर्जी वेस्ट करना हो तब तो ठीक है वर्ना ऐसी भाषा का प्रयोग करके पुस्तकें निकालने की आवश्यकता नहीं है। सीधी-सादी भाषा में लिखा हुआ होगा तब तो साधारण लोग समझ सकेंगे।

यह बीमारी एक ही विभाग की नहीं है। समाज-कल्याण विभाग ने भी एक पुस्तिका निकाली है "उत्थान की ओर"। समाज कल्याण विभाग का काम है पिछड़ी जातियों में काम करना। यदि पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण करने के लिये इस तरह की भाषा काम में लाई जाती है जिसका एक शब्द उनके समझ में नहीं आता तो उससे क्या फायदा है। खेती के औजारों तथा मकान बनाने के लिये आदिवासियों को सरकार के वन विभाग की ओर से कुछ सुविधाएं दी गई हैं उनके बारे में इसमें लिखा है। मैं ज्यादा समय न लेकर संक्षेप में बताऊंगी। इसमें लिखा है:

"....राज्य की ओर से आदिवासियों को जो कृषि प्रसाधान के लिये व मकान बनाने के लिये विशेष सुविधाएं जो आदेश संख्या एफ. १।४२८। फॉरेस्ट। ४६, दिनांक १३ मार्च, १९५१ के अनुसार प्रदान की हैं, वे परिशिष्ट संख्या २८ पर देखिये।"....

श्री दौलतराम सारण (उपमन्त्री) : राजस्थानी में बोला जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री विजयसिंह झाला : हिन्दी पुस्तक में से जो बोल रहे हैं उसका ट्रान्सलेशन राजस्थानी में कर दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : एक नमूना और समाज-कल्याण विभाग द्वारा निकाली गई पुस्तिका में से नजर करती हूँ:

"दो आयुर्वेदिक वैद्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में रखे गये हैं, जिनका काम गांवों में इस कार्य के लिये घूमना है। निःशुल्क औषधि-वितरण की व्यवस्था पर्याप्त लोकप्रिय और लाभप्रद सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक व एलोपैथिक दवाईयों की पेटियां भी तैयार की गई हैं जिनकी आवश्यक सूचना की पुस्तकों के साथ प्राथमिक पाठशालाओं में व्यवस्था की गई है।"

अब भला आदिवासी क्या समझेंगे कि एलोपैथिक क्या होता है और निःशुल्क औषधि वितरण क्या होता है। यदि सरकार

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

को उनके पास इत्तिला भेजनी थी तो सीधे सादे शब्दों में कहा होता :

"दो वैद डूंगरपुर बांसवाड़ा में राखिया जो गांम गांम फिरेला। मुफ्त में, बिना पइसा लियां दवायां बांटेला। लोगों ने ओ कांम घणां पसन्द आया। वैदगरी ओखदां, डाक्टरी दवायां री पेटियां त्यार करली धी है। सगली जाणकारी स्कूलों मोंय हैं, पोथियां छाप ने देय दी थी। मदरसों में जाय पूछताछ करो।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, छूआछूत को लेकर आम लोगों को बताया जाता है कि छूआछूत दूर करना चाहिये। इसके लिये भी कैसे शब्द प्रयोग में लाये जाते हैं :

"अस्पृश्यतारूपी राक्षसी को लोगों के दिलों से निकाल फेंकने के लिये हम लोग ऐसे वातावरण का निर्माण करें आदि आदि।"

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से समाज-कल्याण विभाग की तरफ से ऐसे कुछ पोस्टर्स छपे हैं जो गांवों में लगाये जाते हैं। पोस्टर्स गांवों में लगाने का मतलब यह है कि लोगों की नजर उन पर पड़े और नजर पड़ते ही वे लोग उसको समझें। इन पोस्टरों में कुछ ऐसे वाक्य लिखे जायं जो लोगों की समझ में आवें और लोगों की जबान पर चढ़ जायं। उनको स्कूल के विद्यार्थी भी पढ़ें और उनके द्वारा लोगों के दिमाग में चले जायं। लेकिन इन बड़े बड़े पोस्टरों में, जिन पर हजारों रुपये खर्च होते हैं, लिखा जाता है :

"अस्पृश्यता का व्यवहार करना तथा उसको प्रश्रय देना कानूनी अपराध है।" सीधे-सादे शब्दों में लिख देते कि "भेद-भाव करणों मोटो पाप है जो करेला विणने राजदण्ड मिलेला। यदि हमें उनके पास संदेश पहुंचाना है तो सीधी सादी भाषा में लिखना होगा।

अध्यक्ष महोदय, इन सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से दो तरह की पब्लिसिटी होती है। एक तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में और दूसरी प्रोत्साहन देने के बारे में। दोनों तरह की पब्लिसिटी इस तरह से की जाती है कि उसमें हजारों रुपये वेस्ट होते हैं और इनर्जी वेस्ट होती है और जिनके लिये पब्लिसिटी की जाती है वे उसे समझते नहीं, तो ऐसे प्रचार से क्या फायदा हो सकता है!

जब से हमारे यहां के कृषि प्रसारण अधिकारी गांवों में जाते है तो पहले तो किसान उनको देख कर चौंक जाते हैं। उसके बाद जब वे खेती के बारे में उनसे बात करेंगे तो बड़े-बड़े अंग्रेजी के शब्द प्रयोग में लाकर बात करेंगे। किसान के समझ में कुछ आयेगा नहीं और वे समझेंगे कि फसल को बड़ी भयङ्कर बीमारी लग गई है। इससे उन पर उल्टा असर पड़ जाता है।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, पशु प्रसारण अधिकारी लोगों के पास गांवों में जाते हैं तो वे बड़े-बड़े रोगों के नाम ले लेते हैं कि इसको तो टिटेनिस हो गया। किसान समझेंगे कि भयानक रोग लग गया है। सीधे सादे शब्दों में बता देते कि गठिया रोग हो गया है तो ये आसानी से समझ जाते।

Page No. 47

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

इसी तरह कृषि को लेकर कई तरह के अभियान चले लेकिन उनके नाम बड़े अटपटे रखे। मिसाल की तौर पर 'मेड़ बन्दी' अभियान चला। उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली क्योंकि मेड़-बन्दी नाम ऐसा है कि किसान के समझ में नही आता। किसान 'मेड़-बन्दी को समझते हैं कि हमारे यहां मेंढक पालने के लिये कहते हैं। इसके बदले सीधे सादे शब्दों में उनसे कहते हैं कि भाई पानी से जमीन का कटाव होता है, इस वास्ते डोली नांक दो, तो किसान फौरन समझ जायेंगे कि पानी के कटाव से नुकसान होता है इसलिए डोली डाल दी जाय। यदि देखा जाय तो कई उदाहरण, अध्यक्ष महोदय, दिये जा सकते हैं। यह बात नहीं है कि हमारे यहां राजस्थानी में टेक्निकल शब्द नहीं हैं। पशुओं की बीमारियों के लिये, पौधों की बीमारियों के लिये कई प्रकार के टेक्निकल शब्द हैं उनका हम क्यों नहीं प्रयोग करें। ऐसे शब्दों को सुन कर कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आज एडवान्स्ड युग में जो मुल्क प्रगतिशील हैं उन्होने बड़े बड़े अनुसन्धान किये हैं, उन लोगों ने बड़े बड़े एक्सपेरिमेन्ट्स किये हैं। यूनेस्को में इसके लिये एक डिपार्टमेन्ट है। जिसकी शाखा हमारे यहां जोधपुर में खोली है उसमें कई देशी और विदेशी विद्वान काम करते हैं। वे पशुओं के वनस्पतियों के बीमारियों के अलग अलग तरह से किस प्रकार नाम हैं उनकी माइन्यूट सर्वे करते हैं। उनका कहना है कि जब तक लोकल बातों का माइन्यूट सर्वे नहीं किया जायगा तब तक वैज्ञानिक खोज नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार और मन्त्री महोदय से सिफारिश करना चाहती हूँ, सुझाव देना चाहती हूं वह यह है—एक तो यह कि किसानों और ग्रामीणों के लिये जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उनका माध्यम राजस्थानी भाषा होनी चाहिये। सारी पुस्तकें राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होनी चाहिये। फिल्मों के जरिये जो प्रचार किया जाता है तो लोग देखने के लिये जरूर आते हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि इन फिल्मों की साउन्ड राजस्थानी भाषा में हो। मैंने सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के डाइरेक्टर से बात की और उनसे कहा। उन्होंने स्वयं ने भी कहा कि जनता के अन्दर तक बात पहुंचानी है तो यह साउण्ड राजस्थानी भाषा में होनी चाहिये।

उसके बाद मैंने समाज-कल्याण विभाग के डाइरेक्टर से बात की और उनसे कहा कि सीधी सादी भाषा में आप अपनी पुस्तिकाएं क्यों नहीं निकालते? तो उन्होंने कहा कि इससे तो हमारे को और भी सुविधा हो जायगी, क्लिष्ट और जटिल भाषा में निकालना तो और भी मुश्किल होता है। मन्त्री महोदय, मैं आप से अर्ज करूंगी, अभी गुजरात राज्य में इस प्रकार का एक्सपेरीमेंट किया गया है। मन्त्री महोदय! मन्त्री महोदय!! आपके लिए में अर्ज कर रही हूं........

श्री मथुरादास माथुर (मन्त्री, जन-सम्पर्क विभाग): मैं सुन रहा हूं।

Page No. 48

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : गुजरात राज्य ने इस प्रकार का एक्सपेरीमेंट किया है कि गुजराती भाषा में विकास-गीत बनवाये हैं और उनको ग्रामोफोन की रिकार्ड में भरवा कर उनसे विकास-कार्यों में मदद ली जा रही है। मैं आपके सामने नम्र निवेदन करूंगी कि इस सम्बन्ध में हम भी इस प्रकार के प्रयोग करें और जितने भी प्रचार और प्रसार के साधन हैं उनको राजस्थानी भाषा के माध्यम से ही करें। आज स्थिति यह है कि जब क्लिष्ट और परिस्कृत भाषा में उनको प्रचार पत्र और अन्य सामग्री भेजते हैं तो वे उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ कि आप चुनाव के समय कौनसी भाषा का प्रयोग करते हैं ! उस समय अगर जनता की भाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग नहीं किया गया तो लाखों लोगों तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। आपके जितने भी पेम्फलेट होते हैं वे सब राजस्थानी भाषा में होते हैं। अभी पिछले चुनाव में नागौर की कान्स्टीट्यूएन्सी से डे साहब खड़े हुए थे। वे जब वहां आये थे तब अपने साथ अंग्रेजी में छपे हुए पेम्फलेट का पुलिन्दा बांध कर लाये थे। जब हमारे मुख्य मन्त्री जी ने उनको देखा तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनको फेंका और दुबारा राजस्थानी भाषा में पेम्फलेट तैयार करवाये। मैं उप मन्त्रीजी से सीधा सवाल करूंगी कि जब उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी में चुनाव हुए थे तब उन्होंने मेवाड़ी भाषा में क्यों गीत गाया था-'निरंजन दादो गावे रे........

श्री मथुरादास माथुर : दादो गावेरे !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : आप अपने स्वार्थ के लिए राजस्थानी भाषा का उपयोग करते हैं तो जनता के हित में राजस्थानी। भाषा का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थानी भाषा के बारे में लोगों के विचार जानने की कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि काफी लोगों के दिमाग में राजस्थानी भाषा के लिए कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं। उनका जो भ्रम है उसको मिटाने के लिए और राजस्थानी भाषा की लोकप्रियता के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। सबसे बड़ा जो भ्रम फैला हुआ है, मैं तो यह कहूंगी कि फैलाया हुआ है क्योंकि आम जनता के दिमाग में वह भ्रम नहीं है लेकिन जो शिक्षित कहे जाते हैं और जिनको राजस्थानी भाषा का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने राजस्थानी भाषा स्टडी नहीं की है, उनके दिमागों में भ्रम है कि राजस्थानी भाषा कोई लेंगवेज नहीं है, यह केवल डाइलेक्ट है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आठ हजार मील की दूरी पर बैठा शिकागो यूनीवर्सिटी का प्रोफेसर वेन्सफील्ड कहता है, 'भारत में मराठी, बंगला और गुजराती की टक्कर की राजस्थानी भाषा है।' मुझे दुःख है इस बात का, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा के माननीय सदस्यों को इसका ज्ञान नहीं है। एक आठ हजार मील की दूरी पर बैठा प्रोफेसर इस बात को कहता है और हमें इसकी जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसकी बात छोड़िये, संसार का भाषा विशारद इस संबंध में क्या कहता है, वह देखिये। डाक्टर ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है और इस

Page No. 49

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

तथ्य को माना है कि राजस्थानी प्राकृत भाषा है जो गुजराती के समीप है। इटली के विद्वान डाक्टर टेसिटोरी, जिन्होंने अपना सारा जीवन राजस्थानी साहित्य को अर्पण कर दिया था, ने इसको एक अलग भाषा माना है। इसके अलावा भारतीय विद्वान-राहुल सांकृत्यायन, राम विलास शर्मा और सुनीति कुमार चाटुर्ज्या जैसे महान् भाषा विशारदों ने इसे एक अलग भाषा माना है। मदन मोहन मालवीय ने भी बड़े स्पष्ट और सशक्त शब्दों में राजस्थानी भाषा के पक्ष में कहा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए, संसार के और भारतीय भाषा विशारदों की राजस्थानी भाषा के बारे में क्या राय है, उनकी सम्मति के कुछ अंश आपको सुनाऊंगी।

डाक्टर ग्रियर्सन, जो सबसे बड़े लिंग्विस्टिक हुए हैं, ने अपने ग्रन्थ 'लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया में लिखा है।

"In fact Rajasthani is nearer to Gujarati philologically than to Hindi. Gujarati and Rajasthani are hence very closely connected and are in fact little more than variant dilects of one and the same language."

डाक्टर टेसिटोरी, जिनके लिए मैंने अर्ज किया कि वे यूरोप के विद्वान हैं और उन्होंने अपना सारे का सारा जीवन राजस्थानी साहित्य को अर्पण कर दिया था, लिखते हैं।

"The vast literature flourished all over Rajasthan and Gujrat wherever Rajput was lavish of his blood to the sail of his conquest."

मदन मोहन मालवीय ने कहा है :

"Why is this Rajasthani Literature not taught in our Universities? Rajasthani is the language of brave and heroic people."

(श्री रामकिशन से) समझे न आप!

श्री रामकिशन—जी हां।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत—'Rajasthani Literature is the literature of chivalary. Its place among the literatures of the world is unique. Its study should be made compulsory for the youth of modern India. The work of the revival of the soul inspiring literature and its language is absolutely necessary. I am eagerly looking for the day when a full fledged department of Rajasthani will be established at the Benaras Hindu University, where complete facilities will be provided for teaching and research work in Rajasthani literature.'

लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य है, जहां बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में राजस्थान डिपार्टमेंट खोलने की बड़ी इच्छा थी मदन मोहन मालवीय की वहां राजस्थान यूनीवर्सिटी के अन्दर राजस्थानी भाषा के लिए सीट नहीं है—इससे ज्यादा लज्जाजनक बात इस राज्य के लिए नहीं हो सकती।

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है :

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

'The Heroic sentiment which is the essence of very song and couplet of Rajasthani is peculiar emotion of its own of which however the whole country may be proud.'

I regard them as superior even to the saint poetry. How nice it would be if they were published. Any language and literature of the world could well be proud of them."

राजस्थानी लिट्रेचर संसार की किसी भी भाषा के लिए गौरव की बात हो सकता है, अध्यक्ष महोदय।

इसके बाद प्रश्न यह आता है कि लोगों का यह ख्याल है कि जो मेवाड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी, बागड़ी अलग-अलग बोलियां बोली जाती हैं, इनके बोलने में फर्क है, बेसिक फर्क है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह प्रश्न राजस्थानी भाषा के साथ ही नहीं है। आप उदाहरण के लिए संसार की किसी भी भाषा को ले लें, जिसके बोलने में फर्क न आता हो, असेन्ट में फर्क न आता हो। मैं पूछूंगी—क्या बंगाल में बोली जाने वाली बंगाली भाषा एक है? बंगाल और कलकत्ता में बोली जाने वाली भाषा एक है? लेकिन वह लिखने में एक सी है, एक तरह ही लिखते हैं। इसके साथ ही पूना वालो मराठो और नागपुर में बोली जाने वाली मराठी एक है? दोनों जगह जो भाषा बोली जाती है उसमें फर्क है। आप भारतीय भाषाओं की बात रहने दें, जो संसार की सर्व प्रसिद्ध भाषा है अंग्रेजी उसको ले लें। अलग अलग देशों में तो इस भाषा में फर्क है ही, जैसे अमेरिका और इंगलैंड की भाषा में, लेकिन जो इंगलैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, इंगलैंड के अन्दर लन्दन का जो मजदूर वर्ग है उनकी जो भाषा है, जिसे वे बोलते हैं उसे कोकोनी इंगलिश कहते हैं। और उनकी बोली को समझने का प्रयत्न करें तो एक एम. ए. का विद्यार्थी या कोई विद्वान छः महीने में मुश्किल से समझ पायगा। उत्तरी इगलैंड में कोई कहेगा 'आई एम गॅग', जब कि दक्षिणी इंगलैंड के अन्दर कहेगा 'आई एम गोइंग' तो उन दोनों के बोलने में फर्क आता है। और जब समझ में उनकी बोली नहीं आती है तो बार बार पूछना पड़ता है। Pardon इस प्रकार की स्थिति होती है। तो यह स्थिति भारतीय भाषाओं के साथ ही नहीं बल्कि जब जगह है।

इसके अलावा उप शिक्षा मंत्रीजी सवाल उठाते हैं कि लिखित भाषा एक नहीं है। यह सवाल वे उठा सकते है जिन्हें राजस्थानी भाषा का ज्ञान नहीं है, जो राजस्थानी भाषा समझता नहीं वह ऐसा प्रश्न उठा सकता है। मैं उनको निवेदन करना चाहती हूं कि भाषा दो प्रकार की होती है—एक तो वह होती है—जो लिट्रेचर में काम में आती है, लिट्रेरी भाषा और दूसरी होती है प्रेक्टिकल लाइफ में काम में आने वाली भाषा। हमारे यहां की लिट्रेरी राजस्थानी भाषा को देखें तो उसमें कहीं भी भिन्नता नहीं मिलेगी—भले ही आप बूंदी के कवि सूर्यमलजी की भाषा को लें, जोधपुर के बांकीदास को लें या उदयपुर के करणीदानजी की भाषा को लें, या बीकानेर के पृथ्वीराजजी को इन्होंने जिस भाषा में लिखा है उनमें आप रती भर भी फर्क बता दें? तो लिट्रेरी भाषा में फर्क

Page No. 51

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

नहीं मिलेगा। अगर आपको व्यवहार में आने वाली राजस्थानी भाषा का एक लिखित स्वरूप देखना है तो आप राजस्थान के पुराने पट्टे, परवाने और खलीतों को उठा कर देख लीजिए। उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा में बिल्कुल फर्क नहीं होता था। केवल वहां का राज काज ही नहीं होता था लेकिन गवर्नर जनरल के ओफिस से भी पत्र व्यवहार होता था वह राजस्थानी में ही होता था। इसके अलावा राजस्थान के २२ रजवाड़ों को पत्र जाते वे भी राजस्थानी में ही जाते थे और उनका जवाब सभी रजवाड़ों से उसी भाषा में आते थे। इतना ही नहीं वायसराय के नाम भी जो पत्र जाते थे वे राजस्थानी में जाते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वायसराय के यहां से भी जो उनका उत्तर आता था वह राजस्थानी में ही आता था। अगर आप यह कहते हैं कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर की अलग अलग भाषायें थी तो क्या वायसराय के यहां बाइस रजवाड़ों के लिए अलग अलग मुन्शी थोड़े ही होते थे। उस भाषा का एक रूप था। यह ग्रंथ एक ही ग्रुप के हैं जो आपके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं।

तीसरा प्रश्न यह आप कह सकते हैं कि राजस्थानी के आने से हिन्दी को हानि होगी और राजस्थानी का प्रश्न उठाने से भाषायी विवाद खड़ा हो जायगा। यह आपकी शंका गलत है। किले की मजबूती उसकी बुर्जो से होती है। इसी तरह हिन्दी को हमें मजबूत बनाना है तो राजस्थानी को और प्रादेशिक भाषाओं को मजबूत बनाना होगा। इससे हिन्दी को किसी हालत में नुकसान नहीं हो सकता है। इसका उत्तर मैं न देकर काका कालेलकर जो महात्मा गांधी के सहयोगी थे उन्होंने लिखा है। उनके शब्दों को मैं आपके सामने सुना देना चाहती हूं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है।

"जो लोग प्रान्तीय भाषाओं को अपनाने के लिए तैयार नहीं वे संकीर्ण प्रान्तीयता को बढ़ाते हैं। वे ही लोग परस्पर द्वेष और अविश्वास का वायु मंडल पैदा करते हैं। राष्ट्रभाषा के बल पर प्रान्तीय भाषा की अगर हमने उपेक्षा की, और किसी भी भाषा के क्षेत्र का तनिक भी संकोच किया तो प्रान्तीयता और अविश्वास बढ़ने वाला है।"

यह काका कालेलकर ने कहा था।

लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारी राजस्थानी की स्थिति यह हो रही है कि हमारे प्रान्त में हमारी भाषा की अवहेलना की जा रही है और उसकी उपेक्षा की जाती है। आज शिक्षा का १५ करोड़ का बजट है और उस बजट में हमारे यहां इसके लिए प्रावधान रखा गया है १५ हजार का मैं यह कहूंगी, एक प्रतिशत का एक प्रतिशत मुश्किल से मातृभाषा के लिए रखा गया है। यह हमारी भाषा की कद्र शिक्षा विभाग करता है, यह इससे स्पष्ट है। जब दूसरे राज्यों में सारे काम उसमें होते हैं और उस पर काफी खर्चा किया जाता है। जब हमारी केन्द्रीय सरकार यह स्वीकार करती है कि राजस्थानी भाषा को मदद दी जावे और

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

इसकी वजह से राजस्थानी को अच्छा मौका मिल सकता है। मैं यह कहूंगी कि आज राजस्थानी के लेखकों और प्रकाशकों की जितनी ज्यादा अवहेलना राजस्थान में की गई है और कहीं नही की गई है। मैं यह कहूंगी, स्कूल लाइब्रेरियों के लिए पुस्तक खरीदी जाती हैं उनमें से कई पुस्तकें, जो अश्लीलता से भरी हैं और जो लाइब्रेरी में रखने लायक नहीं हैं, उनके लिये हजारों रुपयों के ऑर्डर दिये जाते हैं और राजस्थानी में जिनकी पुस्तकें बहुत ही नामी साबित हुई हैं उनको भी नहीं रखा जाती हैं। यदि उन पुस्तकों को लाइब्रेरी आदि में रखी जावें तो उनके प्रकाशन में बल मिलता है मगर इसकी भी अवहेलना की जाती है। उन पुस्तकों को कोई पूछता नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह हालत हमारी भाषा की हमारे यहां पर हो रही है। मैं यह निवेदन करूंगी कि यदि हमने अपनी संस्कृति खो दी और भाषा खो दी तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। स्वतन्त्रता का मतलब यही होता है कि वह देश अपनी संस्कृति को बनाये रखे। और वह तभी कायम रह सकती है जब अपनी भाषा हो। जब कि दूसरे मुल्कों में आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी भाषाओं को बढ़ावा दिया है। ऐसे ऐसे भी देश हैं जहां पर ३००० आदमी ही केवल भाषा का ज्ञान रखते थे और उनकी लिपि नहीं थी वहां पर उनकी लिपि तैयार करा कर शिक्षा दी जाती है। लेकिन आज हमारा शिक्षा विभाग समझ में नहीं आता कि इस मामले में उदासीन क्यों है? हमारे यहां पर कोई अच्छा वैज्ञानिक नहीं निकलेगा जब तक हमारी मातृ भाषा में उसको शिक्षा नहीं दी जावेगी। जो उन्नति वह अपनी भाषा के द्वारा कर सकता है वह दूसरी भाषा में नहीं कर सकता है। इसलिये अगर हमें अपने पूर्वजों की महान परम्परा को और संस्कृति को कायम रखना है, जिन्दा रखना है, तो हमें अपनी भाषा पर बल देना होगा। जो इन्सान अपनी भाषा और संस्कृति को भूल जाता है तो वह गिर जाता है। अगर हमारे पास अपनी भाषा है, संस्कृति है तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मि० डी वेलेरा से पूछा गया कि आप अपनी आजादी चाहते हैं या अपनी भाषा चाहते हैं। तो उसने कहा कि मुझे आजादी से पहले भाषा चाहिये। इसलिए आजादी से भी ज्यादा महत्व भाषा को दिया गया है। इसका यही मतलब होता है कि अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिये। अगर हम अपनी भाषा और संस्कृति को भूल जावेंगे तो सबको भूल जावेंगे। अपनी मां को भूल जावेंगे। अतः मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर दोनों मंत्रियों से निवेदन करूंगी कि आज नहीं तो कल आपको यह करना होगा। क्योंकि वह जमाना आ रहा है जब आप प्रान्तीय भाषाओं को उपेक्षा की नजर से नहीं देख सकते। जो अंग्रेजी से चिपके हुए हैं उनसे क्या आशा की जा सकती है! फिर भी, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से प्रार्थना करती हूं कि वे सब एक मत हो कर इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : जिनके संशोधन थे वे पहले प्रस्तुत कर दें।

श्री रामकिशन!

Page No. 53

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगी।

श्री रामकिशन : मैं मेरी तरफ से पहले मौका देने को तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य : आपको भी वे मौका देने को तैयार हैं !

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें मेरा संशोधन प्रस्ताव है वह यह है कि शब्द 'राजस्थानी भाषा' तथा 'में हो,' के बीचमें शब्द 'व राज्य की अन्य लोक भाषाओं को' जोड़ा जाय और 'उन भाषाओं में प्रचार हो।' जहां तक माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनके प्रस्ताव से और उनके विचारों से सहमत हूँ। कोई भी देश समाज बना नहीं सकता जब तक साधारण लोगों की भाषा, भोजन और भावना में उनकी बातों का प्रयोग नहीं किया जाता। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जब आप लोग गांवों में जाते हैं और वोट के लिए गांव वालों से कहते हैं तो उनकी भाषा में कहते हैं और जब आप शासन करते हैं तो दूसरी भाषा में करते हैं। जब आप वोट लेते हैं तो आप राजस्थानी में लोगों से बात करते हैं और जब शासन चलाते हैं सरकार चलाते हैं तो राजस्थानी में नहीं दूसरी भाषा में। एक मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि जब वे धोती कुरता पहनते हैं तो ठीक दिखाई देते हैं लेकिन जब वे पेन्ट कोट में होते हैं तो बिल्कुल नक्काल से लगते हैं। जब वे बाहर जाते हैं तो धोती कुरता पहनते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्या ने विचार रखे हैं, उनसे मैं सहमत हूँ। उन्होंने कई विद्वानों का रेफरेन्स देकर राजस्थानी को एक भाषा बताया है लेकिन यह एक भाषा नहीं यह एक बोली है। मैं उनकी भावना को पूरी तरह से समझता हूँ। राजस्थानी भाषा है या बोली है इस संबन्ध में विद्वानों के आपस में मतभेद है। राहुल सांकृत्यायन और दूसरे विद्वानों ने भाषा माना है। जैसा उन्होंने मदनमोहन मालवीयजी का जिक्र किया। उन्होंने माना है कि निश्चित तौर से यह त्याग और बलिदान का इतिहास है इसलिए इन ग्रन्थों को विज्ञान की तरह से प्राप्त करना और बनारस विश्वविद्यालय में रखना आवश्यक समझा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मीरां के भजन प्यार और त्याग के प्रतीक हैं। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन जैसा मैंने भारतीय भाषाओं के बारे में कहा कि विद्वानों ने इस बात को माना है कि राजस्थानी एक बोली भी है और एक भाषा भी है। दूसरी बात यह है कि भारतीय भाषाओं के संबन्ध में लिखा गया है उसमें यह लिखा गया है कि राजस्थानी बोली है। जिस तरह से माननीय सदस्या ने अपने विचार प्रकट किये हैं मैं कहना चाहूँगा कि उत्तरी भारत में भोजपुरी हिन्दी का ही एक रुपान्तर है वह अलग भाषा में स्थान नहीं पावेगी। जब उसकी अलग व्याकरण है, अलग इतिहास है जब कि उसके साहित्य का एक इतिहास है, उसमें ओज है, लोच है गौरवमयी गाथाएं है। मेरी तो यह मान्यता है कि पंजाबी, मराठी, गुजराती ये सब हिन्दी परिवार की

(श्री रामकिशन)

छोटी बड़ी नहिनें हैं। मैं एक भाषा से दूसरी भाषा को छोटी बड़ी बताने का न प्रयास करता हूं और न पसंद ही करता हूं। मैं अब भी कहता हूं, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जो लोग जिस भाषा में बोलते हैं, जहां के लोग जिस बोली में बात करते हैं उसी भाषा का प्रयोग वहां के लोगों के लिए सरकारी मशीनरी को करना चाहिये। आपने हिन्दी भाषा की पुस्तकें पढ़ कर कठिन और जटिल हिन्दी का जिक्र किया, मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। सरल सुग्राह्य, आम लोगों की समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। हमें राजस्थानी में हिन्दी अंग्रेजी शब्दों को लाना होगा। भाषाओं का इतिहास उठाकर देखिए, कोई भी भाषा अपने में पूर्ण नहीं होती। दूसरी दूसरी भाषाओं के शब्दों को सब भाषाओं ने अपनाया है। तो यदि हम अपनी भाषा में प्रौढ़ता, सुन्दरता, सुगमता, सरसता और हिम्मत लाना चाहते हैं तो उन दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा में लेना होगा।

तो मैं माननीय सदस्या के विचारों से सहमत हूँ पर मैं एक बात और रखता हूँ। राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग बोलियां हैं। जिन हिस्सों में भील लोग रहते हैं वे भीली बोली बोलते हैं, वे राजस्थानी को नहीं समझते, जिस तरह हिन्दी नहीं समझते उसी तरह वे राजस्थानी भी नहीं समझते, उनकी बोली भीली बोली है जिसमें राजस्थानी और गुजराती का सम्मिश्रण है। इसलिए मैंने संशोधन दिया है कि राजस्थानी भाषा में साहित्य जाना चाहिए पर इसके साथ ही साथ जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, जिन क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है उस क्षेत्र में उसी बोली में साहित्य और हमारी इस प्रकार की प्रचार सामग्री जानी चाहिए। जिस क्षेत्र में लोग जो बोली बोलते हैं उस क्षेत्र के लोगों के लिए उसी बोली का प्रयोग किया जाय। जिससे कि सरकार जो अच्छे काम करती है वे काम जनता तक पहुंच सकें और वे लोग आगे बढ़ सकें।

मेरी मान्यता है कि राजस्थान सरकार हमेशा हर कार्य में असफल रही है, फेल रही है, कुछ कामों में सफल भी हुई है पर उसकी वह सफलता गांवों तक पहुंचती नहीं है। इस सरकार का यह हाल है कि गांवों में पंचों के पास सम्मन जायेंगे तो अंग्रेजी में। तो हमें सबसे पहले इस अंग्रेजी से लड़ना है और इसे हटाना है। हमारे पड़ौसी इन्डोनेशिया में ६०० भाषाएं है पर वह राष्ट्र बना हुआ है। सोवियट यूनियन में १५ भाषाएं हैं, ८०–६० बोलियां हैं और जहां के लोग जिस बोली को बोलने वाले हैं उनके पास उसी बोली में साहित्य जायगा जिससे कि आसानी से लोग उसे समझ सकें।

किसकी क्या भाषा है, इसका अन्दाज दो तरह से लगता है, क्रोध में या प्यार में। क्रोध में या प्यार में जो बात निकलती है वह अपनी भाषा में निकलती है। कृषि मंत्रीजी बोल रहे थे तो शब्द 'टपूकड़ा' बोल गये, गुस्सा आया तो राजस्थानी में आया। जब हम अपनी पत्नियों से या दूसरों से बात करते हैं झगड़ा या प्यार में तो अपनी भाषा में करेंगे। तो प्यार और क्रोध अपनी

(श्री रामकिशन)

भाषा में होता है, दूसरी भाषा में नहीं होता। पर दुर्भाग्यवश हिन्दुस्तान में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गये है जो अधिक क्रोध आयेगा तो अंग्रेजी में बोलेंगे। ऐसे पुरातन गुलाम और नक्काल हैं। मैं पिस्तोल गोली की बात तो कहना नहीं चाहता, यही कहना चाहूंगा कि अगर आप देश को तरक्की पर ले जाना चाहते हैं तो माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

बजट को मैंने देखा नहीं कि राजस्थानी के लिये उसमें कितना प्रावधान किया गया है पर जहां तक मुझे बताया गया है और अगर वह सत्य है तो हमारे इस साल में १५ हजार रुपये की व्यवस्था राजस्थानी के लिये की गई है, यह मैं समझता हूं राजस्थानी के साथ मजाक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं चाहूंगा कि आयन्दा साल के बजट में इसके लिये समुचित प्रावधान धनराशि का किया जाय। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जो देश अपनी भाषा को मजबूत नहीं बना सकता, वह कभी मजबूत नहीं हो सकता। यदि हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी भाषा को मजबूत बनाना होगा। रूस और चीन इसकी मिसाल है।

अभी हमारे निर्माण मंत्रीजी के यहां पर एक विदेशी अतिथि आये थे वहां। हम लोगों को भी बुलाया गया था। मेरी बात कर के उन विदेशी अतिथि को बताया गया कि ये अंग्रेजी को हटाना चाहते हैं। उन्होंने मुझ से पूछा कि फिर नेशन कैसे बनेगा? मैंने कहा कि जैसे रूस बना, इन्डोनेशिया बना, मलाया बना। युगोस्लाविया, पोलैंड, हंगरी ये कैसे राष्ट्र बन गये? वे तो चुप रह गये पर हमारे यहां के जो महाशय हैं वे बराबर कहते ही गये कि बिना अंग्रेजी के भारतवर्ष नेशन कैसे बनेगा। ऐसे लोगों के लिये तुलसीदासजी ने कहा है, 'चाहे गुरु मिले विरन्ची सम' तो भी उनको कोई समझा नहीं सकता। जिस तरह सनातनी कट्टरपंथी होते हैं वह कहते हैं कि जनेऊ पहनने से धर्म होगा चाहे दिन भर कितना ही अधर्म करते रहो तो उनकी हालत उस कट्टरपंथी की तरह है। हमेशा कहते हैं हम आपका समर्थन करेंगे पर आप स्वयं के दिल में न हिम्मत है, न बुद्धि है और न सोचने की क्षमता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आप में तो है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : माननीय सदस्य अंग्रेजों से अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं पर यहां तो अंग्रेजी पढ़ते भी नहीं।

श्री रामकिशन : चूंकि वह उनकी मातृ भाषा है इसलिये उनसे उसी भाषा में बोलना चाहिये। हमारी मातृभाषा तो अंग्रेजी नहीं रही है, आपकी भी नहीं रही, आपकी पत्नी अंग्रेजी जानती हैं या नहीं–पता नहीं, दर्शन करूंगा। वे अंग्रेजी नहीं जानती होंगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं, जैसा पैसा वैसी माया।

श्री रामकिशन : इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है कि माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा है वह निश्चित रूप से हमारे

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

राज्य को आगे बढ़ाने वाला है, कुछ कल्याण करने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां सदन में तीन नारियों को बोलते देखा है, नगेन्द्रबालाजी बोलीं, लक्ष्मीकुमारीजी बोलीं, सुमित्राजी बोलीं उनको सुन कर ऐसा लगा कि नारी बोलती हैं तो हृदय से बोलती है, अन्तर्मन से पेट से बोलती हैं और उधर के नर बोलते है तो कंठ से बोलते हैं। कण्ठ से तोता बोलता है। सुखाड़ियाजी ने मालूम कितने तोते पाल रखे हैं। नगेन्द्रबालाजी बोलीं तो उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि इतने बड़े बड़े बांध बनाये, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये, हमारी योजनाएं सन्तोषप्रद प्रगति कर रही हैं, तो फिर यह अन्न की समस्या कहां से आ गई ? सुमित्राजी ने मजदूर किसानों के पक्ष में कहा। आज लक्ष्मी जी बोल रही थीं तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वे हृदय से बोल रही हैं, अपने मन से बोल रही हैं।

आपने एक किताब पढ़ी होगी, कृषि मंत्री मुख्य मंत्री, विधि मंत्री, और उप मंत्रीजी अमेरिका और विदेशों का दौरा कर चुके हैं आपने 'सेकिन्ड सैक्स' नाम की किताब पढ़ी होगी।..

श्री दलपतसिंह : आप 'नर' या 'नारी', किस तरह से बोल रहे हैं ?

श्री रामकिशन : यह तो आपके ज्ञान की पराकाष्ठा है।

आपने भी, मंत्रीजी, उप मंत्रीजी, मोती लाल जी ने भी अमेरिका की यात्रा की है, उस किताब को पढ़ा होगा 'सेकिन्ड सैक्स' को। हम प्रगतिशील समाज बनाना चाहते हैं, जो शोषित, दलित, दरिद्र हैं उनको सहारा देना चाहते हैं। उस पुस्तक में बताया गया है कि नारी नर के समान अधिकार प्राप्त करने के लिये संघर्ष निरन्तर करेगी। करना चाहिये। तो मुझे ध्यान आ रहा था कि जो नर तोते की तरह कंठ से बोलते हैं, उनको समझाया जाय तो देश का कल्याण हो सकता है।

इस प्रस्ताव का जवाब देने का जहां तक सवाल है कि शिक्षा मंत्रीजी या शिक्षा उपमंत्रीजी जवाब देने वाले हैं, उनसे निवेदन है कि कम से कम इस प्रस्ताव का जवाब तोता रटंत की तरह नहीं दें, यदि वास्तव में वे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप पेट से बोल रहे हैं ?

श्री रामकिशन : बड़ी मुश्किल है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं।

तोते का स्वभाव होता है-चाहे चना खिलाओ चाहे दाल खिलाओ वह तो सीताराम सीताराम ही कहेगा। उसके मालिक ने उसको पिंजरे में बन्द कर रखा है तो जैसे वह तोते को कहता है कि सीताराम कहो, तो वह तो सीताराम ही कहेगा। तो कांग्रेस दल के सदस्य ऐसे मालूम पड़ते हैं कि जैसे तोते हैं और सुखाड़ियाजी चाहे उनको विशमिश खिलाएं चाहे चने खिलाएं और जैसा भी उनसे कहें, तो वे तोते की तरह एक ही बात कहेंगे, उनको मालूम नहीं कि जो प्रस्ताव जिस ढंग से

Page No. 57

(श्री रामकिशन)

आया उसका समर्थन उसी ढंग से करें । माननीय सहकारी मन्त्री हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्या ने प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन किया जाय । राजस्थानी एक बोली है, उसको पूरी तरह से प्रोत्साहन दिया जाय ताकि वह जनता के ज्यादा नजदीक आ सके । लेकिन माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें एक संशोधन पेश करता हूँ कि इस प्रस्ताव में राज्य की अन्य लोक बोलियां खास तौर से भीली भी शामिल की जाय तो अच्छा होगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रस्ताव जिस रूप में माननीय सदस्या ने रखा है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : I rise on a point of order, Sir अभी माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने इस प्रस्ताव के समर्थन में विचार रखे मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, उन विचारों से मैं सहमत हूं लेकिन एक विचार आपकी व्यवस्था के लिए इस सदन में पस्तुत करना चाहता हूं । माननीय सदस्या जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है उनके साथ मुझे पूरी सहानुभूति है, जैसे उप शिक्षा मन्त्री को भी है, लेकिन आप इस प्रस्ताव को पढ़े तो यह लिखा है :

"यह सदन सिफारिश करता है कि सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा ग्रामीण जनता के लिए प्रकाशित किया जाने वाला प्रचार साहित्य राजस्थानी भाषा में हो।"

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग राज्य सरकार का एक विभाग है । इसके द्वारा सारा काम राजस्थानी भाषा में हो। इसका मतलब यह हुआ कि राज काज कुछ काम एक विभाग का काम राजस्थानी लैंगुएज में हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान की धाराओं ३४४, ३४५, ३४६ और ३५१ की ओर दिलाना चाहता हूं जिनमें लिखा है :

"345. Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languases to be used for all or any of the official purposes of that State.

Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the conmencement of this Constitution."

347 में लिखा है ।

"347. On a demand being made in that behalf, the president may if he is satisfed that a subtustantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recogtuniseb by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughtou that State or any part thereof for such purposes as he may specify."

३४७ में यह सदन यह मांग कर सकता है और प्रेसिडेन्ट महोदय को सिफारिश कर सकता है कि ऐसी ही लैंगवेज, चाहे मारवाड़ी कहिये, खड़ी बोली कहिये, हाड़ौती कहिये, मेवाड़ी कहिये, राजस्थानी कहिये, वह पर्टीकुलर लैंगवेज जो पर्टीकुलर पापुलेशन बोलती है उसको रिकाग्नाइज कर लिया

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

जाय और आर्टीकल ३४७ में प्रेसिडेन्ट महोदय कर सकते हैं। धारा ३४७ में यह नहीं किया गया। धारा ३४५ में यह नहीं किया जा सकता। जिसको राजस्थान विधान सभा ने एडोप्ट किया है वही ओफिशियल लैंगवेज है ऐसी मेरी मान्यता है, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान सरकार ने कानून के द्वारा जो भाषा निर्धारित की है राज-काज के लिए वह अलग है और राजस्थान सरकार ने राजस्थानी भाषा को एडॉप्ट नहीं किया है। धारा ३४७ के अन्तर्गत इसको एडॉप्ट करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करें--इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा रामकिशनजी ने भी कहाकि बृजभाषा अलग है, पर्टीकुलर जगह के लिए लोग बोलते हैं। कहीं मारवाड़ी, कहीं बृज और कहीं मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, अलग-अलग जगह अलग-अलग बोलियां बोली जाती हैं। इसलिए इसके लिए पहले राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश कर दें, आदेश जारी हो जाय उस के बाद इस प्रकार का संकल्प आ सकता है लेकिन जब तक ऑफिशियल लैंगवेज स्टेट की है कानून के द्वारा जब तक उसमें यह नहीं होगा तब तक राज्य के काम-काज में अन्य किसी दूसरी भाषा के बारे में सरकार को यह सदन सिफारिश नहीं कर सकता। इसलिए यह संकल्प रिडन्डेन्ट है और सरकार इसको इम्पलीमेन्ट नहीं कर सकती। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्या इसको संशोधित करें। मुझे उनके विचारों के साथ पूर्ण सहानुभूति है कि राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर जो बोलियां बोली जाती हैं वहां उनमें राज-काज हो। उसको ग्रामीण समझ सकें। अतः माननीय सदस्या इसमें आवश्यक संशोधन कर लें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि ऑफिशियल लैंगवेज बनाने के लिए यह नहीं रखा गया है। केवल प्रचार के कार्य में इसको काम में लाने के लिए यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारी राजस्थानी भाषा को संविधान में सम्मिलित करने के लिए आज का यह रिजोल्यूशन सहायक हो। यदि सदन इसको स्वीकार करले तो संविधान में इस भाषा को सम्मिलित कराने में मदद मिलेगी और तब ही यह इम्पलीमेन्ट हो सकेगा नहीं तो नहीं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो वैधानिक आपत्ति उठायी है आप उसका जवाब दे रही हैं ?

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि कानून में नहीं है और प्रचार में नहीं आयेगी तथा तब तक वह भाषा काम में नहीं ली जा सकेगी इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रचार कार्य के लिए इसको काम में लाया जाय तो धीरे २ यह स्थिति आ जायगी कि उसका कानून में भी प्रयोग होने लगेगा। जैसा रामकिशनजी ने कहा वह सत्य है अलग-अलग राजस्थान में बोलियां हैं। और यदि उनको प्रचार कार्य के द्वारा सामने लाया जाय तो उसके लिए फिर एक कमेटी का निर्माण किया जा सकता है जो कि यह तय करेगी कि कौनसी बोली राजस्थानी भाषा का रूप ले।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी ने एक वैधानिक आपत्ति की है कि इस संकल्प पर बहस नहीं हो सकती क्योंकि राजस्थानी भाषा मान्यता प्राप्त भाषाओं में नहीं है जो कि हमारे संविधान में उल्लिखित है। इसलिए राज्य का सारा कामकाज केवल मान्यता प्राप्त भाषाओं में ही किया जा सकता है। जैसा उन्होंने स्वयम् ने संविधान में से पढ़ कर सुनाया कि ऑफिशियल परपजेज के लिए यह जो बन्दिश है या जो संविधान में हमारे प्रावधान हैं वे केवल सरकारी कार्यों के लिए हैं, 'ऑफिशियल परपजेज' यह शब्द वहां इस्तेमाल किया गया। अगर संकल्प इस प्रकार का होता कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में सरकारी कार्यों के लिए या प्रशासनिक कार्यों के लिए हिन्दी के बजाय राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाय तो स्वभावतया संकल्प अस्वीकार होता। लेकिन प्रचार साहित्य अमुक भाषा में वितरित हो, मैं नहीं समझता कि वह ऑफिशियल भाषा की परिभाषा में आता है। और भी बोलियां हो सकती है जिनमें प्रचार साहित्य निकाला जा सकता है। इसलिए संविधान का उल्लंघन होता हो और ऑफिशियल परपजेज की परिभाषा में आता हो और संविधान के लागू होने पर उस भाषा में किया जा सकता हो—ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि यह जो संकल्प आया है वह अवैधानिक है और उस पर विचार करना नियमों के विरुद्ध है। इसलिए इस आपत्ति को अस्वीकार करते हुए मैं माननीय श्री झाला से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन उपस्थित करें।

श्री रामकिशन : नगेन्द्रबालाजी बोल रही हैं।

श्री विजयसिंह झाला : उन्हें कहीं जाना है। उन्हें बोलने दिया जाय।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, यो जो संकल्प आयो छे ईंको म्हूं समर्थन करू छूं। राजस्थान के भीतर गावों में करसा बसे छे। ई शूं वाने समझावा के वास्ते ज्यादा सूं ज्यादा प्रचार राजस्थानी में होणो चायजे। या बात बिल्कुल ठीक छे, म्हूं आपणो पक्ष माननीय सदस्याजी ने दूं छूं।

पणई क साथे जो एक गलत धारणा छे ऊंको निवारण करणो भी जरूरी समझूं छूं। माननीय सदस्याजी ने राजस्थान में बोली जावा वाली अलग अलग भाषाओं को उदाहरण देतां थकां बतायो क ईं में कोई फरक कोइ न, अर उदाहरण में बांकीदासजी, सूर्यमल जी, पृथ्वी राज जी अर करनी दान जी को नाम लियो के यां की भाषा में कोई फरक को इन तो मूं यां बात स्पस्ट करबो चाऊं छूं क या भाषा काव्य की भाषा छे। राजस्थानी काव्य की या डिंगल भाषा छे जी में कोइ भेद हो न सके। काव्य की भाषा में भेद न होवे। बोली और काव्य की भाषा में फरक होवे छे। राजस्थानी साहित्य डिंगल भाषा में लिख्यो गयो। ज्यां का नाम माननीय सदस्याजी ने लिया, मदन मोहन मालवीय, राहुल सांकृत्यायन क याने राजस्थानी भाषा की मुक्त कंठ सूं तारीफ करी तो वो तारीफ राजस्थानी डिंगल काव्य की करी छे। यो ऊं काव्य छे। जी ने, क्षत्राण्यां सूं जौहर करवाल्या, युद्ध में

Page No. 60

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

वीरां का माथा कटवा दिया, भागता थका कायरां ने पाछा रण करवा ने मोड़ दिया। मनें एक उदाहरण याद आवे छे के जोधपुर दरबार जसवंत सिंह जी जद युद्ध शूं पाछा भाग र घर ने आग्या तो वां की हाड़ी राणी जी ने वां शूं खी के आप चूड़्यां धारण करो अर तलवार मने दो। क्यूं क तलवार की झणकार आपने नी भावे या चूड़्यां की झणकार सुणो। ईं मार्मिक ताना पर ज्यों राणी जी ने दोहा में वर्णित कर्यो दरबार बीं वगत पाछा फरग्या अर युद्ध में काम आया। तो भाषा अर बोली में यों अन्तर छे। बार बार या चर्चा चाले के राजस्थानी भाषा कसी ? मारवाड़ को मारवाड़ी, मेवाड़ की मेवाड़ी, हाड़ौती की हाड़ौती तो बोली तो सब जगे की न्यारी न्यारी छ। ईं बास्ते म्हूं भी चावूं छूं क प्रचार साहित्य अलग अलग बोल्यां में प्रकाशित होवे तो धीरे धीरे कोई एक बोली को निराकरण करणो आसान छे। यो आवश्यक छ। क्यूं क म्हां सब रात दिन हिन्दी न बोलां। आपणा गांव को कोई मिले तो उठे की बोली में बात करा छा। म्हूं तो आप शूं पूछूं छूं के कोई मारवाड़ को जोधपुर को आदमी आव तो अध्यक्ष, जी, आप भी मारवाड़ी में बात करो छो, हिन्दी में न बोलो। आपणी बोली में ज्यों ममत्व छे ज्यो लगाव छे ऊं हिन्दी में कोइ न बल्कि ई में एक और दिक्कत आती जारी छे क धीरे धीर या उठती जारी छे अर आबा वाला शायद या बी न जाणेगा क क राजस्थानी काई छ। म्हां खुद या महसूस करबा लाग ग्या क आपस में बात करां जद तो आराम सूं कर लां, पण व्याख्यान में भाषण बाजी फ्लो क साथ न कर सकां। पेली भी रियासतां अपणा राज का आपणी बोल चाल की भाषा मे करे छी। ईं वास्ते म्हारी अर्ज छे क प्रचार कार्य राजस्थानी में कर्यो ग्यो तो ईं भाषा को प्रचार हो वगो अर एक बोली ज्यो सब जगे समझ में आवे ऊं को निर्णय हो जावेगा राजस्थानी भाषा की पूरी व्याकरण छे। यां मालदार भाषा छे। ई ने यूं ई खैर टालबो चोखो कोई न। बंगाली, गुजराती, मराठी सब भाषा वां सूं अधिक साहित्य राजस्थानी में छे। ज्यो राजस्थानी का प्रचार शूं ही आगे आवेगो। यो संकल्प सरकार ने स्वीकार करणो चायजे।

श्री अलदाराम मेणा (सुमेरपुर सु०) : राजस्थानी भाषा जगह जगह की न्यारी न्यारो है। सिरोही की अलग, बीकानेर की अलग, जोधपुर की अलग, गंगानगर की अलग। चूरू की अलग अलग। उदयपुर को अलग। राजस्थानी भाषा में सब नहीं समझ सके। हिन्दी में सब समझ सके हैं। दूसरे प्रान्त में चल्यां जावां तो वे राजस्थानी में नहीं समझेला किन्तु हिन्दी में समझ सके।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : थां बोल रह्या हो जो तो मूं समझूं।

श्री अलदाराम मेणा : राजस्थानी भाषा में म्हारी बोली है, हिन्दुस्तानी भाषा में तो सब समझ जावेला। दलपतसिंह जी बोलेगा ता सिरोही में बोलेगा, किसानां की भाषा में तो समझ ही न सकेगा। मैं बोल रह्यो हूँ तो जो जोधपुर सूं मिलती जुलती भाषा है। भीनमाल की है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : खुद बोल रह्या हो ।

श्री अलदाराम मेणा : राजस्थानी भाषा के वास्ते तां मूं सहमत नहीं हूं । हिन्दुस्तानी भाषा में तो ठीक रहेला ।

श्री विजयसिंह झाला : (नाथ द्वारा) : अध्यक्ष महोदय, माननोय सदस्या ने जो यह संकल्प रखा है, मुझे दुःख है कि मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा । जिस रूप में उन्होंने यह संकल्प रखा है मैं ऐसा समझता हूं कि जो हमने एक लक्ष्य बना रखा है, एक राष्ट्र का उद्देश्य बना रखा है हिन्दी के प्रचार का उसमें बाधा पहुंचेगी । ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि हम एक प्रान्तीय भाषा के मोह में पड़ कर, उसकी ममता में पड़ कर बगैर सोचे समझे कोई इस प्रकार का कदम उठायें जिसकी वजह से हमने जो एक उद्देश्य बना रखा है कि शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी भाषा को भारतवर्ष की झोंपड़ी २ तक पहुंचाया जाय, भारतवर्ष का बच्चा २ हिन्दी भाषा को समझे यह एकमात्र हमारे सामने लक्ष्य है और इसकी पूर्ति के लिए जो भी हमारी ममता है अपनी प्रान्तीय भाषा के प्रति, जो भी हमारा अपना मोह है अपनी मातृभाषा के प्रति उसको तिलांजली देनी पड़ेगी ।

(श्री भीमसेन सभापति, पदासीन)

(म० पू० १०.४२)

सभापति महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज से दो दिन पूर्व हिन्दी के प्रति जो एक यहां अपमान दिखाया गया और जिसको लेकर यहां संघर्ष हुआ । कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं । माननीय रामकिशनजी ने भी रखा कि जन सम्पर्क कार्यालय का साहित्य अन्य लोक भाषाओं में भी हो । मुझे खेद है कि मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता । आज हम हिन्दी के लिए कदम उठाना चाहते हैं, उसके प्रचार के लिए कार्य करना चाहते हैं, हिन्दी को जल्दी से जल्दी घर घर तक पहुंचाना हैं उसमें इस प्रकार के संशोधनों से और संकल्पों से रुकावट पैदा होगी । एक साधारण व्यक्ति के पास साहित्य की कोई भी पुस्तक पहुंचे चाहे जन सम्पर्क विभाग से हो या और किसी विभाग से हो लेकिन वह सरल और सस्ती होनी चाहिए । उसमें भाषा का प्रयोग हिन्दी में किया जाय और वह सरल हिंन्दी में किया जाय बजाय राजस्थानी के । संविधान जब बनाया गया था तो इस बात की प्रतिज्ञा की गई थी कि राज्य के समस्त विभागों में हिन्दी में कार्य होगा अमुक अवधि के बाद । उसके बावजूद भी अंग्रेजी को कायम रखने के लिए केन्द्रीय सरकार में और प्रान्तीय सरकारों में इस प्रकार का कानून लाया जा रहा है । हम संविधान में जो उल्लिखित तिथि निर्धारित की थी उसको कायम नहीं रख सके, उस प्रतिज्ञा को नहीं कायम रख सके जो हमने संविधान बनाते समय ली थी और प्रान्तीय भाषाओं के चक्कर में फंस गये । प्रान्तीय भाषाओं को लेकर बड़े बड़े संघर्ष हुए । इसलिए यह संकल्प रखा गया है मैं उसका कदापि समर्थन नहीं कर सकता । यहां पर हिन्दी का प्रसार हो रहा है, हिन्दी में पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है वहां यह प्रस्ताव यह चाहता है कि जन सम्पर्क कार्यालय का

(श्री विजय सिंह झाला)

इस प्रकार का प्रकाशन राजस्थानी भाषा में किया जाय ।

सभापति महोदय, पहले तो हमें राजस्थानी भाषा का एक रूप निर्धारित करना होगा । आज हमारे सामने राजस्थानी भाषा का स्वरूप निर्धारित नहीं है । राजस्थानी का भाषा जो साहित्यिक है जो उसके साहित्यिक शब्द हैं यहां राजस्थान में जहां ६० प्रतिशत लोग हिन्दी भाषा को समझते हैं राजस्थानी भाषा के साहित्यक को पचास प्रतिशत लोग भी समझ नहीं पायेंगे । मैं यह भी मानता हूं कि राजस्थानी भाषा का अपना एक विशेष महत्व है, राजस्थानी भाषा के अन्दर वीर रस श्रृङ्गार रस आदि अद्भुत रूप से आलोकित हैं । इसकी विशेषता को हम मानते हैं, इसकी विशेषता को कायय रखने के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उद्देश्य निर्धारित किया गया है कि हिन्दी भाषा हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा होगी जिसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, उस हालत में राजस्थानी को हमारे यहां की भाषा के रूप में स्वीकार करने में हम असमर्थ हैं । जहां तक इसकी विशेषता का सवाल है इसको कायम रखा जाना चाहिये ।

जहां तक राजस्थानी भाषा की उन्नति के लिये कम बजट शिक्षा मन्त्री द्वारा रखा गया है उसको बढ़ाने का हम समर्थन कर सकते है । राजस्थानी भाषा की वीररस की पुस्तकें, श्रृंगार रस की पुस्तकें जो हैं और अन्य साहित्यिक पुस्तकें हैं उनको जितना संरक्षण शिक्षा विभाग देना चाहे दे सकता है लेकिन जिस प्रकार से जिस रूप में यह संकल्प रखा गया है कि आज हमारी योजना के लक्ष्य की प्राप्ति इसलिये नही हो रही है कि इस सम्बन्धी प्रकाशन हिन्दी में हो रहा है इसलिये नहीं हो रही है-यह मानना गलत है । यह हिन्दी के साथ अपमान है । यह उसकी प्रगति में होगा । मैं यह नहीं मानता कि राजस्थानी भाषा में इन पुस्तकों के प्रकाशन हो जाने से हमारी योजनाओं का लक्ष्य पूरा हो जायगा । यह मानने के लायक नहीं है । आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, संविधान द्वारा किया हुआ है कि १९६५ तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में आरूढ़ कर देंगे । अगर इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो यह हिन्दी की प्रगति में बाधक होगा । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता । इसलिए इस संकल्प को सीमित बनाने के लिए मैंने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है शब्द 'में' और 'हो' के बीच शब्द 'भी' निविष्ट किया जाय।।'

सम्भव हो सके तो कुछ साहित्य राजस्थानी भाषा में जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है । क्लिष्ट हिन्दी शब्दों के बजाय कोष्ठक में राजस्थानी शब्द लिये जा सकते हैं । राजस्थानी भाषा को महत्व दिया जाय इसके खिलाफ मैं नहीं हूं लेकिन सारा साहित्य प्रकाशन विभाग का राजस्थानी भाषा में हो यह उचित नहीं मान सकता । भरतपुर में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है उदयपुर के लोग उस भाषा को समझ नहीं सकते, डूंगरपुर की भी भाषा को जोधपुर वाले समझ नहीं सकते, धौलपुर की भाषा को डूंगरपुर वाले समझ नहीं सकते—इसलिए हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग है एक दूसरा समझ नहीं सकता....

Page No. 63

श्री मथुरादास माथुर : इस प्रस्ताव को कितने समय तक लिया जायेगा ?

श्री सभापति : up to twelve.

श्री विजयसिंह झाला : जिस रूप में माननीय सदस्या ने यह प्रस्ताव रखा उसमें मैं अपना संशोधन रखते हुए प्रार्थना करूंगा कि यदि इसे स्वीकार किया जाय तो मेरे अमेन्डमेंट के साथ स्वीकार किया जाय।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय....

श्री मुरलीधर व्यास : इस संशोधन का विरोध करना है।

श्री सभापति : आप पहले संशोधन प्रस्ताव रखने दीजिये।

श्री अब्दुल जब्बार : जैसा कि एक माननीय सदस्या ने राजस्थानी भाषा के संबंध में अपना प्रस्ताव रखकर इस बात की इच्छा प्रकट की कि राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन मिले, तो जहां तक इस संकल्प का प्रश्न है केवल भाषा को ही नहीं प्रचार को भी प्रोत्साहन इससे मिलेगा। यह प्रस्ताव वास्तविक में मनन करने योग्य है।

राजस्थान सरकार जन साधारण तक अपनी पॉलिसियों और प्रोग्रामों को बिना इसके माध्यम के नहीं पहुंचा सकती क्योंकि राज्य की बहुत अधिक जनसंख्या गांवों में रही हुई है और वे हिन्दी से बहुत ज्यादा अधिक अच्छी तरह अपनी मातृभाषा के माध्यम से कोई बात समझ सकते हैं। केवल ३२ लाख लोग शहरों में बसते हैं जो पढ़े-लिखे भी हैं और हिन्दी के माध्यम से ही समझ लेते हैं।

मैं तो दाद देता हूं माननीय सदस्या की उपज को कि जो जन सम्पर्क विभाग आज दिन तक बड़े-बड़े आदमियों के फोटो लेने, बड़ी-बड़ी पार्टियों में शरीक होने और शहरों में सिनेमा दिखा देने और नुमाइश लगाने तक ही सीमित था, उस जन सम्पर्क विभाग को इस राजस्थानी भाषा के माध्यम से गांव के घर-घर में पहुंचने का रास्ता बता दिया।

वास्तविक स्थिति तो यह है कि जैसे कल खाद्य मन्त्रीजी बता रहे थे कि हम अन्न ज्यादा खाते हैं, दूसरी चीजों का इस्तेमाल अपने खाने में नहीं करते। तो हकीकत में यह प्रचार की खामी ही है। कारबोहाइड्रेट और केलोरीज का हमारे खाने में क्या अनुपात हो—अगर यह बात यह जन सम्पर्क विभाग मारवाड़ी के माध्यम से गांवों में पहुंचाए तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। असल में आज इस बात की आवश्यकता है। यह युग प्रचार का है। इसे हम एटम युग गिनते हैं, पर प्रचार का युग भी गिनते हैं। पुरानी जबान में भी कहा जाता है कि बोलने वाले के बाकले भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले के मोती भी धरे रह जाते हैं।

तो इस तरह से आज हकीकत में प्रचार की बहुत आवश्यकता है और इस राजस्थानी भाषा के माध्यम से सरकार का प्रचार छोटे से छोटे गांव तक पहुंच सकते हैं और प्रचार के द्वारा वह मकसद हासिल कर सकते हैं जो कानून के द्वारा आप नहीं कर सकते। आज गेहूं की समस्या को लेकर परेशान हैं। राजस्थान की

(श्री अब्दुल जब्बार)

जनसंख्या दो करोड़ है और उसके लिये १५ पॉइन्ट समथिंग लाख गेहूं अलॉटेड है। उस हिसाब से प्रति व्यक्ति को आठ सेर गेहूं मिलता है। अब इसका बटवारा कैसे किया जाय और किस तरह से दूसरे अन्न का उपयोग किया जाय तो इसका प्रचार आप क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से बड़े प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं। इसलिये जैसा कि माननीय सदस्या की भावना है वह उचित है कि राजस्थानी भाषा में प्रचार साहित्य छपवाया जाय। साहित्य टिकाऊ चीज होती है और प्रचार मामूली चीज होती है। साहित्य को सदियों तक के लिये सुरक्षित रक्खा जा सकता है, उसे अलमारियों में सजाया जा सकता है।

तो जहां तक प्रचार का सवाल है सरकार अपने सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को इसके लिये आदेश दे, आदेश ही नहीं आर्डर दे कि साधारण से साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भील एरिया में उदयपुर में अगर भीली भाषा है तो वहां उस भाषा में, भीलवाड़ा में जो बोली बाली जाती है तो वहां उस भाषा में, जिस एरिया में जो भाषा बोली जाती है, वहां उस भाषा में प्रचार साहित्य बांटा जावे। राज्य की नीति रीति क्या है यह उन क्षेत्रों की भाषा में छाप कर उनको बांटे। केवल यही नहीं कि मन्त्रीजी कहीं पधारे तो ये लोग केमरा लेकर वहां पहुंच गये और फोटो खींच ली। यह खर्चा कामयाबी का खर्चा नहीं कहा जा सकता।

मेरी धारणा है कि सरकार छोटे से छोटे गांव के हर घर से उसकी मातृभाषा के माध्यम से सम्पर्क कायम करके बताए कि राजस्थान का राज्य तुम्हारे लिये यह काम कर रहा है। तुम्हें इस प्रकार की अमुक सहूलियत राज्य पहुंचा रहा है और राजस्थान का राज्य इस इस प्रकार के कानून बना रहा है तो इस भाषा के माध्यम से हर व्यक्ति तक आपके सही इरादे पहुंच जावेंगे जो आज नहीं पहुंच रहे हैं, लोग आपके काम काजों के बारे में आज अन्धेरे में हैं। इस तरह के प्रचार में किया गया खर्चा सही मायने में खर्चा समझा जावेगा।

इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन रखता हूं कि शब्द 'में' और 'हो' के बीच में शब्द 'भी' इन्सर्ट किया जाय। इससे इसका वाइड स्कोप हो जायगा। अभी संकीर्णता लिये हुए है यह केवल राजस्थानी को ही प्रोत्साहन देने की बात है। पर इससे सभी बोलियों का समावेश हो जावेगा। इसलिये निवेदन करूंगा कि 'भी' शब्द शामिल कर लिया जावे।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन है इसमें।

आज इस सम्बन्ध में देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने एक गैर सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जन सम्पर्क विभाग अपने प्रचार कार्य को राजस्थानी भाषाओं में करे।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन और भाषण सदन में प्रस्तुत हो चुके हैं जो कुछ 'भी' से सम्बन्धित थे और कुछ

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हृदय परखने के अभियान और हृदय की भाषा समझने के अभियान के रूप में प्रस्तुत हुए हैं।

इससे पहले कि मैं भी अपना भाषण आरम्भ करूं, सभापति महोदय, करबद्ध प्रार्थना करूंगा आपसे कि यह भाषा का सम्बन्ध है और कुछ माननीय सदस्यों ने इससे हृदय का सम्बन्ध भी जोड़ दिया है तो अगर मेरा भाषण आप कहीं प्रचण्ड होता देखें तो टोक दें उस समय।

मैं निहायत नम्रता से अर्ज करना चाहता हूँ कि राजस्थान में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं डिंगल, पिंगल, हाड़ौती, ब्रजभाषा, गुजराती और राजस्थानी भाषा का मिश्रण जो बॉर्डर एरिया के लोग बोलते हैं, भीलों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा और कुछ बॉर्डर क्षेत्र में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा है। इन समस्त भाषाओं का राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास में से जन्म हुआ है।

आज के इस शब्द युग में मनुष्य एक काफी समय की पद यात्रा के बाद पहुंचा है और इस युग में पहुँचने तक मनुष्य का अनुभव, मनुष्य का विकास यह क्रमिक और वैज्ञानिक विकास है। इस सम्बन्ध में जिनका विश्वास हो-कि यह समस्त विकास किसी स्पोन्टेनियस या विस्फोट के रूप में हो गया हो इसमें मैं विश्वास नहीं रखता। मनुष्य युग की इस दौड़ में हंसा भी है और रोया भी है और मनुष्य ने गम्भीर रौद्र रूप भी धारण किया है। मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियां इस युग दौड़ में प्रस्तुत हुई हैं। कहीं उसने खेतों में धान बोया है और अपने श्रम की स्वेद-कण बहाई हैं तो कहीं पकते हुए धान से उल्लसित होकर लोकगीत भी गाये हैं। कहीं जीवन में हारा है तो कहीं अपनी सुव्यवस्थाओं से जीत के फल भी चखे हैं। जीवन की इन सारी विविधताओं को प्रकट करने के लिये मनुष्य की अपनी भाषा है और यह भाषा वह तत्व है जो उसे अपनी माता के दूध से प्राप्त होता है।

इसलिए माननीय सदस्या के द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाना अपने आप में एक गौरव रखता है। यह प्रस्ताव माननीय स्त्री सदस्या की ओर से ही आना उचित था और वे ही इस प्रस्ताव को लाईं। राजस्थान के अन्दर प्रचार के सम्बन्ध में इन भाषाओं का प्रयोग जन सम्पर्क विभाग करे यह एक अच्छा प्रसंग है। बहुत से कानून बनते हैं, सभापति महोदय, हम योजनायें बनाते हैं और देश के विकास की बातें करते हैं। ऐसी ऐसी अर्थ व्यवस्था की बात करते हैं जो कि सेल्फ जनरेटिंग होगी। हम कानून इसी सदन में बनाते हैं, अधिकारियों के द्वारा वह काटे छांटे जाते हैं। वह कानून कानून तभी है जब कि वह गांवों के आंगन तक पहुंच जायें। योजनायें तभी सफल होंगी जब कि वह गांवों के आंगन तक पहुंच जायें, घर-घर में पहुंच जायें और हर मनुष्य के द्वारा वह समझी जायें........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आप तो हांडा साहब बड़ा लिट्रेरी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत नजाकत से बोल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मेरी नजाकत को छेड़ने का प्रयत्न न करें। आप मेरी इस कंवारी नजाकत को छेड़ने का प्रयत्न न करें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कंवारी नजाकत आपमें कब से आ गयी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, बचाइये मुझे इन आक्रमणकारियों से।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : बड़ी मुश्किल से तो रामकिशनजी ने प्रभावित किया है और आप फिर छेड़ रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज रामकिशनजी ने हृदय से बोलने की बात कही थी। मैं भी हृदय से बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरी इस शराफत और नजाकत को जो कि निहायत कंवारी है, छेड़ने का प्रयत्न न किया जाय।

तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना था कि यह प्रस्ताव माननीय सदस्या द्वारा ही रखा जाना उचित था। कुछ माननीय सदस्यों को राजस्थानी भाषा के प्रचार के कारण हिन्दी को खतरा नजर आया तो मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता। सारा इतिहास मौजूद है। मनुष्य मनुष्य की बात समझ सके और मनुष्य के द्वारा बनाये गये कानून एक मामूली मनुष्य तक पहुंच सके यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण सारे विश्व के अन्दर बड़ा महत्व रखता है और यह बहुत स्पष्ट है। सोवियत रूस, जो कि विश्व की महान् शक्ति है, में १८० स्टेट्स हैं और उन में कई विभिन्न भाषायें हैं। उन्होंने अपनी भाषाओं को बहुत समृद्ध बनाया है और मामूली बात को भी बड़ी सूक्ष्मता से रखा है। वहां पर डा० सैफुद्दीन को एक ऐसा शांतिपदक दिया और उन्होंने ओरियन्टल भाषा के लिए एक विशेष प्रयत्न किया।

(समय-समाप्ति—सूचक घंटी)

हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं और राहुल सांकृत्यायन ने ऐसा ही किया है। भाषा विश्व में इतिहास और प्रगति की महान् निधि है। मनुष्य को मनुष्य की बात समझाने के लिए हमें यह बात उसी भाषा के अन्दर करनी पड़ेगी जो कि उसे माता के दूध के साथ प्राप्त होती है। इसके साथ किये जाने वाला कोई भी प्रयत्न एक वास्तविक प्रयत्न होगा....

श्री मथुरादास माथुर : जिसने माता का दूध पीया ही नहीं हो !

श्री रामकिशन : वह नई पीढ़ी के लोग हैं बोतल का दूध पीने वाले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसी ने दूसरे का दूध पीया हो तो उसके भी यही बात लागू होती है और किसी ने फीडिंग बोतल का पीया हो जैसे हमारे कोआपरेटिव के मिनिस्टर-उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है।

तो, सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा निहायत अदब से कि जन सम्पर्क विभाग राजस्थान की विभिन्न भाषाओं के सम्बन्ध में, उनके अध्ययन के सम्बन्ध में एक गंभीर दृष्टिकोण अपनाये और इन भाषाओं पर साहित्य प्रस्तुत करे और राजस्थान की

Page No. 67

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

समस्त योजनाओं को विभिन्न भाषाओं में जनता के सामने प्रस्तुत करें और इसके वितरण की उचित व्यवस्था करें। मैंने वितरण की बात इसलिए रखी कि यहां सदन में कई बार यह कहा गया कि साहित्य दफ्तरों में पड़ा रहता है और उसका वितरण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति भी आई है कि हजारों किताबें जनसम्पर्क कार्यालय में पड़ी रहती हैं उनको डम्प कर दिया जाता है और रद्दी के भाव बेच दिया जाता है और उनका वितरण उचित दिशा में नहीं हो पाता है। क्यों नही राजस्थान की विभिन्न भाषाओं में छपा हुआ साहित्य है उसके वितरण की व्यवस्था उचित की जाती ? सभापति महोदय, यह इस दिशा में कि हम अपनी योजनाओं को सफल बना सकें उसके साथ ही साथ एक नई चीज जरूर पैदा होती है कि आज राजस्थान की दो करोड़ जनता के अन्दर हमारी समस्त योजनाओं के सम्बन्ध में या हमारे राजनैतिक या लोक साहित्य के सम्बन्ध में या कानून के सम्बन्ध में वास्तविकता से सोचा जाय तो दो करोड़ में से निश्चित रूप से ७५ प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो कि इसके भागीदार नहीं है, इसके हिस्सेदार नहीं बन पाते। वह इसलिए कि सारी चीजें उनको भाषा से प्राप्त नहीं होती। अगर हम राजस्थान के दो करोड़ लोगों को, आज हम उनके नुमाइन्दे हैं और उनके लिए कर रहे हैं, उनके कारण कर रहे है तो उनको उसके अन्दर हिस्सेदार बनायें तो वे भी इस स्थिति में आयेंगे कि वे प्रजातांत्रिक प्रणाली के इस सारे सिस्टम को समझकर इसके अन्दर पूरा योग अपना दे सकेंगे। हमें सारे राजस्थान को डेमोक्रेटिकली, प्रजातांत्रिक रूप से मजबूत बनाना है तो उसी रूप में बना पायेंगे जब कि हमारी बातों को वह सब लोग समझें और सारे सिस्टम में समझ के अनुसार हिस्सेदार हों। सभापति महोदय, हम १७६ सदस्य जो राजस्थान के विभिन्न कोनों से आते हैं और और हम सब वहां की समस्याओं को यहां सदन में उपस्थित करते हैं और उनको समझकर उनके सम्बन्ध में एक सही भाव पैदा हो सके तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें इसके लिए अधिक खर्चा करना पड़ेगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए भी यह चीज परमावश्यक हो जाती है।

अंत में मैं केवल दो शब्द यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव को पास किया जाये। यह प्रस्ताव प्रजातांत्रिक समाजवाद को एस्टेब्लिश करने के लिए एक कदम है। मैं समाजवाद कांग्रेस की बेन्चेज का जो उपस्थित किया हुआ है, उसको तो समाजवाद नहीं मानता लेकिन जो वास्तविक समाजवाद है और जो कि डेमोक्रेट्रिक वेल्यूज को एस्टेब्लिश करता है उस समाजवाद की दिशा के अन्दर यह एक निश्चित कदम है।

श्री सभापति : अब सरकारी पक्ष की ओर से जवाब दिया जायेगा।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

Order please ! समय का अभाव है और क्योंकि यह कार्यवाही १२ बजे तक समाप्त करनी है इसलिए सरकारी पक्ष की ओर से जवाब होगा।

Page No. 68

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सभापति महोदय, राजस्थानी भाषा बोलने वाला मैं तो रह ही गया और जो नहीं जानते है वह बोले हैं।

श्री सभापति : आप जवाब सुनिये।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : मैं तो १५-२० मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा इसलिए एक दो माननीय सदस्य और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : सभापति महोदय,....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : On a point of order, Sir.. ......

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, हमें भी कुछ बोलने दिया जाये। हम उस क्षेत्र से आये हैं जो कि हिन्दी बोलता है। मुझे ४ मिनट का ही समय दे दिया जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : माननीय सभापति, मुझे भी बोलने का समय दिया जाय।

श्री प्रतापसिंह : आप तो मारवाड़ से आये हैं और कई लोग बोल लिये हैं। मैं यू० पी० के पास से आया हूं जहां से यहां मुश्किल से २-४ सदस्य आये हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मारवाड़ से आना कोई गुनाह हो गया?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह दोनों लड़ते है तो मुझे बोलने दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। डिबेट में एजूकेशन डिपार्टमेन्ट को रेफर करके दो एक आक्षेप लगाये गये हैं इस सम्बन्ध मे राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में इसलिए मेरा निवेदन है कि उस पॉइन्ट पर क्लेरीफिकेशन करने का मौका दिया जाये, and I will take only five minutes.

श्री सभापति : आपको मौका दिया जायेगा।

श्री मोतीलाल चौधरी बोलेंगे।

श्री प्रतापसिंह : सभापति महोदय, मुझको भी दो मिनिट दिये जायं।

श्री सभापति : (श्री मोतीलाल चौधरी से) आप भाषण जारी रखिए।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): सभापति महोदय, आज ओ पहलो मौको नहीं है कि राजस्थानी रे सम्बन्ध में ई असेम्बली के मायने कोई नवी बात हुई हो। प्रस्ताव भी आयो है लेकिन पक्ष या विपक्ष में जो भी वक्ता हुई है वे हिन्दी में हुई हैं और प्रस्तावक महोदया ने खुद ने हिन्दी में भाषण दियो है। म्हारी आपसे आ अर्ज है कि भाषा के लिए आप हिन्दुस्तान और राजस्थान में नाम कमानो जो च्हावे है वानें खुद ने राजस्थानी सीखनी चाहिए, वानें राजस्थानी वेष-भूषा पहननी चाहिए तो जो भी बात आप कहो वी में काफी तथ्य हो। मैं राजस्थानी भाषारी बड़ो हामी हूं। मैं ईरे पक्ष में हूं। मैं ई प्रस्ताव को विरोध करूं हूं, को मतलब ओ नहीं माननौ

(श्री मोतीलाल चौधरी)

चाहिए कि मैं राजस्थानी भाषा ने मानूं नहीं और चाहूं नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक दो आंकड़ा पेश करनो चाहूं। आज की राजस्थानी भाषा रा दो चार शब्द पेश करूंगा जिका अर्थ को कुअर्थ भी लगायो जा सके है। बीं के बारे में सरकार को निर्णय करना चाहिए। मैं एक दो बात आपने कहूं। अंग्रेजी में एक "वूमन" शब्द है जीको हिन्दी में मतलब 'स्त्री' होवे और बीने राजस्थानी में लुगाई कहे तो लड़ाई हो जाय। म्हें चूंडावतजी ने कहूं कि थे म्हारी लुगाई सदस्या हो तो दो मिनिट में लड़ाई हो जाय....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : लुगायां हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : एक दिन ऐड़ो मोको मिल्यो कि असेम्बली की माननीय सदस्या जावे हा तो....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लुगाई, बीरबानी कई शब्द हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं कुछ पेश कर दूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका मतलब को शब्द राखो दूसरा शब्द को राखो न।

श्री मोतीलाल चौधरी : एक दिन ऐड़ी घटना घटी कि कुछ माननीय सदस्या जावे हा तो म्हने कईयो कि म्हांकि लुगाई सदस्या जावे हैं तो माननीय सदस्या ने कहां कि थे म्हाने लुगाया कियां कही।....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : गलत बात है। यह घटना हुई नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी : ये....

श्री मथुरादास माथुर : घर की लुगाई ने तो घर की घर्याणी कहे लुगायां नी कहवे है बाने।

श्री मोतीलाल चौधरी : एक शब्द है 'फ्रेण्ड' तो 'फ्रेण्ड' का हिन्दी में 'बन्धु' या 'मित्र' कहे और मित्र ने राजस्थानी में 'भायलो' या 'भायली' कहवे है। कोई लडकी ने भायली कहदो तो जूता पड़ जाय। म्हारा इलाका में भायली लड़की ने कह दो तो पीटे बगैर नहीं नहीं छोड़े चाहे आप मुख्य-मंत्री हो। एक और उदाहरण दूं। आप बड़ो हुकुम शब्द कहो उदयपुर में म्हारे वठे हुकुम कहे और आंके अठे अन्नदाता कहे और जयपुर में महाराज कहे, तो कौन सो शब्द लेवागा आप फैसला तो करो। म्हारो घर गांव में है, गांव मे रहूं हूं और गांव में म्हारो पीढ़ियां रही हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : राजस्थानी घर में को बोलो न। हिन्दी और अंग्रेजी रो प्रचार कर राख्यो है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं बिल्कुल पक्ष में पक्ष में होते हुए भी यो चाहूं कि अयां तय कर लो कि भाषारो माध्यम किस्यो होवेला। तो, माननीय सभापति महोदय, कई इयां उदाहरण है। मैं बंगाली को उदाहरण पेश

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कर रह्यो हूं। बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्री जिकी भाषा बनी है बी को इतिहास देखलो कि कयां बनी है। बंगाली एक दिन में नहीं बनी है ई वास्ते म्हारो निवेदन एक तो आ है कि जो माननीय सदस्य अठे बेट्या है वे तो आपणी बेट्यां ने ऊंचा ऊंचा फ्राक पहना के अंग्रेजी रा स्कूलों में पढ़ावे है थानें गांव में राखो। मुल्क री भाषा बनाणर खातिर पूरा साहित्य बनावो। वीनें पूरी साइन्टीफिक बणावो। आप गांव रा लोगां ने मूरख बनानो चाहो भाषा के नाम सूं। आप तो आपणी बेट्यां और बेटा ने सेंट ज़ेवियर स्कूल में पढावो। वानें मिलिट्री में अफसर बनावो और गांव रा लोगों ने कहो के थे खेत चलाओ। तो म्हारो निवेदन ओ है कि सरकार ई बारे में विचार करें सबसे पहले कि राजस्थानी किसी भाषा होवे। वांको सिलेक्शन करलो। बांकी डिक्शनरी बना लो बीं के बाद में साहित्य रो निर्माण करो।

मैं माननीय सभापति जी, एक उदाहरण दूं कि भाषा ही नहीं, लिपि भी राजस्थान में ५ है। एक मुडिया लिपि है। सारा व्यापारी मुडिया भाषा काम में लेवे है। मुडिया भाषा का एक सेन्टेन्स आपको बताऊं हिन्दी में जिसका मतलब है कि दादाजी आज अजमेर गये है। मैं आज रूई मोल ली है थे भी रूई लीजो। मुडिया में इस तरह से लिखा जाता है कि उसका मतलब निकलता है लालाजी आज मर गिया है मैं रोई लिया हां थे भी रोई लीज्यो। ऐसी स्थिति राजस्थानी री है। आज जो राजस्थानी भाषा और साहित्य की ई राजस्थान के मायने बात करे है वे लोग राजनैतिक दृष्टिकोण से गुलाम राखनो चावे है। राजाओं की भाषा सुन ली, राजाओं के गीत सुन लिये। बीं भाषा और साहित्य से राजस्थान ने गुलाम राखनोचावे है। मैं इसीलिए बड़े अदब से राजस्थान सरकार से निवेदन करूं कि राजस्थानी भाषा बननी चाहिये, राजस्थानी भाषारो शब्दकोष बननो चाहिये, राजस्थानी री व्याकरण बननी चाहिए पुरानी गुलामपणारी जो भाषा डिंगल है बी ने राजस्थानी कहकर राजस्थान ने गुलाम बनानो चावे हैं। राजस्थानी खड़क फड़क यह भाषा नहीं है। हम अहिंसा के दृष्टिकोण से राज्य चलायेंगे। हम तलवार की खनखनाहट से राज्य नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आप लोगों सूं निवेदन करूं........

श्री सभापति : आप बहुत निवेदन कर चुके।

श्री मोतीलाल चौधरी : आखरी है। म्हने इसो षड़यन्त्र लागे है। सरकार ने सावधान रहनो चावे है। मैं पहले भी कह चुक्यौ हूं। साहित्य रे नाम सूं, भाषा रे नाम सूं व्यापार खोल राख्यो हैं। आपणा कोई भाई भतीजा है वांकी किताबों गवर्नमेंट से मन्जूर करानी हैं या किसी को नौकरी लगानी है तो लगा दें, लेकिन म्हारी आ अर्ज है कि राजस्थानी भाषा बननी चाहिए, पनपनी चाहिए, गांव के लोगों को राजस्थानं में जानकारी मिलनी चाहिए। एक माध्यम तय कर लें और उसमें साहित्य बनावें।

(समय-समाप्ति-सूचक टी)

श्री सभापति : श्री मोहनलाल सारस्वत आप दो मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : सभापति महोदय,....

श्री प्रतापसिंह : सभापति महोदय, मुझे भी समय दिया जाय।

श्री मोहनलाल सारस्वत : जो संकल्प लक्ष्मीकुमारी चूंडावत आपके सामने राखनो चावे है कि राजस्थानी भाषा में जन-संपर्क कार्यालय सूं साहित्य रो प्रचार होणो अत्यन्त आवश्यक है। और ई अत्यन्त आवश्यक होणे रे साथ साथ बीं राजस्थान में जिका में २ करोड़ मिनख रहे वां मिनखा ने समझाणरे वास्ते जिको साहित्य जन-सम्पर्क विभाग सूं निकले है वो राजस्थान री भाषा में होणो चाहिए। बीं भाषा में राजस्थानी में वो साहित्य निकले तो बीं साहित्य सूं प्रत्येक काम में फायदो पहुंचे। तो मैं आपके सामने आ निवेदन करनो चाहूं कि जिका स्कूल में प्रबन्ध नहीं जिकी राजस्थानी भाषा में दूध रे साथ पीता हुयोडा, जि की बच्चा ने गोदी में समझावण खातिर भाषा बोले है बीं भाषा में आप हर प्रकार रो साहित्य जिका जन-सम्पर्क सु पहुंचानो चाहो तो बहठे पहुंच सके है। और आज आप देखो हो, जन संपर्क विभाग कुछ साहित्य देहात में भेजे। जगा जगा जो साहित्य भेजे बीं रो उदाहरण आपरो सामने रखियो, जो क्लिष्ट शब्द बीं में काम में लेवे बीने देहाती समझे नहीं। ई वास्ते इयो जरूरी है कि राजस्थानी में ओ साहित्य राजस्थानी में प्रकाशित होणो चाहिजे। कई म्हारा मित्र इणारो विरोध करियो। में समझू हूं वे समझिया नहीं बिल्कुल ही। आज वे बात करे हैं कि हिन्दी अंग्रेजी बिना काम चले नहीं। वे आपरे घर में, गांव में हिन्दी बोले या राजस्थानी बोले। चुणाव रो काम पड़े तो मारवाड़ी या राजस्थानी में बोले और धारा सभा तक पहुंच गया तो राजस्थानी रो खंडन खंडन करे। वे जो बोल्या में उणोंरी भूल मानकर चालूं हूं। हिन्दी भाषा राष्ट्र भाषा है और बी तरह सूं राष्ट्र भाषा रेवे तो कोई हर्ज नहीं लेकिन जन संपर्क विभाग सूं कुछ पुस्तकों निकले जिणमें लाखों रुपया लागे बी में राजस्थानी रो प्रयोग होवणो चाहिजे। मैं इण प्रस्ताव रो समर्थन करूं हूं।........

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री मोहनलाल सारस्वत : इण वास्ते ई संकल्प ने पूरी तरह से पास करणो चाहिजे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, जन संपर्क विभाग राजस्थान के गांवों में जो साहित्य वितरण करे वह राजस्थानी भाषा में करे यह प्रस्ताव आया है। राजस्थानी भाषा के विरोध में कई माननीय सदस्य बोले, मुझे आश्चर्य हुआ। राजस्थानी भाषा में कुछ सुनाया गया पिताजी अजमेर गये, आज मर गये, हम रो लिये आदि। मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा का ५०० वर्ष पुराना साहित्य मेरे घर में है, कहें तो लाकर बता दूं। हिन्दी, देवनागरी में लिखा है। आपने बताया मोतीलालजी ने, मैं कहूंगा कि वे कुछ जानते नहीं है राजस्थानी साहित्य किस में लिखा गया है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैंने राजस्थानी.......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने जो बताया वह कनकपुरी में लिखा हुआ है, वह राजस्थानी भाषा नहीं है। महाजनों की शोषण करने वाली भाषा राजस्थानी नहीं है। ५०० साल पहले के ग्रन्थ आपको बताऊं जो संवत १५०० में लिखे हुए मेरे पास पड़े हुए हैं। राजस्थानी साहित्य मामूली बात नहीं है आप इसका मजाक मत उड़ाइये। इससे ज्यादा शोषण करनेवालों के खिलाफ लिखनेवाला दूसरे साहित्य में नहीं होगा। शोषण करनेवालों के खिलाफ यदि कहीं लिखा हुआ है तो वह राजस्थानी में है। मुझे बहुत कुछ याद है मोतीलालजी को याद हो तो वे सुना दें। राजस्थानी भाषा के बारे में कहते हैं कि उसका व्याकरण नहीं है। व्याकरण के हिसाब से भी मुझे बता दीजिये दूसरा कोई साहित्य इसका मुकाबला करता हो। व्याकरण के हिसाब से मुझे बता दीजिये। बंगला में कहते हैं भात खाबो, पानी खाबो। तीन साल का बच्चा भी हमारे यहां नहीं कहेगा पानी खाबो, भात खाबो। बच्चों के मुंह पर भी शुद्ध उच्चारण हमारे यहां होगा रोटी खाओ, भात खाओ, पानी पियो। आप हर प्रांत की भाषा मुझसे पूछ लीजिये मैं जानता हूं आप केवल बंगाल में ही रह आये हैं। वहां का साहित्य हमसे नीचा है।

राजस्थानी भाषा का व्याकरण बहुत पहले से बना हुआ है। मुझे आश्चर्य हुआ जब शिक्षा मंत्रीजी ने यहां पर कहा कि राजस्थानी का व्याकरण नहीं है। वे जानते नहीं हैं, मध्यप्रदेश से यहां आ गये। वे यह नहीं जानते कि राजस्थानी का व्याकरण सैकड़ों वर्ष पहले बना। वे वयोवृद्ध हैं क्या कहें। जोधपुर के आसोपाजी जो महामहोपाध्याय थे उन्होंने राजस्थानी व्याकरण में संशोधन किया। राजस्थानी भाषा, यदि आप उस तरफ जायेंगे तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आखातीज के समय वर्षा होती है तो मारवाड़ में बाजरा बोते हैं। एक ने बैसाख में बाजरा बोया और दूसरा बाजरा बोया गया आसोज में। जो बाजरा बैसाख में बोया गया वह आसोज में पक गया और कटने लायक हो गया। जो बाजरा आसोज में बोया गया वह पहले वाले बाजरे के कटने के समय तक हरा रहा। पहले वाले को कटता देख कर यह हंसने लगा तो पहले वाला उससे कहने लगा राजस्थानी में "मोय बीती तोय बीतसी काती श्रावण दे।"

यदि हिन्दी का समर्थन करने वाले राजस्थानी का विरोध करेंगे तो हिन्दी भी कटेगी, अंग्रेजी का प्रस्ताव आया हुआ है। हिन्दी को जिन्दा रखना चाहते हो तो राजस्थानी को भी जिन्दा रहने दो। राजस्थानी भाषा में व्याकरण है, साहित्य है और राजस्थानी भाषा किसी से कम नहीं है। माननीय सदस्य को शंका हो रही है और उन्होंने कहा कि राजस्थानी डूब जायगी लेकिन जब मैंने शैतानसिंह पर लिखा हुआ साहित्य देखा तो मुझे विश्वास हुआ यह डूबेगा नहीं। लोग भूखों मर कर भी इसको कायम रखेंगे। महाराणा प्रताप पर २०० से ज्यादा छंद नहीं है लेकिन शैतानसिंह पर ३००० छंद हैं। साहित्य यह जिन्दा रहेगा, भूखों मर कर भी लोग इसे जिन्दा रखेंगे। आज राज्य इसको जिन्दा रखना चाहता है या नहीं लेकिन हजारों ग्रन्थ लाईब्रेरी में पड़े हैं। जैसलमेर में बहुत सारे ग्रन्थ पड़े हैं।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

राजस्थानी भाषा के लिये आप कहते हैं कि हर जगह एक भाषा नहीं बोली जाती। अजमेर में और तरह से बोली जाती है, कोटा और बून्दी में कुछ और बोली जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थानी साहित्य सब जगह एक है। आप हिन्दी को ही ले लीजिये कानपुर में और तरह से बोली जाती है, बनारस में और तरह से बोली जाती है, पटना में और तरह से बोली जाती है लेकिन साहित्य सब जगह एक है। उसी तरह से राजस्थानी साहित्य एक है। गुजरे २०० वर्षों पहले सूर्यमलजी ने रचनाएं की थीं, कृष्णदासजी वगैरा ने जो रचनाएं की हैं वह साहित्य एक ही है। ऐसा कोई नहीं है जो इस साहित्य को नहीं समझता हो, इसका स्टेन्डर्ड एक है। आप इसको हटाना चाहते हैं तो यह दूसरी बात है। शोषण के खिलाफ जनता को आगाह करना है तो राजस्थानी को जिन्दा रखिये। राजस्थानी साहित्य में हजारों दोहे हैं शोषण के खिलाफ। मेरे ख्याल से रूस में भी इतने नहीं बने होंगे आप यदि इसको आगे लायेंगे तो शोषण को चे हटा देंगे। आप राजस्थानी की मजाक मत उड़ाइये। आप के घर में यही बोली जाती है। आपके पिताजी, माताजी और घर में सब इसको बोलते हैं। झाला साहब ने इसका विरोध किया। मैं समझता हूं वे भी अपने घर में राजस्थानी बोलते हैं फिर भी वे कहते हैं कि वे इसका समर्थन नहीं करेंगे। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है लेकिन बोलचाल की भाषा राजस्थानी है उसका समर्थन करना है। अंग्रेजी को इतना दबाना है कि वह जिन्दगी भर उठे नहीं, उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करना है।

श्री सभापति : सरकारी पक्ष।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे आपने समय दिया है शिक्षा विभाग से इसका सम्बन्ध है....

एक माननीय सदस्य : आप राजस्थानी में बोलें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि राजस्थानी भाषा की प्रगति इस युग में और पहले के युग में निरंतर चलती रही है। यह प्रश्न अलग है कि राज्य का आश्रय इस भाषा को कितना मिला है। जहां तक शिक्षा विभाग का प्रश्न है, माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं और उन्होंने मुख्य आरोप तो नहीं कहता, लेकिन आपत्ति यह उठाई कि सरकार और मुख्यतः शिक्षा विभाग इस प्रश्न पर मौन हैं। मैं इस दिशा में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थानी साहित्य की प्रगति का प्रश्न है, आगे बढ़ाने का प्रश्न है सरकार इस पर मौन नहीं है लेकिन सजग है और यह भी चाहती है कि यह साहित्य बढ़े, फले, फूले और उसके साथ जितना भी सहयोग शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा सके, दिया जाना चाहिये और दिया जायगा। उदाहरण के लिये सभापति महोदय, यह बात बिल्कुल ठीक है कि राजस्थान के विभिन्न साहित्यिक विभिन्न कोनों में राजस्थानी साहित्य को इस वक्त जिस तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जिस तरह से यहां के लेखक, कवि और साहित्यकार लगे हुए हैं

Page No. 74

(श्री निरजननाथ आचार्य)

बिना किसी स्वार्थ के इसका प्रसार करने में लगे हुए हैं वह नहीं रोका जा सकता।

मुझे कई उदाहरण, सभापति महोदय, मालूम हैं जहां राजस्थानी साहित्य का सृजन किया जा रहा है, राजस्थानी साहित्य को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा रहा है, भूखे मर कर भी साहित्य साधकों द्वारा इस साहित्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं यह नहीं मान सकता कि राजस्थानी साहित्य नहीं है अथवा इसमें साहित्य की खूबियां नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को इस साहित्य की खूबियां मालूम नहीं हैं उनके मन में कुछ भ्रम है। उदाहरण के तौर पर कहा गया कि राजस्थानी साहित्य में शोषण भरा हुआ है, इसमें कुर्बानियों का साहित्य नहीं है। मैं, सभापति महोदय, उदाहरण के रूप में एक छन्द सुनाता हूं—

जो करसी जिणरी हुसी
आसी बिण नुतीह ।
ये नह किणरा बाप रो
भगति रजपूतीह ॥

इसमें शोषण कहीं नहीं देखा जा सकता। आगे है।

बागा आवो वलेह दुःख काटण दूदा हरा।
बाशी फूल जड़ेह, बास न जावे बाघ जी।

इस प्रकार का राजस्थानी भाषा में काव्य है। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान साहित्य अमर है और अमर रहेगा।

जहां तक शिक्षा विभाग का प्रश्न आता है, हमें जानकारी है कि डिक्शनरी बनाई जा रही है, राजस्थानी भाषा की व्याकरण बनाई जा रही है और इसके सम्बन्ध में सरकार जागरूक है। हमने केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है और हम विश्वास करते हैं कि केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो राजस्थानी भाषा के लेखक हैं या कवि हैं, उनके लिए केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक सहायता का प्रावधान रखा है और राजस्थान सरकार भी, जो राजस्थानी भाषा में राजस्थानी के लेखक और कवियों की पुस्तकें निकलती हैं, उन पुस्तकों को खरीदने में सजग है। जो राजस्थानी भाषा में सृजन कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने में, इसको समृद्ध बनाने में और इसको तवारीख बनाने में और इसके सांस्कृतिक पक्ष को उभारने में राजस्थान सरकार पीछे नहीं रहेगी।

श्री सभापति : आनरेबल मिनिस्टर।

श्री मथुरादास माथुर (मंत्री, जन सम्पर्क विभाग) —घणा घणा मानवाण हित रो प्रश्न बाई सा ने उठायो और उठावन रे अन्दर जो बात कहवणी चाहिये ही....

एक माननीय सदस्य : यह असली राजस्थानी है।

श्री मथुरादास माथुर : वा बातां अर्ज करीं, बाने मैं ध्यानपूर्वक सुणी। मूं बाई सा रे उठान रे, उठाव रे खिलाफ नीं बल्कि मूं आग

(श्री मथुरादास माथुर)

बता दूं कि म्हारो महकमो, जो जन सम्पर्क महकमो कहलावे, बी रो काम यो है कि राजस्थान रा मिनखा तक जो सरकार री योजना, होवे, नियम उप-नियम हवे, वा पहुंचाई जावे। यो काम म्हारा महकमा रो है। या बात ठीक है के जिण भाषा ने गांव रो आदमी न समझ सके, वीं भाषा मां पर्चा निकाल देवे, पानो निकाल देवे तो गांव वाला समझे कोना और फिर छपाई और दूसरो खर्चो बेकार जावे है। इण वास्ते जो बात कही है, वा बात ठीक है और म्हां लोगों ने भी इमें एतराज नहीं। सरकार और म्हारो विभाग ई बात रो पूरो पूरो ध्यान रखे है। मूं आपने बताऊं, शुरू शुरू में जब राजस्थान मां सघन खेती रो कार्यक्रम और प्रोग्राम चालू कियो तो गांव वालां समझया के यो काई बला आगी? सघन खेती रो मतलब समझावण वास्ते गांव वालां ने यो कह्यो—सघन खेती रो मतलब धपाऊ खेती। सघन खेती रे वास्ते धपाऊ बीज मिलेगा धपाऊ खाद मिलेगी, और धपाऊ पानी मिलेगा—आप लोग मिल कर धपाऊ खेती करोगा तो मुल्क की धपाऊ तरक्की होवेलो। इण तरह समझायो तब जार गांव का वालां रे दिमाग में बात समझ में आई। थोड़ा दिन पहले चम्बल क्षेत्र रा लोगों ने समझावण वास्ते के खेती के वास्ते चम्बल रो पानी काम में लेणों चाहिए राजस्थानी भाषा में लिख कर भेज्यो तब लोगां रे दिमाग में बात आई। तो म्हारो जो जन-सम्पर्क महकमो है, बी को काम यो है कि इसी भाषा मां, इसी बोली मां लोगां ने बात समझावे जो वा का हृदय में फिटो फिट बैठ जाय।

श्री मानसिंह महार (आमेर): यह फिटो फिट कौनसी भाषा है?

श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: राजस्थानी!

श्री मथुरादास माथुर: राजस्थान वालां रो छोटो हृदय कोनी, मोटो हृदय है। इण तरह राजस्थानी भाषा रो भी छोटा हृदय कोनी। भाषा रे लिहाज सूं भी कोई भाषा वालां यो समझे कि दूसरी भाषा रो लफ्ज नहीं लेणों तो काम चाल नहीं सके। तो राजस्थानी भाषा और राजस्थान रा लोगों रा दिल दरिया दिल है, बड़ा है, और ईण भाषा मां कोई भी लफ्ज समा सके। आज मूं आपसे बताऊं कि स्कूल लफ्ज है, स्टेशन लफ्ज है, इतरा लफ्ज भाषा मां समा गया है और म्हारा आपका घर मा बड़ी बूढ़ी मां इ सा लफ्जां ने समझे है।

तो जो लोग एतराज करे कि इसा लफ्ज राजस्थानी भाषा मां न आ सके, वां लोगों ने मूं यह बात बता देणी चाहूं कि राजस्थानी भाषा रा दरवाजा खुला है, खिड़कियां खुली है और वां दरवाजा और खिड़कियां सूं कोई भी लफ्ज इसमें समावेश कर सके है। सभापति महोदय, जो भाई सा ने उठान उठायो है वो वाजिब है। मूं निवेदन करणो चाहूं, कि भारतवर्ष का लोगां रे अन्दर इसा भी व्यक्ति है जो कहवे है कि राजस्थानी भाषा री व्याकरण नहीं है, कोई कहवे कि राजस्थानी भाषा री पूंछ नहीं है, कोई कहवे कि राजस्थानी भाषा रो माथो

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं है। मूं आपने कहूं कि राजस्थानी भाषा है, इरा दुर्भाग्य है कि इको संविधान के मायने समावेश नहीं हो सक्यो। यो कानूनी मामलो है। लेकिन ई भाषा में काफी ताकत है। मूं आपने बताऊं कि अंग्रेजी रे अन्दर एक लफ्ज है, (रोमांस) जो (सेक्रीफाइस) लफ्ज है, वा प्रेम, त्याग और कुर्बानी री कविता राजस्थानी भाषा रे अन्दर है विसी और भाषा मां नहीं है। ईं भाषा मां इतनी ताकत है कि कोई आदमी मरतो होवे और कुर्बानी और बलिदान-वीरता री जोरदार कविता पढ़ देवे तो वो मरतो आदमी उठ कर बैठो हो जावे। इसी शक्ति और देश विदेश री भाषा मां नहीं है। ई भाषा री व्याकरण है, ई भाषा रो इतिहास है और ई भाषा री तवारीख है। लेकिन ज्यों ज्यों भारतवर्ष गुलाम हो तो गयो, ज्यों ज्यां दूसरी भाषा रा हमां गुलाम होता गया, त्यों त्यों भाषा छिन्न भिन्न होती गई। लेकिन यो दुर्भाग्य है, यह राजस्थानी भाषा रो नहीं है, राजस्थान रा लोगों रो है। इण वास्ते जो बात रखी गई है, जो उठान उठायो गयो है, मूं समझूं कि ई उठान की आवश्यकता नहीं है। मूं मानूं हूं कि जो चम्बल रा क्षेत्र में रहवे है, जो कोटा रा इलाका में रहवे है, वो बाहर भले ही अंग्रेजी भाषा मां बात करे लेकिन घर मां मायड़ी और बाप सूं राजस्थानी भाषा में बात करे है। मूं अगर घर मां अपनी भाषा मां बात करूं तो म्हाने रोटी परोसे है, फुलकियां देवे है।

मोतीलाल जी ने ई भाषा रा दो चार लफ्ज उदाहरण दिया। वाने लुगाई री बात कही। 'लुगाई' मायने औरत, वूमेन। 'लुगाई' लफ्ज बोले तो बी को मतलब घर वाली नहीं है। जब कोई बोले म्हारी लुगाई तो घर की लुगाई रो मतलब होवे है। भले ही आप कीने लुगाई, औरत या वूमेन कह देवो बीमें कोई एतराज नहीं है। अंग्रेजी मां जो लुगाई रे वास्ते लफ्ज है वूमेन, बी में सब कवर हो जावे है लेकिन म्हारे अठे मां ने नावड़ी कहें है, घर वाली है, बो ने घर वाली कहवे है और जो गर्ल फ्रेन्ड होवे, बीने हेतुड़ी कहवे है। एक एक के वास्ते कई कई लफ्ज हैं, वा लफ्ज म्हाने मालूम नहीं तो बी में राजस्थानी भाषा रो दोष नहीं है। इण तरह जमाई आवे जो जमाई रे वास्ते लुगाईयां बांरा जमाई लफ्ज बोले हैं। बारा के वास्ते अंग्रेजी में एक पैरा और पैराग्राफ लिखनो पड़े है लेकिन या एक लफ्ज मां जो प्रेम है, जो इज्जत है, जो नजद की और आत्मीयता है। मूं अभी अमेरिका गयो, तो वठे जो ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट है, वठे राजस्थानी भाषा रो रिसर्च रो काम चाले है। मूं ई भाषा में बोल्यो और कह्यो—म्हारो एक लफ्ज है, इसो लफ्ज कोई भाषा में हो नहीं सके है। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा में मीरा बाई रा भजन है, कोई राजस्थानी भाषा में गावे है तो भक्ति पैदा हो जावे है। भगवान में विश्वास होवे या नहीं पण मन में भक्ति पैदा हो जावे है। राजस्थानी भाषा मां कुर्बानी, बलिदान और वीरता रा गीत है। जब कोई आदमी लड़ाई में जावतो विदाई मांगतो, सेनाणी मांगतो तो घर री लुगाई माथो काटर रख देती। आज री लुगाई काटर दे सके है ! राजस्थान री जो तवारीख है, जो इतिहास है, बीने भूलनो नहीं चाहिए। यो दूसरी बात है कि हिन्दी राजभाषा बन

(श्री मथुरादास माथुर)

गई और राजस्थानी भाषा संविधान में नहीं आ सकी है, ई का कोई कारण हो सके राजनैतिक कारण वगैरह। वी बाता मां मूं नहीं जानो चाहूं। लेकिन जो राजस्थान रा लोग है, वाने यह कहण री जरूरत नहीं है कि राजस्थानी भाषा भाषा नहीं है। या ठीक नहीं है। मने विश्वास है, राजस्थानी भाषा री जो ज्योति है, इने कायम रखेगा। म्हारो मतलब है कि राजस्थान रो जो इतिहास भरो पड़्यो है, वी की मने टा है। और मूं जानूं हूं पचास मील पर एक भाषा बोली जावे है तो वी में फर्क आ जावे है। बांसवाड़ा रे अन्दर जो भाषा बोली जावे है, वी में फर्क आ जावे है, बाडमेर वाला भाई लोग है उणरी बोली में सिन्धी भाषा रो असर जरूर आवेला। सांई चालो। वो इण वास्ते आ जावे है कि सिन्धी इलाको सीमा पर है। इणी तरह सु गंगानगर में रेवणवाला भाई है मगर वे कोई बात करेला तो पंजाबी रा शब्द जरूर काम में लावेला। में आ केउ हूं के ऐ शब्द तो काम में आवेला जरूर। पंजाबी में कोई लफ्ज है कूंटो। ओ रो ओ शब्द राजस्थानी में भी है। राजस्थानी में कूंटो आपां कूटे ने केवां हां। इण वास्ते आपाने डरने री कोई बात नहीं। हमार आप कई के बैजदानजी है और दूसरा भी है वे सारा काम कर रह्या है। इण बात री बड़ी खुशी है कि वे इण काम ने कर रया है। बृज भाषा भी एक बोली है। अगर उठे कोई दूर दूसरी भाषा बोले तो भरतपुर वालों ने एतराज हो सके। बीकानेर और जोधपुर में अलग बोली है और यूं तो डूंगरपुर, भीलवाड़ा में वागड़ी बोले और आगे और कोई बोली बोले है। अगर वे भरतपुर में वे और दूसरी बोली बोले तो कोई नहीं समझ सके। इण तरह सुं तरह तरह री बोलियां है। बाड़मेर में दो चार शब्द सिन्धी रा आ जावे तो गङ्गानगर में दो चार शब्द पंजाबी रा भी आ जावे तो कोई फर्क नहीं पड़े है। लेकिन लिपि तो नागरी है। और पहले भी आपोरा बडेर मानता आया है कि लिपि तो नागरी ही है। किसी भी बोली में प्रचार कियो जावे। चुनाव में वहीं के लोगों के रहने वालां री बोली में प्रचार कियो जावे। मैं नागौर में भाषण देवण ने गयो तो उठे मैं नागोरी भाषा में ही बोलियो हो। जद मैं घरे गयो जरे मारी लुगाई, मारी लुगाई कोई और लुगाई नहीं, केयो के थे तो नागोरी हो गया। मैं केयो के नागोरी सांड तो नहीं हुयो। हुयो तो नागोरी मिनक ही हूं। कोई बात नहीं।

(हंसी)

कोई भी मिनक उठ कर आपाने केवे के राजस्थानी भाषा नहीं है तो मैं तो कहूं के राजस्थानी भाषा है और इ की भेषभूषा के मुकाबले में कोई दूसरी भेष भूषा नहीं है। बाहर रा अमेरिका वाला और दूसरा लोग जयपुर में जरी रा घाघरा और भेष देख ने बहुत राजी हुवा और बहुत हंसियां। ज्यादातर गांव में जो भेष भूषा है वा ही अच्छी है और केवल २०० वर्ष अंग्रेजी राज्य री पूंछ पकड़ ने तालाब में जिण तरह सूं भैंस री पूंछ पकड़ ने चालोंला तो तालाब में डूब जावोला मैं पूरी तरह सुं बाइजी जो प्रस्ताव रखियो है उण रो समर्थन करूं हूं। पर मैं तो आ कहूंला कि बाइजी ने इण तरह रो प्रस्ताव लावण री कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि

(श्री मथुरादास माथुर)

असेम्बली में विधानसभा में लावरण री जरूरत नहीं अबार असेम्बली में अंग्रेजी रो मामलो भी लाया हा।....

श्री रामकिशन : आपकी भाषा को देख कर अंग्रेजी का जनाजा निकल जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मने कई। इने परो वालो तो मने कोई दुख नहीं। आपको कांधा लगाना होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आपको ही कन्धा लगाना होगा। आपका कन्धा पहले लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : आपणा मिनकां ने समझावन रे वास्ते भाषा आपणी ही है लेकिन हिन्दुस्तान रे एकीकरण री बात है तो हिन्दुस्तान रे साथे साथे चालनो पड़ेला। तेलगु और दूसरी भाषाएं हैं मगर उणां ने कोई दूसरा समझ नहीं सके इण वास्ते भाषा तो हिन्दी रेवेगी।

बाइजी रो प्रस्ताव ओ है कि अबार गांवों में जन सम्पर्क विभाग रो जो प्रचार हुवे है वो प्रचार बोली जावे उण बोली में करे। मैं आपने कहूं के पी. आर. ओ. में भेजो वो मप्पू लेने भाषण देवे तो उण वक्त हम तुम नहीं कैवे। गांव रा लोग हम तुम नहीं समझ सके। उणों ने जाने केवे के नाक रो सेडो कपड़े सूं पूछ ने साफ करजो, गन्दगी नहीं राखणी। वे गांव वालों री बोली में हीज जा ने समझावे। जयपुर में छे चलेगा तो बीकानेर और शेखावाटी में है चलेगा और दूसरी जगह कुछ और चलेगा। उदयपुर भाषा में कुछ और ही है। इण वास्ते मैं बाइजी ने निवेदन करूंला कि....

एक माननीय सदस्य : निवेदन राजस्थानी नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं राजस्थानी में निवेदन करूं या आ केदूं के हाथ जोड़ ने प्रार्थना करूं या गणी गणी अर्ज करूं तो भी आ राजस्थानी ही है। इसलिये इस प्रस्ताव माथे जोर ज्यादा नहीं दे और प्रस्ताव पास करावण री कोशिश नहीं करे। भाषा में प्रचार करण री ज्यादा कोशिश करौलां। हमां बाइजी रा विचारों सूं पुरी तरह सहमत हों और एक माननीय सदस्या इतना ऊंचा विचार रखिया इणरी बड़ी खुशी है। बाइजी री तारीफ तो रूस और तासकन्द में भी सुणी। उठे भी आप राजस्थानी में बोलिया। राजस्थानी लिटरेचर और भाषा रे बारे में और इणरी व्याकरण रे बारे में कही ही। यहां पर अपन आ समझां हां कि घर रा जोगी जागिया और बाहर रा सिद्ध। तो अपने यहां पर राजस्थान प्रान्त में मीरां का स्थान है वहां पर बंगाल से लोग आते हैं। मीरा के पद बहुत महत्व पूर्ण हैं। राजस्थान का इतिहास हिन्दुस्तान का एक महत्वपूर्ण वीरता और बलिदान का इतिहास है। दुनिया में इसके मुकाबले रो कोई इतिहास नहीं है। लेकिन आपारे कना पइसा और पूंजी कम है इण वास्ते इतिहास नहीं बन सके मैं बाइजी री तारीफ मास्को और तासकन्द में सुणी तो मारो जीव बहुत राजी हुयो। बाइजी बहुत काम करिया है। मैं आ चाहूं कि इण में सब रो सहयोग होणो चाहिजे न कि विधान में आ बात होणी चाहिये। यह आपकी भाषा है जो

(श्री मथुरादास माथुर)

आपकी मां की इज्जत करे वह अपनी भाषा री इज्जत करे और मैं आपने निवेदन करूं कि जठै जिए इलाकों में प्रचार करो हो उठे उणी बोली में प्रचार कर रया हां । ऊपर उपर ही प्रचार होवे आ बात नहीं है । इन शब्दों रे साथ में बाइजी ने निवेदन करूंला कि....

एक माननीय सदस्य : राज्य करने और वास्तविकता में बड़ा अन्तर है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं चम्बल में गया था वहां पर मैंने उसी भाषा में भाषण दिया । राजस्थानी सही भाषा है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : जिस प्रकार के शब्दों के लिए बाइजी ने । बताया वे शब्द प्रयोग में नहीं आने चाहिये, पर्चों में ।

श्री मथुरादास माथुर : बाइजी ने सोशियल वेल फेअर की बात कही है । मारे महकमें रो पर्चो तो बाइजी एक नहीं दे सकिया ।

म्हारो महकमों तो जन सम्पर्क को है, म्हारी बात ही कोई नहीं समझ सके तो ओ कांई काम को । मैं केऊं, कोइ समझे नहीं तो गेला गूंगा वाली बात वेगी या तो । म्हारी बात समझेला कुण ?

एक मजाक उडाई गई, मजाक नी उड़ाणी चाहिये । मित्तर, फ्रैन्ड और भायलो एक ही बात है । भायलो लब्ज़ कोई बुरो नही है, ज्यूं मित्तर, दोस्त त्यूं ही भायलो । भायली भी कोई बुरी बात नहीं है । भायली रो मतलब वो नहीं है, भायले हेतड़ी और भायली में फरक है । गोठियो, बालपणा रो गोठियो, बचपणां रो दोस्त वे वो गोठियो । तो राजस्थानी में शब्दां री कमी नहीं है । जोधपुर में, बीकानेर में कंई लोग रिसर्च कर रिया है, अंग्रेजी टू राजस्थानी टू अंग्रेजी, जोधपुर में चौपासनी स्कूल है बठे जाय ने देखो, बीकानेर में काम चल रियो है बठे जायने देखो और समझो । कोई धन गेलो वे उणने ठा नीं वे के उणरे घर में धन कितो है । आपांरी राजस्थानी में कांई कांई है इनी आपने ठा कोनी, बठे जाओ ने देखो तो ठा पड़े ।

आं लबजां रे साथे मैं सभापतिजी, जो बाईसा प्रस्ताव रखियो है वांने विणती करूं हूं के प्रस्ताव ने पाछो ले लेवे ।

श्री विजयसिंह झाला : बाईसा ने राजी करणने बातनं घणी के दी पण प्रस्ताव तो मंजूर नी करियो ।

श्री मथुरादास माथुर : बाईसा ने थांने भी राजी करणा चाहिजे नाराज़ तो थे भी मत करो ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सभापति महोदय, जिन शब्दों में मन्त्री महोदय, ने राजस्थानी भाषा की प्रशंसा की और एक प्रकार से इसी बोली में बोल कर उसे मान्यता प्रदान की उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं और उपमंत्रीजी शिक्षा ने जो आश्वासन दिया है । उस पर मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूं ।

श्री मोहनलाल सारस्वत लुगायां भोली होवे है ।

श्री सभापति : क्या सदन की मंशा है कि उन्हें प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : संकल्प पाछो लू हूं।

श्री सभापति : श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(म० पू० ११-५२)

छात्रों को स्कूलों में प्रवेश देने की नीति के संबंध में संकल्प

श्रीदुर्गालल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): सभापति महोदय, मैं अपना एक प्रस्ताव इस सद की राय में छात्रों को स्कूलों एवं कालेजों में प्रवेश देने की वर्तमान नीति शिक्षा की प्रगतिमें बाधक है, अतः इसका पुनर्विलोकन किया जाय, इस सदन के समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत करता हूँ कि वर्तमान शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों को स्कूलों और कालेजों में जो प्रवेश देने की नीति है उस नीति से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बाधा उपस्थित हो रही है।

माननीय चेयरमेन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सारे माननीय सदस्यों का, राज्य के अधिकारियों का और मन्त्रियों का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने क चेष्टा करूंगा कि शिक्षा का जीवन से कितना गहरा और ऊंचा सम्बन्ध है। शिक्षा के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूँ कि जिस प्रकार हमारी सरकार पंचवर्षीय योजनाओं में कल कारखानों पर, उत्पादन बढ़ाने पर, अन्यान्य विकास कार्यों पर खर्च करती है, यह बुरा नहीं पर अगर इतना ही यह शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करे, शिक्षा के क्षेत्र में उतना ही खर्च कर के प्रगति की जाय तो देश का अधिक से अधिक कल्याण हो सकता है। मेरी तो मान्यता है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जैसो प्रगति होनी चाहिये थी वैसी प्रगति नहीं हुई है। उपेक्षा दृष्टि से सोतेले बेटे के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता है उस प्रकार का व्यवहार शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से हुआ है। उसी का मूल कारण है कि राज्य के सामने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आज इस प्रकार की कठिनाइयां हैं। ये कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उनका एक मूल कारण, एक मात्र कारण यही समझना चाहिये। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन उन्नत नहीं हो सकता बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर है। हमारे शिक्षा मन्त्री साहित्यिक व्यक्ति हैं, उप-शिक्षा मन्त्री भी साहित्य थोड़ी रूचि रखते हैं। आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले शिक्षा के बारे में भर्तृहरि ने कहा है :

साहित्य संगीत कला विहीन :
ससाक्षात्पशु पुच्छ विषाण हीनः।
तृणं न खादन्नपि जीवमानः
तद्भागधेयं परमं पशुनाम्।

जब आप इस बात को जानते हैं, जब

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

आप इस बात पर विश्वास करते हैं, और यह मान कर चलते है कि मनुष्य और पशु में देखने में सींग और पूंछ का अन्तर है और कोई फरक नहीं केवल शिक्षा का ही सबसे बड़ा अन्तर है। यदि मनुष्य में शिक्षा नहीं है तो वह पशु ही है। तो मैं कहूँगा कि आजादी के इन १५ साल के लम्बे अर्से में यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में पूरा ध्यान देते तो आज आपके सामने इस प्रकार की रिपोर्ट आती है, इन्टरव्यू लेते हैं उनमें इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि इन्टर, बी० ए० पास कर लेते हैं पर सही लिखना बोलना नहीं आता। वे न तो राज्य के काम में किसी प्रकार की मदद करने वाले होते हैं और न ही उन्हें जीवन का अनुभव होता है। इस प्रकार के जवानों को पैदा करने बाद भी क्या आप समझते हैं कि आपका देश तरक्की की तरफ जा रहा है ? मैं तो कहूँगा कि प्रकार के युवक आपने पैदा किये हैं, इस प्रकार का सौतेला व्यवहार शिक्षा के क्षेत्र में आपने किया है, यह देश की प्रगति के लिये सबसे बड़ा बाधक और घातक सिद्ध हुआ है। आप को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस प्रगति के अन्दर बाधा पैदा करने वाले विकार हैं उनको दूर करने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये।

मेरी समझ में नहीं आता कि जिस प्रस्ताव को लेकर मैं आरहा हूं, उस प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये थी। जब अभी सरकारी पक्ष की ओर से बातें सुनी तो प्रसन्नता हुई, उप मन्त्री शिक्षा राजस्थानी की बड़ी प्रशंसा करते चले गये और कहा कि वीर रस, करुणा रस त्याग और बलिदान का इतिहास इस राजस्थानी के साहित्य में भरा हुआ है, जैसी राजस्थानी साहित्य की प्रशंसा की वैसी ही उदारता इस शिक्षा के क्षेत्र में भी रखेंगे। जिसका साहित्य में इतना प्रेम हो, साहित्य के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं उस व्यक्ति से मैं यही आशा करके चलता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उतनी ही श्रद्धा और आस्था प्रदर्शित करेंगे। पर केवल श्रद्धा और आस्था से यहां काम नहीं चलेगा।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत पदासीन)
म० पू० ११.५७

शिक्षा के क्षेत्र में जो दिक्कतें आती हैं, कमियां हैं उन पर पूरी तरह से ध्यान देकर निराकरण करना चाहिये, निराकरण के रास्ते पर अग्रसर होना चाहिये। यह केवल आस्था और विश्वास की बात नहीं है, यह आपका कर्त्तव्य है, यह आपका उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को निबाहने के लिये आप कहां तक आगे बढ़ते हैं यह हम देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र में जो दिक्कतें आती हैं उनके लिये यह प्रस्ताव लाना पड़ा है, वह प्रस्ताव लाने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये थी। पर ऐसा लगता है कि मन्त्रीगण और उप-मन्त्रीगण के बच्चे शायद स्कूलों से नहीं पढ़ते, इसलिये उन्हें ये दिक्कतें महसूस नहीं होतीं। उनके बच्चे ऊंचे ऊंचे इन्स्टीट्यूशन्स सेंट जेवियर आदि में पढ़ते होंगे। साधारण स्कूलों में एडमिशन पाने में जन साधारण को क्या दिक्कतें होती हैं, इसका उन्हें पता नहीं। एडमिशन के दिनों में जन साधारण को जो दिक्कतें होती हैं उनकी ओर माननीय

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

मन्त्रीजी और उप मन्त्रीजी का ध्यान मैंने आकर्षित किया है । वे लोग किस प्रकार अपने बच्चों के एडमिशन के लिये खड़े रहते हैं । उनको एडमिशन फार्म नहीं मिलते हैं, एड्मिशन में इस प्रकार की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, एड्निशन नहीं होता है ।

आज आपकी शासन-व्यवस्था में किसी को खाने के लिए अनाज जिस प्रकार प्राप्त करना होता है, राशन लेने के लिए एक क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, नौकरी को प्राप्त करने के लिए वहां जाकर एम्प्लॉइमेंट एक्सचेंज में क्यू लगाकर खड़ा रहना पड़ता है, उसी प्रकार की कठिनाई एडमिशन प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, उनके स्कूलों के सामने जाकर उठानी पड़ती हैं । आप इन कठिनाइयों की ओर स्वतः ध्यान देते तो किसी सदस्य को यह मौका नहीं मिलता कि वह इस प्रकार का प्रस्ताव विधान सभा के सामने आपके कानों तक लाने की कोशिश करता । इसको तो आपको अपना कर्त्तव्य समझ कर इसमें सुधार करना चाहिए । आपको दो तीन महत्वपूर्ण बातें ये बता देना चाहता हूं कि एडिमशन में कुछ एज रेस्ट्रिक्शन्स, कुछ सर्टिफिकेट की रेस्ट्रिक्शन्स, कुछ बोनाफाइड सर्टिफिकेट की रेस्ट्रिक्शन्स. ऐसी बहुत सी बातें और लगा दी हैं कि जिनके द्वारा पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में कठिनाइयां थीं और अब तो और भी बढ़ गई हैं । ये दो तीन विद्यार्थियों की ऐसी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से विद्यार्थियों को सुविधा के साथ शिक्षा को प्राप्त करना यदि असम्भव नहीं तो कठिन सा होता जा रहा है ।

मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि १९६३ के अन्दर बोर्ड ऑफ सेकन्डरी एजूकेशन की ओर से एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसके द्वारा यह निश्चित किया गया है कि हाई स्कूल का इम्तिहान जो व्यक्ति देगा उसकी उम्र १५ वर्ष होनी चाहिए और १५ वर्ष उम्र एक अक्तूबर को होनी चाहिए जिस साल के मार्च या अप्रेल के अन्दर वह इम्तिहान देगा । मार्च, १९६३ के अन्दर एक बच्चा है जिसकी उम्र १३ साल है और आपने यह कानून पास कर दिया कि उसको मार्च के अन्दर इम्तिहान देना पड़ेगा एक अक्तूबर के दिन उसकी उम्र १३ साल रह गई, उसको आप इम्तिहान के अन्दर नहीं बैठने देंगे । उसने क्या गुनाह किया जिसने चार साल की उम्र में एडमिशन पाकर अपनी होशियारी का परिचय दिया । ३—४ साल की उम्र में बच्चा प्रगतिशील हो जाता है, समझने लगता है, १०—२०—५० शब्द अंग्रेजी के, अंग्रेजो की गिनती, हिन्दी की गिनती, अक्षरों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ऐसा बौद्धिक बच्चा प्रगति के रास्ते पर जाता है उसको थोड़ा मां बाप का सहयोग मिलता है । ऐसे प्रगतिशील बच्चे भी होते हैं जो एक एक साल में दो दो इम्तिहान पास करने की भी क्षमता रखते हैं । ऐसे बच्चे १२-१३ साल की उम्र में मेट्रिक कक्षा में पहुंच जाते हैं । उन पर आप प्रतिबंध लगाते हैं इस बात का कि जब तक वह १५ साल की उम्र प्राप्त न करे किसी इम्तिहान के अन्दर बैठ नहीं सकता । तो हम यह मान कर चलें कि जो उच्च शिक्षा शास्त्री इस बात पर विचार करने के लिए बैठते हैं उनके हृदय में इस प्रकार की धारणा बन गई है कि हिन्दुस्तान में इन्सान पैदा नहीं होते, बल्कि पशु

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

पैदा होते हैं जो १५ साल की उम्र तक इतनी क्षमता प्राप्त नहीं कर सकता कि मैट्रिक की छोटी सी पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर सके। जिस देश में १२ साल की उम्र में अभिमन्यू ने चक्रव्यूह तोड़ा था, जहां १२ वर्ष की उम्र में शंकाराचार्य वेदों की रचना कर सकते थे, आपको उस गौरवपूर्ण इतिहास की ओर ध्यान देना चाहिए। आप स्वयं विद्वान हैं जरा विचार कीजिए। इस प्रकार का प्रतिबंध जो आप विद्यार्थियों पर लगाते हैं, आप उनके शिक्षा के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि आपने रिजोल्यूशन तो पास कर दिया बोर्ड की तरफ से और इस रिजोल्यूशन द्वारा इसमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रतिबन्ध भी आपने लगा दिया लेकिन इससे पहले आपने यह नहीं सोचा कि यह प्रतिबंध हाई स्कूल में या हायर सैकन्डरी क्लासेज़ में जाकर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको यह प्रतिबंध लगाना था तो आपको प्रारम्भिक स्टेज पर लगाना था। आप यह तो कल्पना करते हैं कि देश में प्रगतिशील बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। यदि यह धारणा लेकर चलते हैं तो साथ में एक ऐसा कानून भी बना दें कि जो लड़का एक साल में दो परीक्षाओं में बैठे तो उसको जबरदस्ती फेल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं करनी है। हमें जानवरों की जरूरत है। मुझे उर्दू की एक लाइन याद आ गई है :

"हर शाख पर उल्लू बैठा है,
अंजामे गुलिस्तां क्या होगा!"

चमन को बरबाद करने के लिए एक उल्लू ही काफी था। मैं यह कहता हूं कि जब एक उल्लू काफी है सारे चमन को बरबाद करने के लिए तो आप दस हजार उल्लू पैदा करने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं?

उप शिक्षा मन्त्रीजी! यह हंसने का विषय नहीं है, आप गम्भीरता से इस विषय पर सोचें। जिस प्रकार से आप श्रवण करना चाहते हैं, इस श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। लोगों के सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, तब हम समझेंगे कि सही माने में हमारे उप-शिक्षा मंत्री अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मैं तो यह कहने के लिए तैयार हूं कि दा साहब एक विद्वान हैं, एक शिक्षा शास्त्री हैं, वह इस बुढ़ापे में तो इस पुनीत काम को कर लें, इस पर विचार करें और रिलीफ देने की चेष्टा करें।

खैर, इन बातों को जाने दीजिए, यह आपके सोचने की बात है, मुझे इन सब बातों से लेना देना नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इस कानून को रिट्रास्पेक्टिव मानते हैं या प्रोस्पेक्टिव मानते हैं? आपने १५ साल की रेस्ट्रिकशन लगाई। कोई बच्चा १३ साल का मैट्रिक की क्लास में आ गया और फिर परीक्षा देने के लिए दरवाजे बन्द हो गए दो साल तक वह इन्तजार करे। लड़का बैद्धिक था। उसकी क्या हालत होगी? दो साल कहां जायगा? उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। परीक्षा से बच्चों पर नियंत्रण होता है, परीक्षा का बच्चों पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। खाली बैठने से वह सिनेमा में जायगा, बाग़ में जायगा,

(श्री दुर्गालाल बाददार)

इस तरह से वह बौद्धिक बच्चा जो बराबर पढ़ता हुआ तरक्की के रास्ते पर जाता था, वह बरबाद हो जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपके कौन से शिक्षा शास्त्री इस प्रकार के बैठे हुए हैं जिन्होंने यह बात आपको सुझायी ? अगर आपकी यह दलील है कि छोटे छोटे बच्चे मैट्रिक पास कर लेते हैं, इन्टर पास कर लेते हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों का जहां सवाल आता है, कहीं डॉक्टर की अपॉइन्टमेंट करनी पड़ती है, कहीं इंजनीयर अपॉइन्टमेंट करना पड़ता है और कहीं और ऑफिसर्स का अपॉइन्टमेंट करना पड़ता है तो वे छोटे से ठिगने से आदमी हमारे सामने आते हैं और इस प्रकार से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अन्दर बहुत दिक्कत पड़ती है। मैं आपको यह बताता हूँ कि उनको शायद प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं है। उनके शिक्षा—शास्त्रियों ने कौने में बैठ कर विचार रख दिया होगा। अरे साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जुडिशियल सर्विस में आपने कुछ नियम बना रखे हैं, कायदे बना रखे हैं। आप पहले आर. जे. एस, आर, ए, एस. के लिए इम्तिहान लेते हैं और एक नमूने की और तेज बात बताना चाहता हूं उसको समझ कर चलना चाहिये। १७ या २७ जगह है। एप्लीकेशन्स ६० हजार ले लेते हैं। आप हजारों रुपया उनसे इक्ट्ठा कर लेते हैं। पास करते हैं सिर्फ १००। यहां तक रिपोर्ट आती है, मैं बुराई नहीं करता हूं, एपॉइन्टमेन्ट करने का क्या कायदा ? कुछ नहीं। लेना होता है उनको पहले से ही तय कर लेते हैं, वाया वोसी में जाकर उनको फैल कर देते हैं जिनको नहीं लेना होता है। जब जबानी इम्तिहान लेते हैं, इन्टरव्यू लेते हैं तो ये सारे मसले सामने आते ही हैं कि उसकी हालत कैसी है, उसकी पर्सनेलिटी कैसी है, उसको देख सकते हैं, आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अनुपयुक्त या अयोग्य समझते हैं तो मत लीजिये। उसको जगह मत दीजिये। लेकिन यह कह कर कि अधिकार है हम मना कर देते हैं। एक तरफ आपका संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के फन्डामेन्टल राइट्स देता है और यह भी गारन्टी देता है कि हर एक आदमी को विचार व्यक्त करने की स्वाधीनता है, हर एक व्यक्ति को कहने की स्वतन्त्रता है, उस देश में फन्डा मेन्टल विचारों को रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए कोई इन्टेन्शनली इस प्रकार का प्रोविजन किया जाय उस देश में यह एक कलंक की बात है, एक शर्म की बात है। एक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इस प्रकार का उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाय तो कोई स्वतन्त्र राष्ट्र इस प्रकार के कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा।

मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। इस राजस्थान में एक तो राजस्थान युनिवर्सिटी चलती है, दूसरी जोधपुर युनिवर्सिटी चलती है और तीसरी उदयपुर में युनिवर्सिटी चलती है! मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जहां राजस्थान युनिवर्सिटी का सवाल हो वहां आप एज़ का रेस्ट्रिक्शन लागू करना चाहते हैं, जब कि जोधपुर और उदयपुर युनिवर्सिटी में इस प्रकार का एज़ का कोई लिमिटेशन नहीं है ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जोधपुर की युनिवर्सिटी में इस प्रकार का कोई एज़ का रेस्ट्रिक्शन नहीं, उदयपुर की युनिसिटी में इस प्रकार का कोई एज़ का रेट्रिक्शन नहीं लेकिन यहां के बच्चे जब युनिवर्सिटी की स्टेज पर पहुंचते हैं तो उनके लिए दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार एडमिशन रोक देने से गरीब लोगों के बच्चों के लिए बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो गई है। मैं उस इलाके को बिलोंग करता हूं जहां गरीब इन्सान रहते हैं, जहां पर अमीर इन्सान नहीं रहते हैं। गरीबों के बच्चे किसी तरह से मुश्किल से शिक्षा प्राप्त करते हैं, मेट्रिक करते हैं, इन्टर पास करते हैं, एज़ का रेस्ट्रिक्शन आजाता है और उनको युनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं मिलता। उनकी स्थिति ऐसी नहीं कि वे जोधपुर या उदयपुर में जाकर पढ़ सकें। इस जयपुर शहर के बहुत से बच्चे जो अमीर घरानों के हैं, सम्पन्न घरानों के हैं, उन्होंने जोधपुर या उदयपुर जाकर एडमिशन ले लिया गरीबी बहुत बड़ा रोग है, अभिशाप है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या आप ऐसे लड़कों की लिस्ट बता सकते हैं कि जिनको एडमिशन नहीं मिला है?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: मैंने तीन लड़कों का एडमिशन कराया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गरीबों के?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : गरीबों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ग्लेरिंग इन्स्टान्स मेरे पास है। ऐसे लड़के हैं जो मेट्रिक पास करने के बाद पार्ट टाइम जोब करते हैं, दफ्तरों में नौकरी करते हैं, ऐसे लड़कों से मुझे प्रेम है और मैं हर बार जो भी उनकी मदद कर सकता हूं करने की कोशिश करता हूं। इसमें दावे की बात है, डर की बात नहीं है। मैंने अपनी पार्टी के दफ्तर में ही उनको एम्प्लॉयमेन्ट देने की कोशिश की है जिससे वे बच्चे पढ़ते रहें और आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई बन्द न हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्यों उन बच्चों का भट्टा बिठा रहे हो?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप छोड़िये इन बातों को कि स्वतन्त्र पार्टी मालदारों की पार्टी है या गरीबों की पार्टी है लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गरीबों का जागीरदार और मोनोपोलिस्ट भट्टा बिठा रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप तो डेस्ट्रेक्टिव टेन्डेन्सी की बात करते हैं। आप तो क्यास पैदा करने की ओर बढ़ते हैं। आपकी जो भावना है वह बिलकुल गलत है।

मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जिस जयपुर स्टेट को बिलगों करता हूं आप स्टडी करके देख लीजिये, आप स्टेटिस्टिक्स उठा कर देख लीजिये कि यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन जयपुर राज्य में कितनी प्रगति थी, कितने उसमें कॉलेज और शिक्षण संस्थायें थीं। बजट जयपुर स्टेट का

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

शिक्षा के माने में जो प्रोव इड किया हुआ था वह कितना ? लड़के और लड़कियों की शिक्षा में कितनी प्रगति थी यह आपको उन आंकड़ों से प्रगट हो जायेगा। मुझे इसमें अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, दूसरी स्टेट के मुकाबले में यहां कितनी प्रगति थी यह आपको स्वतः मालूम हो जायेगा ? कौनसी स्टेट में ज्यादा बच्चे पढ़ते थे यह भी मालूम हो जायगा। खैर ! इन बातों को छोड़िये । इस बात को लेकर में कोई तारीफ या बुराई की बात नहीं करता, जो यथार्थ और सत्य बात है वह कहना चाहता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद) ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर। मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि जयपुर स्टेट में प्रगति थी तो यह किस को प्रसंग करके कहा जा रहा है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Is it any point of order ? Any hon. Member who raises point of order must understand the significance of point of order. It is most surprising that he is raising a point of order.

श्रीमती सभानेत्री : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया था, माननीय सदस्य ने पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन उठाया था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : That is something different. He can ask that.

श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा : इस चन्द्र महल की सफेदी के सिवाय और कोई तरक्की देखी। नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : छोड़िये इन बातों को।

मैं यह निवेदन करना चाहता था, माननीया सभापति महोदया, यह जो शिक्षा के क्षेत्र में बन्धक स्थितियां क्यों पैदा होती हैं ? दो चार कान्क्रीट इन्स्टान्स रखना चाहता हूं, जाज्वल्यमान उदाहरण रखना चाहता हूं। एक बच्चा है जिसकी उम्र १ नवम्बर को १५ साल की होती है और वह एडमिशन के लिए कोशिश करता है लेकिन अपने कानून में नियम इस प्रकार का रखा है कि उसकी उम्र १ नवम्बर को ही १५ साल की होनी चाहिये और वह २ नवम्बर को ही १५ साल का होता है। एक दिन की हार्डशिप है। अधिकारियों के सामने बच्चा जाकर गिड़गिड़ाता है। कहता है कि आप केल्कुलेशन करके देखो, गिनती करने की दिक्कत है। १५ साल में तीन दिन तो ली—पईयर के आ गये होंगे। तीन दिन तो अधिक है मेरी उम्र। वे भी मेरी जान को दुश्मन बन कर आगये। उन पर तो ध्यान दो। नियमों के इस चक्कर में पड़ा हुआ आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन बातों को नहीं देखता है, इन हार्डशिप के केसेज में बिलकुल विचार करने की कोशिश नहीं करता और गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि प्रोविजनल एडमिशन किसी इन्स्टीट्यूटशन में दिया जा सकता है। मैं आपको कान्क्रीट उदाहरण देता हूं। इसी साल के देता हूं। नियमों में यह अवश्य रख दिया होगा कि प्रोविजनल एडमिशन कर सकते हैं।

जैसा कि आज का यहां का सवाल है प्रोविजनल एडमिशन किस सरकम्स्टान्सेज के अन्दर होता है, वह भी देखिये। आपने १ अक्टोबर का नियम रखा है पन्द्रह साल की उम्र एक अक्टोबर तक होनी चाहिये। १४

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

साल या १४॥ साल का हो तो प्रोवीजनल एडमिशन लेलेता है। वह छात्र एक साल के लिये आजाद है उसके मां बाप फीस देते हैं किताबें देते हैं, बैठने के लिये साइकिल देते हैं पहनने को कपड़े देते हैं इतने पर भी इम्तहान कोई लेने वाला नहीं है। ऐसे प्रोवीजनल एडमिशन से क्या होगा ? इसके अलावा मैं एक कोन्क्रीट उदाहरण देना चाहूंगा एक बच्चा तेरह साल की उम्र का है वह प्रोवीजनल एडमिशन नहीं लेता वह दो साल तक किस मंजिल में जाकर बैठेगा उसकी उम्र कच्ची है फैक्टरी में वह नौकरी नहीं कर सकता पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेन्ट उसको नहीं मिलेगा तो वह क्या करेगा, दुर्व्यसनों में पड़ेगा इस तरह से उस बच्चे की जिन्दगी बरबादी की ओर जावेगी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं शिक्षा की प्रगति को लक्ष्य बना कर राज्य सरकार जो इस प्रकार का कानून बना रही है प्राईमरी एज्युकेशन बिल ला रही है जिसके अनुसार हर बच्चे को ११ वर्ष की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। इन विचारों का मैं सम्मान करता हूं। यह राज्य का कर्तव्य है कि हर नागरिक को शिक्षा दे उसकी औषधि के लिये प्रबन्ध करे उसका फ्री खर्चा दे। इसी विचार धारा को लेकर राज्य सरकार चलती है इन विचारों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी बता देना चाहता हूं कि आप अन्दाज लगा लीजिये, आंखों से देख लीजिये, सैकन्डरी स्कूल, अब हाई स्कूल तो रही नहीं, सेकेन्डरी स्कूल्स कितने हैं जो कितने विद्यार्थियों को खपा सकते हैं ? आज की स्थिति में जब आप प्राईमरी एजुकेशन कम्पलसरी करने जा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूलों से, गवर्नमेन्ट एडेड स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो छात्र निकलेंगे उन सबका एडमिशन आप सेकन्डरी स्कूलों में कर भी सकेंगे या नहीं ? आज भी हम देखते हैं ऐसे छात्रों के लिए सेकेन्डरी स्कूलों में नो वेकेन्सी का बोर्ड टंगा हुआ दिखता है। एडमिशन देने के लिये आपकी राज्य सरकार कतई तैयार नहीं है। जब इसके लिये स्कूलों के हैड्मास्टर या प्रिन्सिपल महोदय को जाकर कहते हैं तो वे कहते हैं कि कायदे के मुताबिक ४०--५० ही विद्यार्थी हमें लेने चाहिये थे हमने साठ सत्तर का एडमिशन कर लिया। पांच छ सेक्शन्स की ही हमारे यहां व्यवस्था है उसकी जगह आठ-दस सेक्शन्स खोल दिये हैं आखिर कहां तक एक्जोर्ब करें ?

इसके साथ-साथ अगर आपको एज लिमिट ही लगानी थी तो शुरू में ही लगानी चाहिये पहली क्लास के बच्चों के लिये एज लिमिट लगा दीजिये........

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय सदन में कोरम नहीं है केवल ६,१० सदस्य ही मौजूद हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है जिनको कोरम रखना चाहिये वे लोग भी कोरम नहीं रखते....

(गणपूरक घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सभापति महोदया, मैं जैसा कि निवेदन कर रहा था एज लिमिट करनी है तो प्रारम्भ से ही करनी चाहिये। प्रारम्भ से नहीं करते हैं तो आगे चल कर शिक्षा की प्रगति में बाधक साबित होगा।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जो नियम या कानून बनते हैं उनके मुताबिक ६ साल की उम्र में पहली कक्षा में एडमिशन हासिल करता है और बराबर पास होता रहता है तो वह जाकर १६ साल की उम्र में हॉयर सेकेन्डरी पास करता है। हमारे जिस प्रकार के संस्कार चलते हैं उनमें शिक्षा को भी एक संस्कार मानते हैं। आप यह चाहें कि भारत के लोग अपनी संस्कृति को छोड़ दें यह हो नहीं सकता और राजस्थान के लोग तो उसको छोड़ नहीं सकते। आप उसको अन्ध विश्वास भले ही कहें लेकिन यहां तो मुंडन संस्कार, शिक्षा संस्कार आदि होंगे ही। शिक्षा संस्कार तीन वर्ष की उम्र में कर देते हैं या पांच या सत वर्ष के अन्दर करते हैं। आपके अनुसार चार-छः साल की उम्र में यह करना होगा इसमें कौनसी बड़ी विशेषता आपने रखी है कि छः साल की उम्र में बच्चा पढ़ना शुरू कर दे।

एक बात और महत्वपूर्ण है जिस भावना को लेकर आप आगे चलना चाहते हैं छः साल की उम्र के बच्चे को शिक्षा प्राप्त कराते हैं बराबर प्रगति करता हुआ वह नवीं क्लास तक पढ़ता चला जाता है। एक साल की उम्र में कमी के कारण वह मैट्रिक में बैठ नहीं सकता। एक साल उम्र छोटी होने के कारण वह प्रगतिशील बच्चा आगे जाकर एक साल रूक जाता है और उस साल को वह गारत कर देता है ? पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो जाता है और वह एक साल छोडकर दूसरी साल इम्तिहान में बैठ जाता है और उसमें वह पास नहीं होता तो जो उन्नति वह लगातार करता आया है उसकी उन्नति में रोक लग जाती है तो इस तरह से आप जो उम्र का नियम रखते हैं उससे आप ने उन्नति की है या अवनति की है ? इन सब बातों को आपको गंभीरता से सोचना चाहिये।

लड़कियों के बारे में और लडकों के बारे में १६ साल की उम्र में मैट्रिक पास करने का आप रखते हैं तो वह बी० ए० २० साल में जाकर पास करेगा। उसके बाद लॉ करेगा तो दो साल और लग जायेंगे और इन्जीनियरिंग और डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करेगा तो वह २५ साल की उम्र में जाकर पास कर सकेगा। २५ की उम्र में तो वह अगर हर साल पास होता गया तो हो सकेगा। अगर लाइन पर चलती चलती गाड़ी पटरी से फिसल गई तो डिरेलमेन्ट हो जायगा और इस तरह से साल दो साल कहीं रह गया तो २७-२८ साल में जाकर वह डॉक्टर या इन्जीनियर हो सकेगा। उसके बाद जब वह आपके पास नौकरी के लिये आयेगा तो आप कह देंगे कि आपतो एज-बार हो गये हैं तो आखिर आप इस तरह का नियम बनाकर आप देश को उन्नति की ओर लेजा रहे हैं या अवनति की ओर ? यह सोचने की बात है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं एक बात कह कर ही समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : इस पर पांच अमेंन्डमेंन्ट्स हैं और एक बजे इसको समाप्त करना है इसको ध्यान में रखकर चलिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक चीज और बता देना चाहता हूं आज कल युनिव-

Page No. 89

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

सिटी द्वारा जो कॉलेजेज में एडमिशन के लिये फार्म दिया होता है उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना लाजिमी है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट देने के लिये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा सार्टिफिकेट देने पर भी लड़कों को एडमिशन नहीं दिया जाता। मजिस्ट्रेट से जब विद्यार्थी सर्टिफिकेट लेने के लिये जाते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब फरमाते हैं कि ऐसे दो गवाह लाइये जिनको हम जानते हों। वह बेचारा कहां से लायेगा? इससे क्या होता है, कुछ लोग इस धन्धे को कर रहे हैं वे झूठी गवाही देकर सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह से झूठ को प्रोत्साहन देना चाहते हैं आखिर वह दो गवाह कहां से लायेगा? कुछ लोगों ने धन्धा बना लिया है वे लोग ही गवाही देते हैं। जहां आप मोरल स्टैन्डर्ड बहुत ऊंचा करना चाहते हैं वहां छोटे-छोटे कामों के लिये लोगों को झूठी गवाही देनी पड़ती है।

तीसरी सब से अधिक डिफिकल्टी पड़ती है अभी फिलहाल मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार से बोनाफाइडी के सर्टिफिकेट को लेकर वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि हम मजिस्ट्रेट द्वारा दिये हुए सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं देते। इन सार्टीफिकेटों के बारे में भी कहते हैं कि हम इनको रिकग्नाइज नहीं करते। आप ले आये होंगे मजिस्ट्रेट, फर्स्ट, क्लास मजिस्ट्रेट से पर हम तो इसको बोनाफाइड नहीं मानते। यह हमारी धारणा है। इस तरह की बातें है। अब या तो आप कानून का पालन करिये, फिर चाहे वह गलत हो या सही। जो मोहर लग गई उसको मान्यता देनी चाहिये। या फिर कानून को अलग कर दीजिये। इससे कम से कम विद्यार्थियों को राहत मिल जावेगी और आसानी से एडमिशन तो ले सकेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में काफी बातें हैं कहने को। पर दुर्भाग्य से समय नहीं मिल रहा है कहने को। इसलिये उनको व्यक्त नहीं कर सकता। जो तथ्य मैं रख रहा हूं उसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। यह विद्यार्थियों और उनके मां बापों की आवाज है।

आज महंगाई के जमाने में पेट भरना मुश्किल है। पर बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिये लोगों को अपनी मजदूरी को छोड़कर तीन-तीन और चार-चार दिन तक स्कूलों के दरवाजों के चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर भी एडमिशन नहीं मिलता। इन बच्चों की ओर आप देखिये। इन को प्रतिबन्धों से मुक्ति दिलाने की चेष्टा करिये। यह सत्कार्य है। आशा करता हूं कि इन पर राज्य सरकार विचार करेगी और समुचित कदम इस दिशा में उठाने की चेष्टा करेगी।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड): सभापति महोदय, मैं जयपुर से आये माननीय सदस्य के संकल्प का समर्थन करता हूं। विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश पाने में वास्तव में बहुत सी असुविधाएं और अड़चनें हैं अब जैसे मद्रास में है कि Just after the completion of 5th year a child is supposed to be sent by the guardians to the school.

(श्री अब्दुल जब्बार)

तो इस तरह से प्री हाईस्कूल शिक्षा की एज तै नहीं कर देते हैं तब तक यह प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है। इसके बाद शिक्षण संस्था और डिपार्टमेंट को भी यह कम्पलसरिली तै करना चाहिये कि जो शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद एम्प्लॉयमेंट में आता है तो उसके लिये क्या एज कम्पलसरी है ? वह एज बार तो नहीं होता है। यह उन्हें देखना है। इसको देखते हुए एजुकेशन कोड में तरमीम करना आवश्यक है।

अब आप कहते हैं कि १५ साल के बिना हाई स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। तो आप अन्दाज लगाइये कि आज सोसॉइटी में कितनी खराबियां घर कर गई हैं। आज कोई भी कितनी से कितनी बड़ी और कल्चर्ड फैमिली हो उसका बच्चा अगर साल भर बेकार रहा तो सोसॉइटी का असर उस पर भी हो जावेगा। उसका एक साल के बाद यह हाल हो जावेगा जैसा तेज धार वाली तलवार को आप एक बरसाती पानी में रख दी जो जंग लगकर वह खराब हो जावेगी तो जैसे वह खराब हो जाती है वही हाल उस बच्चे का हो जावेगा। तो अगर किसी बच्चे ने १४ साल की उम्र में हाई स्कूल पास कर ली तो वह एक साल तक आगे एडमिशन नहीं ले सकेगा और इस तरह से बरबाद हो जावेगा। तो यह आपको सोचना है।

अब यह भी सोचना है कि हाइ स्कूल में एडमिशन की एज के साथ साथ एम्पलॉय-मेंट में जाने की एज कितनी है और उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में कितनी बेकारी है।

सन् ६१ के आंकड़ों को देखें तो १.५ लाख अन एम्प्लॉयमेन्ट था। अब ६१ के बाद तीन साल और निकल गये हैं तो ६४ में बेकारों के आंकड़े कहां तक पहुंचे होंगे ? पॉपुलेशन के एवरेज को देखते हुए करीब दो चार पांच लाख और भी बढ़े होंगे। तो एक तरफ तो ऐसी सूरत हो जाती है और दूसरी तरफ एजुकेशन दिलाने में एज का बन्धन डालते हैं।

इस संकल्प के द्वारा राजस्थान सरकार को एजुकेशन कोड को ही तरमीम नहीं करना है, बल्कि बेकारी मिटाने के लिये कदम भी सोचने हैं। एक बच्चा जो प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है उसको भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। आप सरकारी दफ्तरों में एज लिमिट कर दीजिये पर प्राइवेट फर्मों में तो नहीं है यह प्रतिबन्ध तो उसमें जाने वाले लड़के का आप एक साल क्यों बरबाद करते हैं ? उसकी जिन्दगी के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं ? अगर १४ वर्ष की उम्र में वह हाई स्कूल पास करके किसी फर्म में चला जाता है, अखबार में चला जाता है, दैनिक पत्र में चला जाता है, सुविधा का काम कर लेता है तो आपको क्या ऐतराज हो सकता है ? डिप्लोमा मांगने की चूंकि प्रेक्टिस है आजकल इसलिये उसे चाहिये, वह होगा तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आप इस एज की रोक मत लगाइये।

फिर क्या है आप बच्चों को स्कूल भेजो अभियान चलाते हैं। बच्चों को बाजारों और गलियों में इसके लिये चक्कर कटवाते हैं। मां बापों को इसके लिये बाध्य किया

श्री अब्दुल जब्बार)

जाता है। मैं उनको याद दिलाता हूं कि न स्कूल आपके इस काबिल हैं कि वे सारे बच्चों को बिठा सकें और न आपका इतना प्रबन्ध करने का साहस और समझ ही है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं याद दिलाना चाहती हूं आपके पीछे भी बहुत से बोलने वाले हैं, बहुत से एमेन्डमेन्ट्स हैं, आप शीघ्र वाइन्ड अप करिये।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं फ्रंटियर मेल की तरह चलना चाहता हूं, सभानेत्री महोदया, आप निश्चिन्त रहिये। मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं करूंगा।

शौक से आप बच्चों को भरती करिये पर अपने बजट को देखकर अपनी प्रबन्ध करने की क्षमता को देखकर करिये। प्लानिंग कमीशन बैठता है प्लान करने बाद में काम करता है। तो पहले सोचो कि ये बच्चे जब पढ़कर बाहर आवेंगे तो एम्प्लॉयमेन्ट के लिये आवाज उठावेंगे तो उनके एम्प्लॉयमेन्ट का प्रबन्ध तब तक हम कर सकेंगे या नहीं यह भी सोचें। और इसी तरह से नियम बनाने चाहिये।

अन्य बातों की ओर प्रकाश न डालते हुए समय के नहीं होने के कारण मैं अपना संशोधन रखता हूं जो इस प्रकार है :

"शब्द 'देने की वर्तमान' निकाल दिये जावें और उनके स्थान पर 'सम्बन्धी प्रचलित' रखे जायं। तथा शब्द 'अतः इसका' के पश्चात् के समस्त शब्द हटा दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द 'संशोधन अनिवार्य है' रखे जायं।" ताकि सही तरीके से इस संकल्प का मकसद पूरा हो जावे। इसमें एक ही सवाल नहीं है। बच्चों को करेक्टर सर्टिफिकेट के लिये भी परेशान होना पड़ता है। छोटी-छोटी हजारों बातें हैं। चित्तौड़ से निम्बाहेड़ा के बीच मैंने दौड़ते देखा है इसके लिये बच्चों को। जयपुर में सौ सर्टिफिकेट मैं इश्यू करता हूं गुड बिल में। इसमें तरमीम करनी चाहिये। हैड मास्टर करेक्टर सर्टीफिकेट दे देता है उसी को मान लेना चाहिये। स्वयं शिक्षा विभाग अपने अधिकारियों पर ही विश्वास न करें तो कैसे उनसे बच्चों के भविष्य के निर्माण की उम्मीद कर सकेगा। हैड मास्टर के लिखे को ही सही मान लेना चाहिये।

साथ ही निवेदन करता हूं कि कम से कम इस विभाग में तरमीम जो कुछ भी करनी हो अनिवार्य रूप से करें। यह बहुत सुस्त हो चला है। हजारों शिक्षक बेकार पड़े हैं। तनख्वाह तक नहीं मिलती उनको। तो शिक्षा की प्रगति को ध्यान में रखते हुए गरीब बच्चों को भी मौका मिले उनकी हैरानियां और कठिनाइयां दूर हों इन सबको ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ऐसी आशा करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अमरसिंह (दूदू) : सभापति महोदया, हवामहल, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसके ऊपर मैं अपना संशोधन रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

(श्री अमर सिंह दूदू)

संकल्प के अन्त में निम्न जोड़ा जाय —

'और वर्तमान प्रवेश प्रणाली में सुधार लाने हेतु एक समिति का गठन तुरन्त किया जाय।"

यह शिक्षा से संबन्ध रखता है और जब तक शिक्षा के महत्व को नहीं समझ लिया जाये तबतक संकल्प के बारे में विचार करना अधूरा हो जायेगा। लेकिन इसके बारे में काफी विचार व्यक्त हो चुके हैं। मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि शिक्षा मनुष्य के जीवन की एक आवश्यकता है और मनुष्य और पशु के बीच में केवल फर्क यही है। वैसे खाना पीना, भोग विलास करना पशु और मनुष्य दोनों में ही हैं लेकिन शिक्षा ही ऐसी चीज है जिससे नैतिकता, कार्य तत्परता, कर्तव्यनिष्ठा मनुष्य में आती है। यह नहीं हो तो पशु और मनुष्य में कोई फर्क ही न हो। लेकिन शिक्षा के प्रकार भी कई हैं। यह भी हमें देखना है कि यदि हमें कोई बन्धन लगाने हैं तो किन पर लगाने चाहिए और किन पर नहीं। जैसे आध्यात्मिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और टैक्निकल शिक्षा इत्यादि यह शिक्षा के प्रकार हैं। इनमें अलग अलग नियम लागू हो सकते हैं। सब में एक सा नियम नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज की शिक्षा जो कि कर्तव्य-निष्ठा और कार्य तत्परता की बताई वह वही नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैली हुई है। लोग अपने कर्तव्यों को नहीं समझते। यह तो बहुत बड़ी बात है अभी हम अपने संशोधन पर मूल रूप से आ जायें।

वैसे देखा जाय तो शिक्षा कॉलेजों और स्कूलों तक ही सीमित नहीं है लेकिन हमारा सारा जीवन ही शिक्षार्थी के रूप में है। हम आजीवन कुछ सीखते ही जाते हैं और यह संसार ही हमारा कॉलेज और स्कूल है। इसलिए प्रतिबन्ध हमें अन्दर और बाहर भी रखने पड़ेंगे। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया कि ऐज के बारे में कोई बन्धन नहीं होना चाहिए क्योंकि अलग अलग दिमाग के लोग होते हैं। कई तो कम उमर में ही ज्यादा सीख जाते हैं। और कई चालीस वर्ष के हो जाने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। अगर आज सरकार को इसकी नीति के बारे में कुछ बताते हैं तो वह कहते हैं कि बन्धन नहीं लगायें तो क्या करें मास्टर कम मिलते हैं तो कुछ लड़कों को तो इस तरह निकाल दिया जाता है। दूसरा कारण बताते हैं कि लोगों में बेकारी फैली हुई है और लोग इधर उधर फिर रहे हैं। मास्टरों की कमी बताई। तो मैं तो कहूंगा कि अगर यह कारण बताये जाते हैं तो यह सरकार की अयोग्यता ही है। दूसरे बताया कि मकानों की कमी है लड़कों की भर्तियां करके उन्हें कहां बैठायें? स्कूलों की बिल्डिंगों के बारे में गांव वालों के साथ खास तौर से अन्याय होता है। जब भी कभी और स्कूलों के खोलने की बात या और लड़कों के भर्ती करने की बात आती हैं तो कह दिया जाता है कि मकानों की गुंजाइश नहीं है, अगर मकान बना सकते हैं तो क्लास और खोली जा सकती है और भर्ती किये जा सकते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि शहरों में लाखों रुपये लगाकर कालेजेज़ बनाये जाते हैं और गांव वालों को इस तरह से कह दिया जाता है तो आप ही बताओ कि यह गांव वालों के साथ अन्याय है या नहीं? यह उनकी गरीबी पर एक प्रकार

(श्री अमरसिंह दूदू)

का बंधन है, अन्याय है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

दूसरी बात नौकरियों के बारे में बताई कि बहुत से लोग पढ़ जायेंगे तो क्या करेंगे। इसके लिए पहले तो शिक्षा-प्रणाली में सुधार किया जाय। खेती के, डाक्टरी के और घरों के कई धंधे हैं और आप ऐसा काम कीजिये कि जिसमें वह सब खप सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि बंधन नहीं होने चाहिए, कुछ होने भी चाहिए। जैसे कि किसी को छूत की बीमारी है उसको नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी संस्थायें हैं जो पैसे कमाने के लिए खोल दी गई हैं और उनका पैसा कमाने के अलावा दूसरा ऐम नहीं है। ऐसी संस्थाओं से पास होकर आने वालों को भर्ती नहीं किया जाये। फिर हमारे यहां कॉलेजों में उस समय तक एडमिशन्स नहीं दिये जायें जब तक कि शिक्षा का स्तर ठीक न हो जाये और हम लोग इस काबिल न हो जायें कि उस स्तर तक अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर लें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। लोगों को तब तक भर्ती नहीं किया जाये जब तक इस काबिल न हो जायें कि स्टेज के ऊपर अपनी भावनाओं को पवित्र न कर लें और यह मन में विचार न आ जायें कि यह हमारे भाई और बहन के समान हैं मां और लड़की के समान हैं जब तक यह भावना नहीं आ जाये तब तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चरित्रहीनता को चढ़ावा देना है। इसके अलावा और कई चीजों में छूट देने की बात है। मैंने जो सुझाव रखे हैं कि भर्ती सम्बन्धी नियमों का पुनरावलोकन किया जाय और ऐसी एक कमेटी भी बनाई जाय जिसमें यह मामले उसके सुपुर्द किये जायें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री केदारनाथ !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभानेत्री जी, इसमें मेरा संशोधन इस प्रकार है:- "शब्द बाधक हैं" के आगे ये शब्द और जोड़े जायें—"और छात्र समाज में घोर असंतोष है" यह ऐसा मामला है....

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपको याद दिला दूं समय का ख्याल रखें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) जिसकी सारे देश में चर्चा चल रही है। हमारी शिक्षा का एक सा स्टेन्डर्ड हो, हमारे सिलेबस एक से हों और कॉलेज में प्रवेश होने की उम्र एक सी हो। यह मसला ऐसा है कि तरह तरह के स्टैन्डर्ड और तरह तरह के सिलेबस होने के कारण हमारी राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचता है और जो व्यवस्था हम समाज में कायम करना चाहते हैं, जो शिक्षा का सिस्टम समाज में रखना चाहते हैं उसमें कुछ कन्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस मसले को लेकर हमारे छागला जी ने एक कमीशन नियुक्त किया है। हमारे राजस्थान के जब लड़के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो कम से कम ५ साल के होते हैं। अगर लड़के लगातार स्कूल में पढ़ें तो ११ साल की शिक्षा में हायर सेकन्डरी पास कर लेते हैं। जब एज तय की गई; मुदा-

(श्री केदारनाथ)

लियार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हुई तो उसे भी हमें देखना पड़ेगा कि लड़के इन्टेलेक्चुअलिटी प्राप्त कर लेते हैं या नहीं और उन लोगों के लिए एज का रेस्ट्रिक्शन न हो। जब प्राईमरी कम्पलसरी एज्यूकेशन होगी तो यह रेस्ट्रिक्शन्स तय होंगी कि स्कूल गोइंग एज कितनी हो? ४ साल की हो या ५ साल की हो और वह स्टेन्डर्ड सब जगह एक सा लागू होगा। आज जयपुर यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन स्टेन्डर्ड अलग है, जोधपुर और उदयपुर की यूनिवर्सिटी का स्टेन्डर्ड अलग है। इसलिए १६ वर्ष की उम्र कॉलेज प्रवेश करने के लिए काफी उपयुक्त है या नहीं इस पर जब मैं सोचता हूँ तो मैं पाता हूं कि आज की इकॉनॉमिक हालत में और जैसी हमारी फिजिकल फिटनेस है उसके मुताबिक १६ साल की उम्र ठीक है। ११ साल की शिक्षा के बाद जब लड़का कॉलेज में प्रवेश पाता है तो १६ साल की उम्र होनी चाहिए। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो कि फिजिकली फिट हैं, मजबूत हैं और इन्टलेक्चुअल हैं। छोटी उम्र में ऐसे छात्र कम से कम हजार में एक या दो मिलेंगे। बाकी ऐसे छात्रों का बहुमत कभी हो नहीं सकता। इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए हम सारी एज की रेस्ट्रिक्शन्स को बदल दें यह ठीक नहीं समझता हूं। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। जब प्राईमरी कम्पलसरी एज्यूकेशन लागू होगी तो राजस्थान में यह तय करेंगे कि अमूमन बच्चे की उम्र कितनी हो? एडमिशन्स के बारे में यह दिक्कतें हैं इस पर भी विचार होगा।

दूसरी दिक्कत सभानेत्री जी....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कि एज लिमिट है और स्कूल सरकार के हैं और स्कूल में बच्चे अपनी एज बनाकर भर्ती होते हैं तो क्या आप कम्पलसरी एजूकेशन के लिए वेट करेंगे? या जिस समय शुरु में भर्ती होते हैं उस समय एज का रेस्ट्रिक्शन लागू करें? तो सरकार उनकी जिन्दगी क्यों खराब करती है? यह समझ में नहीं आता। आप यह बतायें कि स्कूल में लड़के पढ़ते हैं और एज लिखी जाती है मास्टर यह अन्दाजा रखें कि लड़का १४ वर्ष में ही मैट्रिक पास कर लेगा तो फिर क्यों उसे भर्ती करते हैं। यह रेस्ट्रिक्शन तो नीचे से लगनी चाहिए। फिर कहा जाता है कि अब १६ साल का है, अब भर्ती कर लो। सवाल यह है कि गवर्नमेंट फेल हुई है, बच्चों की जिन्दगी और पेरेन्ट्स को बर्बाद कर रखा है और आप कहते हैं कि कम्पलसरी एज्यूकेशन के लिए वेट किया जाये। मैं तो कहता हूं कि आज ही इन्सट्रक्ट करें और जो बच्चे मेट्रिक में आते हैं उनको पास होने का मौका दिया जाये।

श्री केदारनाथ : सभानेत्री जी, यह प्रश्न ऐसा है जैसा मैंने अर्ज किया कि इस मसले पर काफी विचार की जरूरत है। जब बच्चे भर्ती होते हैं और उम्र पेरेन्ट्स लोग गलत लिखाते हैं, गलत एन्ट्रीज होती हैं। ठीक है कि हाईस्कूल में अपीयर होने से पहले उसको एक मौका मिलता है अपनी एज को दुरुस्त कराने का हलफनामे के साथ। मैं एक जनरल बात यह कह रहा हूं कि ११ साल शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने साल चाहिए यह उसकी

Page No. 95

(श्री केदारनाथ)

फिजिकल फिटनेस को देखते हुए, इन्टलेक्चुअल लेवल को देखते हुए, एज तय करनी पड़ेगी न कि यह कि कुछ लोग अपने घरों में बैठकर पढ़ाई कर लें और फिजिकली फिटनेस जल्दी हो जायें उनको ध्यान में रखते हुए एज रेस्ट्रिक्शन्स को रिलेक्स कर दें इसको मैं नहीं मानता। मैं उसको मानता हूं कि जो गांव के लड़के हैं और वे किन्हीं परिस्थितियों में पढ़ते हैं और किस उम्र में पढ़ना शुरू करते हैं उन सब बातों को देखते हुए हमारी सरकार को मानना पड़ेगा जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको दो साल छोड़ना पड़ता है, घर बैठना पड़ता है क्योंकि एडमिशन नहीं होता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी हालत है तो आप उसमें रिलेक्स कर सकते हैं। यह पावर सरकार के पास होनी चाहिए। मगर बोनाफाइड सर्टीफिकेट्स के लिए, इन्कम टैक्स सर्टिफिकेट के लिए, शिड्यूल्ड कास्ट के सर्टिफिकेट के लिए, बेकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट के लिए हर एक जगह यह बना दिया है। शिक्षा विभाग को इनको रिवाइज करना चाहिए या री-टच करे। जो एडमिशन फॉर्म्स राजाओं के वक्त के चले आ रहे हैं वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। इसलिए हालात बदलते जा रहे हैं उनके मुताबिक एडमिशन सरल हो। बहुत सरल उसका तरीका हो और कम से कम करें कि प्रिन्सिपल को अधिकार हो, हैडमास्टर को अधिकार हो या शिड्यूल्ड कास्ट का हो तो सरपंच को अधिकार हो, इन्कम का लेना हो तो पटवारी का सर्टिफिकेट काफी है। उसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाय। टेकनीकल कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट हो। एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और वह नहीं होता है और एडमिशन की डेट्स तय हो जाती है। उसके बाद लेट फीस है, कम्पीटीशन होता है और एडमिशन नहीं मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि टेकनिकेलिटीज पर जाकर एक लड़के का एडमिशन बन्द नहीं कर सकें ऐसे रूल्स और फार्म्स बना दें। मैं उन दिक्कतों की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

बाकी यह मसला आम है कि लड़कों की गिनती ज्यादा है और स्कूलों का नम्बर कम है, कालेजों का नम्बर कम है। दो साल से न प्राइमरी स्कूल्स का मिडिल स्कूल्स में अपग्रेडिंग किया है न हाई स्कूल का अपग्रेडिंग किया है। अपग्रेडिंग बन्द हो गया है। नम्बर बढ़ता जा रहा है। शिक्षा का विस्तार बहुत हुआ। इसलिए १४ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं विस्तार में तो पॉपुलेशन को लेना पड़ता है जो कि २.४ होता है उसके लिहाज से विस्तार होना चाहिए उसको बन्द कर दिया तो सेक्शन ज्यादा कर दें, बिल्डिंग ज्यादा हों, वहां इन्तजाम हो। यह सारे मसले ऐसे हैं जो सीमित समय में नहीं कह सकता हूं लेकिन एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि राजस्थान का एक स्टैण्डर्ड हो और एक सा एज रेस्ट्रिक्शन हो और एक से एडमिशन फार्म्स हों। तरह तरह से तब्दीली होकर तरह तरह के तरीके एडॉप्ट किये हैं उनमें यह गड़बड़ पड़ती है। इसलिए जोधपुर का हवाला देना चाहता हूं। उन्होंने फर्स्ट इअर टी० डी० सी० में कितना पर्सेन्टेज ऊंचा कर

(श्री केदारनाथ)

दिया कि न तो जयपुर उसको कम्पीट कर सका और न उदयपुर युनिवर्सिटी उसको कम्पीट कर सकी। इसलिए जितने टेकनीकल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, मेडीकल, पोलिटेकनिक और इन्जीनियरिंग उनमें सारे के सारे ७५ पर्सेन्ट जोधपुर के स्टूडेन्ट्स आ गये। उन्होंने क्या किया कि ३० पर्सेन्ट मार्क्स अपने पास रख लिये जिससे सेशनल मार्क्स दे सकें। ३० पर्सेन्ट में से वहां के लेक्चरर्स और मास्टरों ने २८ मार्क्स दिये थे। यहां पर एक लड़के ने टी० डी० सी० फर्स्ट यिअर पास किया उसको ५० पर्सेन्ट मार्क्स मिले तो वहां के लड़के ने उसी इन्टेलैक्चुअल लेवल वाले ने ६० पर्सेन्ट मार्क्स ले लिये तो लाजमी तौर से मेडीकल कालेज में या दूसरी टेकनीकल इन्स्टीट्यूशन्स में उसको तरजीह दी जायगी, उसका एडमिशन हो जायगा। इसलिए जोधपुर में हाई पर्सेन्टेज मार्क्स हो गये। फर्स्ट यिअर टी० डी० सी० में तो सारी की सारी टेकनीकल इन्स्टीट्यूशन्स में उनको प्रिफरेन्स मिल गया। ऐसी पॉलिसी एक सरकार के होते हुए बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। इसलिये सीट्स ज्यादा बढ़ानी पड़ी।

जैसा मैं सुनता हूं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट को माना नहीं। यह उनका डिस्क्रीशन है। उसके पेरेन्ट्स यहां रहते हैं। क्या हुआ पास कर लिया पंजाब से या बाहर से? उसके पेरेन्ट्स यहां रहते हैं। आप कहते हैं कि प्रापर्टी सर्टिफिकेट लाओ। एक लड़के से कहते हैं, "प्रापर्टी नहीं है तो प्रापर्टी बिना बोनाफाइड नहीं मानते हैं। गलत डिस्क्रीशन हुआ है मेडीकल कालेज में। इसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाओ कि कौन सी उम्र सबसे पहले जब स्कूल में जाय तो होनी चाहिए। जब कालेज में प्रवेश करे तो कितनी उम्र का हो। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट की एज का हो। जब रिटायरमेंट की एज तीन साल आगे बढ़ गई है तो एम्प्लॉयमेंट की एज भी आगे बढ़नी चाहिए ताकि उस उम्र तक शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने आपको नौकरी के लायक बना सके।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, शिक्षा) : सभापति महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : अभी दो अमेंडमेंट और हैं। श्री लक्ष्मण प्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : सभापति महोदया, स्कूल में प्रवेश का प्रश्न इस प्रस्ताव के रूप में उपस्थित हुआ है। यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर प्रश्न होता जा रहा है, और मैंने एक अमेण्डमेंट—शब्द 'वर्तमान नीति शिक्षा की प्रगति में बाधक है' के बाद शब्द 'तथा असुविधा पूर्ण है' जोड़े जायं तथा शब्द 'इसका पुनर्विलोकन किया जाय' के स्थान पर 'इसको बदला जाय' किये जायं"—के द्वारा इसमें कुछ और जोड़ दिया है कि इस सम्बन्ध के अन्दर जो युनिवर्सिटी और सरकार की वर्तमान नीति है उससे भी मैं कतई सहमत नहीं हूं। इस नीति को भी सरकार को बदलना चाहिए। प्राइमरी, सेकण्डरी, कालेज एज्यूकेशन और टेकनीकल एज्यूकेशन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के अन्दर प्रवेश के लिए विद्यार्थी तैयार करना और उनको प्रवेश देना दोनों ही काफी गलत नीतियों से प्रभावित हैं। राजस्थान सरकार ने जहां भारत में सबसे अधिक प्राइमरी शिक्षा स्वर्गीय प्रातः स्मरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट करके जो गौरव प्राप्त किया है वहां वे इस बात का गौरव प्राप्त नहीं कर सके न प्राइमरी एज्युकेशन में, न सेकण्डरी एजूकेशन में, न कालेज एज्यूकेशन में, न टेकनीकल एज्युकेशन में कि पर केपिटा एक विद्यार्थी के ऊपर कितना खर्चा होता है, पर केपिटा एक विद्यार्थी को कितनी फेसिलिटी दी जाती है और प्रत्येक विद्यार्थी को एडमिशन्स की फेसिलिटीज इसकी ही कारोलेरी के रूप में किन स्कूलों के अन्दर उपस्थित हुई। राजस्थान सरकार ने जहां बहुत अधिक प्राइमरी स्कूल खोल दिये हैं, मैंने यह आंकड़े पिछले सदन के अन्दर भी पेश किये थे कि प्राइमरी लेवल, सेकण्डरी लेवल और कालेज लेवल पर अखिल भारतीय आंकड़ों के मुकाबले के अन्दर तीनों लेवल्स के ऊपर और टेकनीकल लेवल के ऊपर राजस्थान के विद्यार्थी को सबसे अधिक खर्च करना पड़ता है। कालेज के लेवल के ऊपर प्रति वर्ष जहां ५०० रुपये राजस्थान में विद्यार्थी के खर्च होते हैं....

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की राय है कि जब तक इस पर चर्चा पूरी हो सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ा दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कालेज स्टेज पर जहां ५००) रु० प्रति वर्ष राजस्थान के विद्यार्थी को खर्च करने पड़ते है वहां आल इंडिया के विद्यार्थी को ४००) रु० खर्च करने पड़ते हैं आल इंडिया के एवरेज पर। जहां सेकण्डरी स्टेज पर आल इंडिया में ३५०) रु० खर्च करने पड़ते हैं वहां हमारे यहां ४००) रु० खर्च करने पड़ते हैं। इसके साथ-साथ प्राइमरी स्कूलों से निकल कर जो विद्यार्थी आगे आ जाते हैं उनको आगे एबजार्ब करने के लिए न तो उतनी संख्या में मिडिल स्कूल्स हैं और न मिडिल स्कूल्स से निकलने वाले विद्यार्थियों के लिए उतने हाई स्कूल्स है और न हाई स्कूल पास करके जो विद्यार्थी आगे पढ़ते हैं तो कालेज एज्यूकेशन दिलाने के संस्थान हैं, और राजस्थान की आवश्यकता के मुताबिक जितने टेक्नीकल इन्स्टीट्यूशन्स होने चाहिए उतने नहीं हैं। और न इसके साथ-साथ ही राजस्थान की शिक्षा विभाग का बजट ठीक तरह से वितरित किया गया है।

एक के बाद दूसरी युनिवर्सिटी को जन्म देना राजस्थान ने अपनी नीति समझा है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने दुहाई दी थी कि जोधपुर युनिवर्सिटी को जन्म दे रहे हो लेकिन उसके पूर्व एक पुरानी युनिवर्सिटी को स्टार्व करना पड़ेगा। राजस्थान युनिवर्सिटी की आंते निकाल कर उस युनिवर्सिटी का पालन करना पड़ेगा। सभापति महोदय, स्पष्ट स्थिति आपके सामने है। जोधपुर युनिवर्सिटी के लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स को ६ महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और राजस्थान युनिवर्सिटी का डेफिसिट बजट है और युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से ५० हजार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रुपये प्राप्त करने के बावजूद भी बैलेन्स नहीं बन पा रहा है। सारी युनिवर्सिटीज़ को ले लिया जाय तो उनके मुकाबले में यहां मेन्टीनेन्स का खर्चा कम कर दिया जा रहा है। इस सारे इक्वेशन को बैलेन्स नहीं करने के कारण कानून भर्ती का राजस्थान सरकार निकाल रही है। १६ साल से कोई विद्यार्थी कम उम्र का है तो टेकनिकल कालेज में वह भर्ती नहीं हो सकता। १५ साल से कम उम्र का हो तो हायर सेकन्डरी की परीक्षा में नहीं बैठ सकता। ४० पर्सेन्ट कम नम्बर उसको मिले हैं तो वह कालेज में नहीं जा सकता। यह ईक्वेशन बिगड़ गया इसमें कहीं मुदालियर कमेटी की दुहाई दी, कहीं खेर कमीशन और कहीं युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन का आश्रय लेकर राजस्थान सरकार फिट करना चाहती है। मैं कहूंगा कि यदि आप राजस्थान और भारत के स्टैन्डर्ड को इन्टरनेशनल युनिवर्सिटीज के स्टैन्डर्ड का मिलान करें तो कहां खड़े रहेंगे ? आज मेसाचूसेट और दूसरी जगह जो बातें मैट्रिक में पढ़ाई जाती हैं वे आप एम. एस. सी. में पढ़ाते हैं। आज हमारे यहां विज्ञान और भौतिक विज्ञान की शिक्षा की क्या हालत है ? मेडिकल साइन्स, फारमास्युटिकल, एनोटॉमी, फिजियोलॉजी और दूसरी सारी ह्यूमन साइन्सेज इतनी एडवान्स हो चुकी हैं कि जिनके फंडामेन्टल्स समझने का जो बेकग्राउन्ड चाहिये वह हमारी युनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी एम. एस. सी. के स्टैन्डर्ड पर जाकर पढ़ते हैं, वैसी हालत में भी आप इस समय एज लिमिट करें तो यह अनुचित है। मैंने जब शिक्षा पाई उस समय मुझे याद है कि जो सबसे कम उम्र का विद्यार्थी मैट्रिक पास करता था उसको इनाम देते थे। आज आप उसको एडमिशन नहीं देना चाहते हैं। आप बताईये कि एक १२ साल का लड़का मैट्रिक पास करता है तो आपका उसमें क्या नुकसान है ? मेघनाद शाह के लड़के ने ११ वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया आज वह उसी पद पर अग्रसर हो रहा है जिस पद पर मेघनाद शाह अग्रसर हुए हैं। मेघनाद शाह ने इलेक्ट्रोनिक्स और मेगनेटिक्स पर रिसर्चेज करके भारत को गौरवान्वित किया था आज वही काम उनका लड़का कर रहा है। यदि कोई विद्यार्थी कम उम्र में पढ़ता है तो उसमें क्या हर्ज है ? शिक्षा का सागर अथाह है। कोई कितना ही उसमें तैरे, नहीं पहुंच सकता यदि कोई कम उम्र में अधिक शिक्षा ग्रहण करता है और ज्यादा एडवान्स स्टडी करने की स्टेज पर आता है तो आपको क्या अधिकार है कि उस पर बान लगाओ कि तुम इतने वर्ष में मैट्रिक पास करो ? यह करके आप शिक्षा के विकास को रोकना चाहते हो इसलिये वह ज्यादा क्वान्टम एज्युकेशन का नहीं ले, ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं करले। आप ज्ञान पर सीलिंग लगाना चाहते हैं। यह कौनसी आपकी नीति है कि १७ साल से कम उम्र का विद्यार्थी टैकनिकल एज्युकेशन के लिये नहीं जा सकता ? क्या आपका ब. एस. सी. ही फाइनल है ? बी. एस. सी. इंजीनियरिंग के बाद क्या शिक्षा का स्कोप ही नहीं है। यदि वह विद्यार्थी कम उम्र में शिक्षा ग्रहण करता है तो वह देश की अधिक सेवा कर सकेगा। इसलिये एज पर रोक लगाना अनुचित है, बान नहीं लगाना चाहिये। आपकी एप्रूवड नीति प्राइमरी और सेकन्डरी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एज्युकेशन के ईक्वेशन को बैलेन्स नहीं कर सकती इसलिये आप उनके ऊपर एज लिमिट लगाते हैं।

जब आपकी एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बन रही थी तब लोगों ने कहा था कि वन फेकल्टी युनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिये मल्टी फेकल्टी होनी चाहिये उस समय आपने लोगों की बात नहीं मानी लेकिन बाद में आपने उसको मल्टी फेकल्टी में बदल दिया। आज आपकी तीन युनिवर्सिटीज राजस्थान में है लेकिन उन तीनों के एज्युकेशन स्टैंडर्ड और पैटर्न में कोई तालमेल नहीं है। एक तो क्लास वर्क के अनुसार नम्बर देना चाहती है, एक का कंसेप्शन यह है कि सारे साल में विद्यार्थी जो वर्क या कार्य करता है उसके भी मार्क्स दिये जायें, दूसरी युनिवर्सिटी का कंसेप्शन यह है कि साल भर एज्युकेशन प्राप्त करने के बाद टेस्ट या एग्जामिनेशन के समय वह जो नॉलेज एक्सप्रेस करता है उसी के मार्क्स होने चाहिये। जोधपुर युनिवर्सिटी ने ३० मार्क्स क्लास वर्क के रखे हैं। उनमें से उन विद्यार्थियों को जो नम्बर मिले हैं उनके कारण मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में भर्ती के समय जोधपुर के विद्यार्थियों की मैजोरिटी हो गई। इससे कोई जोधपुर के विद्यार्थी खुश हों ऐसी बात भी नहीं है। वे समझते हैं कि उनको भी विक्टेमाइज किया गया है। जिस विद्यार्थी ने जी हुजूरी की है, ओबिडियेन्स शो किया है उसको अधिक नम्बर दे दिये और दूसरों को नहीं दिया। आप यहां की लॉ कालेज के एडमिशन को देख लीजिये। वहां २ साल के फेल्योर को एडमिशन देना ठीक समझते हैं लेकिन १ साल फैल हुआ उसको एडमिशन नहीं देना चाहते इसके लिये उनके पास कोई दलील नहीं है। राजस्थान युनिवर्सिटी के वाइसचान्सलर ने स्वीकार किया है कि यह बिलकुल गलत चीज है। आपकी युनिवर्सिटी ने यह किया कि युनिवर्सिटी में ८० पर्सेन्ट मार्क्स अंग्रेजी में आयेंगे तो पास होंगे। इसके लिये आपने एक स्थान पर ८० पर्सेन्ट का पैटर्न रखा। कुल मिलाकर सारे शिक्षा के क्षेत्र में आप एक डेफिनेट पॉलिसी को लागू नहीं कर सके। आपकी जो इस तरह की नीति रही उस कारण गड़बड़ी पैदा हुई, प्रेशर क्रिएट हुआ, स्टेन्डर्ड में बाटलनेक हुआ वेरियस स्टेजेज पर जिसके कारण आपने आज लिमिट इम्पोज की है, आइडियोलोजी की दलील देने की कोशिश की है।

मैं अधिक समय न लेकर एक शब्द और कहूंगा। अचानक कांग्रेस बैन्चेन्ज की तरफ से उड़ कर व्हिप का लाल कागज लड्ढा साहब के द्वारा इशु किया हुआ मेरे हाथ में आ गया........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह पेपर आप के हाथ में आ गया, it is not relevant document, It is our internal affair. What you have to do with it ? It is our business.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें उन्होंने कहा है कि इसका विरोध करना है। आदेश जारी हो चुका है कोई कितनी ही दलील की बात कहदे उसका विरोध करना है इसलिये बहुत से माननीय सदस्य इच्छा तो रखते हैं व्हिप का विरोध करने की लेकिन इसके बावजूद भी वे इसका विरोध करेंगे।

अंत में मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्रीजी से नम्र निवेदन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करना चाहूंगा कि कम से कम इस बात का प्रयत्न करें कि युनिवर्सिटीज में भर्ती होने की जो आड़ उन्होंने लगाई है और जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में एक क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसको दूर करेंगे। एक स्थिति और पैदा हुई है जोधपुर युनिवर्सिटी की लॉ कालेज का कोर्स और राजस्थान युनिवर्सिटी की लॉ कालेज का कोर्स सेम टू सेम है। एक विद्यार्थी ने लॉ प्रीवियस एक जगह से पास कर लिया और वह राजस्थान युनिवर्सिटी में प्रवेश चाहता है तो राजस्थान युनिवर्सिटी में उसका प्रवेश नहीं हो सकता जब कि कोर्स सेम टू सेम है। इसके अतिरिक्त और कोई स्थिति भी इस सम्बन्ध में पैदा हो गई है तो कम से कम उनका इक्वीलाइजेशन करने का प्रयत्न करें और कठिनाइयों से विद्यार्थियों को उभारने का प्रयत्न करें। आज शिक्षा के क्षेत्र में पर केपिटा पर स्टूडेन्ट फेसेलिटीज कम होती जा रही है। यहां तक स्थिति हो गई है कि कॉलेज में साइन्स की प्रेक्टिकल क्लासेज चालू हो जाती हैं लेकिन लड़कों को साइन्स के एपेरेटिस प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भले ही नये कॉलेज वे कम स्टार्ट करें लेकिन ऐसी व्यवस्था करें कि पर केपिटा पर स्टूडेन्ट ज्यादा से ज्यादा फेसिलिटी प्राप्त हो सकें। आज आप हायर सेकन्डरी, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल खोल कर सोचते हैं कि आपने काफी फेसिलिटी दे दी है। आज ज्यादा से ज्यादा हाई स्कूल खोल करके, ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोल कर आप भारत सरकार को और जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं कि इतने ज्यादा स्कूल खोल कर आपने शिक्षा की तरक्की की है, मैं समझता हूं यह गौरवान्वित होने का विषय नहीं है और इसको आप शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की न मानें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : सभापति महोदया, मैं समझता हूँ कि सदन में वादविवाद का एक प्रोसीजर है लेकिन उसके बजाय होता यह है कि सदन में विचार रखने हैं तो एक व्यक्ति को समय मिल जाता है जिसने प्रस्ताव रखा है और उसका उत्तर मंत्री महोदय दे देते हैं। इनके अलावा दूसरों को विचार रखने का मौका नहीं मिलता। मैं ट्रेजरी बेंचेज से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पांच मिनट दिये जांय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री, राजस्व) : पांच मिनट।

(श्री निरंजननाथ आचार्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे पांच मिनट बोलने की इजाजत दे दी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पांच मिनट मैं भी बोलूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : आप केवल पांच मिनट बोलेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब पहली घंटी बज जायगी, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इनके पहले मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : सभापति महोदया, सम्माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी है उसका सरकार को इन्डीकेशन देना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा हर स्तर के ऊपर एक कोआर्डिनेशन की कमी है। आज सरकार को जवाब यह देना चाहिए कि आज एक बच्चे को अगर एक्स्ट्रा इन्टेलीजेन्ट मान लिया जाय और जो.... (मिकेनिक के माइक को ठीक ढंग से सेट करने पर) बाबा तू पांच मिनट क्यों लेता है।

और जो १३, १४ वर्ष की उम्र में मेट्रिक पास कर लेता है, हायर सेकन्डरी पास कर लेता है, उसको अगर यूनिवर्सिटी में नहीं लिया जायगा तो वह कहां जायगा? मेट्रिक या हायर सेकन्डरी पास करने की उम्र और निर्धारित उम्र प्राप्त करने के बीच का जो समय रहता है, उस समय में जो शिक्षा के अन्दर गेप रह जाता है उससे क्या सरकार उस बच्चे की इन्टेलीजेन्स को खत्म नहीं करना चाहती यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं?

दूसरा सवाल यह है कि आज यूनिवर्सिटी और बोर्ड के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यह मान्यता आज आपको कर लेनी चाहिए कि आज से पहले जैसे पच्चीस रियासतें थीं उसी तरह आज जितने डिपार्टमेंट हैं, जितनी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, कारपोरेट बाडी हैं या स्टेट्यूटरी बोर्ड का नाम जिनको आपने दिया है वे आज इस बात में लगे हुए हैं कि उनकी सत्ता कैसे दुनियां में रहे— चाहे नाम हो या बदनाम वे अपनी सत्ता दिखाने में लगे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, शिक्षा के क्षेत्र में उम्र के मामले में बोर्ड गलत है या यूनिवर्सिटी जो समझती है वह गलत है। एक बच्चा बोर्ड से हाई स्कूल या हायर सेकन्डरी पास कर लेता है और यूनिवर्सिटी उसे लेती नहीं। क्या इन मामलों में बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपस में बात नहीं कर सकतीं? जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी दोनों के हित में है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इनमें कोऑर्डिनेशन पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं करती ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। आज एज्युकेशन डिपार्टमेंट में जितने बड़े बड़े लोग हैं, डीन्स हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौनसी उम्र में मेट्रिक पास किया था? आज डीन्स और एजूकेशनिस्ट में ८० प्रतिशत ऐसे लोग है जिन्होंने तेरह वर्ष, चौदह वर्ष की उम्र में मेट्रिक पास कर लिया था। उन्होंने तेरह, चौदह वर्ष की उम्र में पास कर लिया था, इसलिए आज इनकी यूनिवर्सिटी और सारे देश में डिमाण्ड है। इस मसले पर सरकार आश्वासन देगी इसलिए मैं इस प्रस्ताव की भावना का समर्थन करता हूँ। लेकिन यह बातें संकल्पों के जरिये तय नहीं हो सकतीं। इसलिए मैं संकल्प का विरोध करूंगा। मैं यह कहूँगा कि सरकार यह एलान करे कि बोर्ड और यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेशन पैदा करने प्रयत्न किया जायगा। वह इस बात को कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। मैं यह बात कहना भी चाहूंगा कि हम यूनिवर्सिटी वगैरह बना कर कोई ठिकाने पैदा नहीं कर रहे हैं। जयपुर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी बना कर जयपुर, जोधपुर उदयपुर की रियासतें पैदा नहीं कर रहे हैं। यह पढ़े-लिखे लोग राजस्थान में भविष्य में रियासतें पैदा कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। मैं आपको मार्क्स वाली बात कहता हूँ आज युनिवर्सिटी में कह दिया कि सत्तर प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए। यह हुक्म निकाल दिया जैसे जोधपुर महाराज ने हुक्म निकाला हो।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आप कहते हैं कि स्टेट्यूटेरी बोडी है। हम कुछ नहीं कह सकते पहले आप हमसे ऐसा कानून पास करवाते है, और हम यह समझ कर कानून पास करते हैं कि वे अपनी कामन सेन्स से काम करेंगे। लेकिन बाद में उनका काम देखते है तो हमें लगता है, हम भस्मासुर को अधिकार दे रहे हैं। आज सत्तर प्रतिशत मार्क्स करने का विद्यार्थियों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। आज यह तो तीस प्रतिशत मार्क्स बढ़ा दिये मैं यह जानना चाहता हूँ सदन से कि यह बच्चों पर अन्याय क्यों हो रहा है ? आप कहते हैं कि यह स्टेट्यूटरी बॉडी है इसलिए होने दीजिये। मैं समझता हूँ यह उचित नहीं है। युनिवर्सिटी या बोर्ड इस तरह की कार्यवाही करे जिससे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाय और आप कहें कि उसको डिस्कस करने के लिए यह यह हाउस कॉम्पीटेन्ट नहीं है। यह ७० पर्सेन्ट की बात है, यह कागजों के अन्दर और अगर भविष्य के अन्दर इसके अन्दर पक्षपात के आधार पर काम न हो तो मैं तीस पर्सेन्ट मार्क्स की बात समझ सकता हूँ और सोच सकता हूँ कि बच्चों के अन्दर डिसीप्लिन रखना है इसलिए तीस पर्सेन्ट वाली बात रखी है। लेकिन आज जो बड़ी-बड़ी जगह पर बैठे हैं, जिनसे लोगों का काम पड़ता है, उनके कहने से, उनके रहम से तीस मार्क्स, अट्ठाईस मार्क्स भविष्य में करवा लिये गये तो क्या इससे नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पनप नहीं सकेगा ? मैं समझता हूं कि इस तरह के रूल्स होने चाहिए कि किसको देने हैं और किसको नहीं। नहीं तो यूनियर्सिटी में जिन बच्चोंको पसन्द किया जायगा, जिन बच्चों की सिफारिश होगी, मिनिस्टर फोन कर सकते है-या नहीं कर सकते हैं। यह दूसरी बात है, लेकिन किसी के फोन पर तीस मार्क्स बढ़ा दिये तो क्या स्थिति होगी ? इसलिए मैं इन दो पॉइन्ट पर जोर देता हूँ मैं इन दो पॉइन्ट पर मैं समझता हूँ कि सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी। लेकिन यह जो संकल्प पेश किय है, इस संकल्प को पेश करने वाले इसे वापिस ले लें, क्योंकि संकल्प से काम नहीं होता है,-केवल बांसुरी बजाने से काम नहीं होता है। सरकार राज्य करती है तो वही इस तरह की कार्यवाही कर सकती है। इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करता हूँ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उपमन्त्री, शिक्षा) : सभापति महोदया, प्रोफेसर केदार ने इस प्रश्न, इस मसले के पीछे जो भावना है, जो सिद्धान्त है-एज एक्सपर्ट, एज एज्यूकेशनिस्ट अच्छी तरह से समझा है और समझा शब्द इसलिए कहा कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो विदेशों की यूनिवर्सिटीज़, जो भारतवर्ष की यूनिवर्सिटीज़, विश्व विद्यालयों में शिक्षा शास्त्रियों की ऐज लिमिट के सम्बंध में जो मान्यतायें हैं-उनको अच्छी तरह अध्ययन किया है और इस अध्ययन के आधार पर ऐज लिमिट का अनुमोदन उन्होंने अपने हृदय से किया। साथ ही इस प्रश्न पर जोर देते हुए यह कहा कि ऐज लिमिट एक्सेप्शन्स के लिए नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, सभापति महोदया, जिन माननीय सदस्यों ने ऐज लिमिट के

Page No. 103

(श्री निरंजनाथ आचार्य)

सम्बन्ध में आपत्तियां की, उन्होंने इस क्षेत्र के अपवादों को सामने रख कर आपत्तियां कीं। हर बार इस प्रकार के उदाहरणों को रखा गया, इस प्रकार के विद्यार्थियों के मामलों को रखा गया जो अपवाद रूप में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े इन्टेलेक्चुअल्स जो जीवन के प्रारम्भ से ही इन्टेलेक्चुअल रहे, उनके केसेज को सामने रख कर इस मसले को एडवोकेट किया। लेकिन प्रोफेसर केदार ने कहा कि अपवाद रूप में नहीं बल्कि इसके अन्दर जनरेलाइजेशन होना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में जोर देना चाहता हूं कि जब ऐज लिमिट का प्रश्न सदन के सामने रखा है तब विदेशों के बहुत से विश्व विद्यालयों के अन्दर जो प्रणाली है, जो मान्यतायें हैं उनको दर गुजर नहीं कर सके और उसके साथ ही साथ भारतवर्ष के अन्दर जो विश्व विद्यालयों की मान्यतायें हैं ऐज लिमिट के सम्बन्ध में साथ ही उनको हम दूर नहीं रख सकते। इन सब यूनिवर्सिटियों के जो विचार ऐज लिमिट के सम्बंध में हैं उन सब का तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह कहना होगा कि जो विदेशी विश्व विद्यालयों ने नीति अपनाई है और जो भारतवर्षके बहुत से विश्व विद्यालयों ने नीति अपनाई है, बहुतसे विश्व विद्यालयों ने नीति अपनाई है, भारतवर्ष की यूनिवर्सिटीज़ ने जिन सिद्धान्तों को अपनाया है, उनको हमें अपनाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि यह नीति क्यों अपनाई गई ? सभापति महोदया, तेरह, चौदह वर्ष की उम्र में एक बच्चा मैट्रिक या हायर सेंकन्डरी पास करके यूनिवर्सिटी में जाता है तो स्कूल और यूनिर्विसटी के कालेजों में हालत और स्थिति समान नहीं है, वहां चौदह पन्द्रह साल का लड़का जाता है और यूनिवर्सिटी में पच्चीस साल के लड़के होते हैं। एक तरफ १४ वर्ष के लड़के और दूसरी तरफ २० साल के लड़के। यह विरोधाभास पैदा करता है। इसके अतिरिक्त Intellectual maturity का प्रश्न भी पैदा होता है और कई प्रकार की विषमताएं पैदा करता है। इन सब के बारे में प्रोफेसर केदारनाथ ने कहा है और यह कहा है कि इस प्रकार का प्रबन्ध हो जिससे यह विषमता पैदा न हो। १४ साल का लड़का कौनसा होगा जो एक्सेप्शनल नहीं है ? आपने कहा कि जो साधारण बुद्धि के लड़के जब अपना एडमिशन लेते हैं तो वे १४,१५ साल की उम्र के होते हैं और वे कालेजों में जाते है तो कई विषमताएं पैदा होती हैं और यूनिवर्सिटी ने यह मान्यता इसलिये दी है कि वे जहां तक मेन्थोर्ड इन्टेलेक्चुअल नहीं हो तब तक लड़का यूनिवर्सिटी में न पहुँचे। इस सिद्धान्त को सामने रखते हुए एज लिमिट का प्रश्न रखा है।

सभापति महोदया, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि यह १५ वर्ष का यदि नहीं होता है तो उस साधारण स्थिति में उसका भविष्य ठीक नहीं होता है। वह एक साल घर में बैठा रहता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १५ साल की age limit पर नहीं पहुंचता है फिर भी उसे एक साल खराब नहीं करना पड़ता है। उसको एक प्रकार से केज्युअल स्टुडेन्ट की तरह से एनरॉल कर दिया जाता है और उसके बाद उसको रेगुलर एकेडेमिक स्टुडेन्ट की तरह से अपना केरीयर बनाने का अवसर मिल सकता है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अब दूसरा सवाल यह है कि यह कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी ने तय किया हो ऐसी बात नहीं है....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : Point of clari-fication...

श्री निरंजननाथ आचार्य : I will clarify at the conclusion of the debate, I and would not like to be disturbed.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अब बच्चों को बुद्धि दी है तो...

श्री निरंजननाथ आचार्य : Clarifications can be sought at the conclusion of the debate. I will beseech the Chair that I should not be interrupted in the debate.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पॉइन्ट आफ आर्डर, सर...

माननीय मंत्री से मेरा यह निवेदन है कि वे एक साथ दो तरह की बातें कहते हैं। एक तरफ तो यह कहते हैं कि विषमता पैदा हो जाती है और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि कोई विषमता पैदा नहीं होती।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is no point of order, Sir. "Blowing hot and cold," it is not a point of order.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of infor mation, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I seek the protection of the Chair. I will not submit to these interruptions.

श्रीमती सभानेत्री : मन्त्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ऑन ए पॉइंट ऑफ इनफोमेशन।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि मैं कन्क्लूजन ऑफ दी डिबेट पर आप कोई भी क्लेरिफिकेशन मांगेगे तो मैं दूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह चाहते हैं कि हमारे स्टुडेन्ट की हैसियत कम्पीटीशन में बैठने की हो। सभापति महोदया, जब विश्वविद्यालय ने तय किया तो यह देखना होगा कि हमारे यहां से स्टुडेन्ट बाहर भी जानेवाले होते हैं। इसलिये यह देखना जरूरी होता है कि वहां पर बाहर की यूनिवर्सिटीज का क्या स्टैन्डर्ड है। इसलिये अगर यहां का स्टेन्डर्ड नहीं बढ़ा हुआ है तो हमको वह स्टैन्डर्ड बढ़ाना आवश्यक होता है। जब सारा विश्व एक हो चुका है तो हमें हर जगह स्टैन्डर्ड को सामने रख कर अपने स्टैन्डर्ड को बनाना पड़ता है। इसी आधार पर यह सिद्धांत हमारी यूनिवर्सिटी ने तय किया है। बाहर विदेशों में आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि १८ साल और १६ साल की उम्र में लड़के फर्स्ट इयर टी० डी० सी० में पहुँचते हैं। यह कोई नई बात नहीं है मैं इस सम्बन्ध में यह अर्ज करता रहा हूं कि इसके पीछे पृष्टभूमि है और इसके पीछे बड़े-बड़े एक्सपर्ट

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

की राय है। यूनिवर्सिटी का डाइरेक्शन है उसको लगाने के लिये। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इन्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड है और उसका यह डिसिजन है जिसको मान्यता देना विश्व विद्यालय के लिये जरूरी है। लेकिन इसके पीछे सिद्धान्त हैं। इन्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने इस प्रकार का निर्णय लिया है ऐसी स्थिति में हमें बाहर की यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में यहां की यूनिवर्सिटी को, सभी युनिवर्सिटीज में यूनिफॉरमिटी लाने के लिये हमें यह नियम कायम करना होगा।

दूसरी बात सभापति महोदया, यह कही गयी........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Point of information....

श्री निरंजननाथ आचार्य : No Sir, I will not submit to these points of information.

श्रीमती सभानेत्री :आपको एक एक प्रश्न पूछना है तो बाद में पूछ लें। बाद में मन्त्री उत्तर दे देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ....कि यूनिवर्सिटीज में एक स्टेन्डर्ड और एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उदयपुर यूनिवर्सिटी में जोधपुर युनिवर्सिटी में, जयपुर युनिवर्सिटी में एक स्टैन्डर्ड और यूनिफॉर्मिटी नहीं है। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की व्यवस्था है और जो वह कमेटी तय करती है उसको उदयपुर युनिवर्सिटी और राजस्थान युनिवर्सिटी ने स्वीकार किया है और उसके निर्णय से जोधपुर विश्वविद्यालय अलग नहीं रह सकता क्योंकि युनिवर्सिटी एक्ट में कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रावधान है। इसलिये यह सिद्धान्त सभी जगह अवश्य लागू होगा यह हमारी मान्यता है।

दूसरी बात यह है कि हायर सेकन्ड्री और प्रियुनिवर्सिटी में यह युनिफर्मिट रहनी चाहिये और इसी लिये युनिवर्सिटी ने ऐसा किया है। जब हायर सेकन्ड्री और प्रियुनिवर्सिटी में युनिफर्मिटी होगी तभी युनिवर्सिटी में युनिफर्मिटी हो सकती है। इसलिये इन तीनों की युनिफर्मिटी होना आवश्यक है।

यह तो मैने एज लिमिट के प्रश्न और बच्चों के साल खराब नहीं हो उस पर अर्ज किया है। इसलिये जहां तक स्टुडेन्टों के साल खराब होने का प्रश्न है, वह पैदा ही नहीं होता है। वे अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं।

इसके अलावा कुछ युनिफर्मिटी हमारे यहां युनिवर्सिटीज में, दूसरी युनिवर्सिटीज के मुकाबले में लाना जरूरी है क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को बाहर जा कर कम्पीटीशन में उतरना पड़ता है और दूसरों का मुकाबला करना पड़ता है। इसलिये हमको यह स्थिति रखनी पड़ती है। इसके पीछे एक्सपर्ट की राय, ओपीनियन है।

इसके अलावा प्रश्न उठाये गये एडमिशन के सम्बन्ध में उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह ठीक है कि इसमें

Page No. 106

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

लड़कों को एडमिशन में कुछ दिक्कत होती है। स्कोलरशिप व बोनाफाइड सर्टिफिकेट आदि लाने के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को तकलीफ होती है। मैंने निवेदन किया कि ऐसी व्यवस्था प्रोविजनली कर दी है जिससे इस प्रकार की एडमिशन में लड़कों को कोई दिक्कत पैदा न हो। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि हमने ऐसे निर्णय लिये हैं जिससे स्टुडेन्टों को एडमिशन में तकलीफ नहीं हो। ऐसा प्रावधान किया है कि पहले उनको एडमिशन प्रोविजनली दे दिया जावे और उसके लिये अवधि मुकर्रर कर दी जावे जिसमें बाकी की शर्तें जो बच रही हो उसे वे उस समय में पूरी करके दे दें। लेकिन इसके आगे भी हमें देखना चाहिये। जहां तक इन्कम टैक्स और मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट लाने का प्रश्न है, उसमें जिस हद तक लीनियेन्सी बरती जानी चाहिये हमने उसके लिए प्रबन्ध किया भी है। कुछ समय पहले जयपुर में स्टुडेन्ट्स के एडमिशन की दिक्कत आई थी तो हमने हमारे यहां हैडमास्टरों को संकेत किया कि वे उन लड़कों को प्रोविजनली एडमिशन दे दें और बाद में लड़कों को जो कन्डीशन फुलफिल करनी हो फिल अप करके दफ्तर में भेज दी जावे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक्सपर्ट ओपीनियन क्या है और आपकी ओपीनियन क्या है ?

श्री निरंजनाथ आचार्य : अपनी ओपीलियन यह तो घर का ही मामला।

दूसरी बात जो कही गई उस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता और न कहने की स्थिति में हूं क्योंकि राज्य सरकार का जहां तक सम्बन्ध है, इसके लिये पहले माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि यह स्टेच्युट बॉडीज हैं और मुझे यह कहना पड़ता है कि यह स्टेच्युटरी बॉडीज है और स्टेच्युटरी बॉडीज में एकेडेमिक प्रश्नों पर, मान्यता आदि देने के सिद्धान्तों पर राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं हो सकता और न कानून में कोई अधिकार है जैसा यूनिवर्सिटीज में आप उचित समझते हैं उसके सम्बन्ध में कोई राय दें।

लेकिन एक बात मानकर चलना पड़ेगा कि हम इस स्थिति में नहीं हैं बच्चों के जीवन को सुधारने के लिये, एज लिमिट आदि के लिये डायरेक्टिव्स दें यूनिवर्सिटी को जिसके पास एक्सपर्ट्स हैं, जो बाहर से एक्सपर्ट्स की ओपिनियन प्राप्त कर सकती हैं। उसके आन्तरिक ऐसे शैक्षणिक मामलों में दस्तंदाजी देना उचित नहीं। यह प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यदि इस प्रस्ताव को पास भी कर लेते हैं तो वह कोई अर्थ नहीं रखता क्योंकि यूनिवर्सिटी को हम अपनी मान्यताओं से बाध्य नहीं कर सकते।

हायर सेकन्डरी बोर्ड के बारे में भी जो एज लिमिट प्रेस्काइब की है आप दोष पाते हैं तो भी यूनिवर्सिटी ने एज लिमिट प्रेस्काइब कर दी है इसलिये बोर्ड के लिये भी यह जरूरी हो जाता है जब तक हायर सेकन्डरी बोर्ड एज लिमिट नहीं रखे तो यूनिवर्सिटी और हायर सेकन्डरी एज्यूकेशन बोर्ड में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता । हम अपने मन्तव्यों से उसे बाध्य नहीं कर सकते ।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है माननीय सदस्य की चिन्ताओं को सामने रखते हुए यही निवेदन करूंगा कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन्स के आधार उनके साथ होना चाहिये । माननीय सदस्य श्री केदार ने जो बातें रखी हैं, इस प्रश्न को विश्वविद्यालय पर ही छोड़ देंगे । माननीय सदस्य श्री बाढ़दार है उन्हें छोटी मोटी चीजों की चिन्ता है, मैं मानता हूँ वे शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री अधिक हैं या नहीं वे कवि हैं ऊंचे दर्जे के काव्य उनकी नस नस से होता है । और इसलिये डर होता है जब वे तथ्य रखने लगते हैं तो हमें चिन्ता होती है कि कवि-व्यथा कल्पनाओं में चली जाती है । वे व्यथा और वेदना लिये हुए हैं । वे वकील हैं लीगल कॉम्प्लीकेशन्स को समझते हैं इसलिये उन्होंने यूनिवर्सिटी का ध्यान आकर्षित करने के लिये ही यह संकल्प रखा है और मेरी मान्यता है कि विश्व विद्यालय तक उनकी चिन्ता-व्यथा पहुँचेगी । मैं विश्वास करता हूँ कि आप उसी उदार भावना से इस संकल्प को पुनः वापिस ले लेंगे ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, जैसा आपने वायदा किया था, आप थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर दें । आपने तो पुराने जमाने की तरह कह दिया जैसे गांवों में खड़े होकर कहते थे, 'लाल बुझक्कड़ बूझिया और न बूझे कोय' यह लाल बुझक्कड़ी अब चलने वाली नहीं है, बुद्धि गम्य करना होगा केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि स्टेट्यूटरी बॉडी है । बुद्धि गम्य कर दीजिये । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यदि आपको एज लिमिट रखनी ही थी तो ऊपर लगानी चाहिये थी या पांचवीं क्लास से रखनी चाहिये थी । जो इरादे लेकर भर्ती हो गया, जिसको आपने भर्ती कर लिया ५ वीं में जब आपने ले लिया और वह आगे आया तो आप उसके साथ अन्याय मत कीजिये । एक्सपर्ट्स ओपिनियन बताइये ।

दूसरी बात यह समझा दीजिये कि आपने कहा कि हम स्टेट्यूटरी बॉडीज के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । हिन्दू यूनिवर्सिटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी उनमें उस समय कम्पिटिशन होने लग गया था, थर्ड क्लास छात्र को भी पास करना शुरू कर दिया । अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देखती थी कि नौकरियों में मुस्लिम ही मुस्लिम आवें और वह देखती थी हमारे हो हमारे आवें । तो उसी तरह ३० पर्सेंट का कर के दूसरी यूनिवर्सिटीज पर चढ़ बैठना चाहते हैं या टेक्निकल आदमी अपने ही अपने भेजना चाहते हैं और यह सरकार बैठी बैठी टुकुर टुकुर देखती ही रहे........

श्री निरंजननाथ आचार्य : Hon. Member cannot speak twice.

श्रीमती सभानेत्री : आप वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : नहीं, मैं....

श्री अब्दुल जब्बार : ऑन ए पॉइन्ट आफ आर्डर, सर मैं रूल २७४ के तहत मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हायर सेकन्डरी और यूनिवर्सिटी के लिये एज लिमिट प्रस्क्राइब किया है तो क्या आल इन्डिया बेसिस पर किया है........

श्रीमती सभानेत्री : This is no point of order.

श्री अब्दुलजब्बार : I have a right and I have asked throug Chair.

श्री गिरधारीलाल व्यास : Ruling has been given by the Chair.

श्रीमती सभानेत्री : आपने पॉइन्ट आफ ऑर्डर प्रस्तुत किया है पर यह पॉइन्ट आघ ऑर्डर नहीं है। श्री दुर्गालाल बाड़दार !

श्री दुर्गालाल बाड़दार : उपमंत्री महोदय ने बताया कि एडमिशन में जो बाधाएं होती हैं उनका निराकरण करने की उन्होंने चेष्टा की और आयन्दा भी करेंगे, उनकी इस प्रकार की सद्भावना का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे कवि हृदय की व्यथाओं और चिन्ताओं को जानने की कोशिश की उसके लिये उन्हें धन्यवाद। साथ ही उन्होंने यह भी मानाकि मेरा कवि हृदय जनता के दुख, व्यथाओं और दर्दों को जानता है

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कवि सम्राट हम पर दया करके छोटा भाषण दीजिये, भूख लगी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लेकिन इसके साथ ही साथ उनके दुःख का भी मुझे बड़ा दुख है। इस बात का दुख है कि वे अपनी मजबूरी की हालत को महसूस करते हैं।....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दया, दया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कि वे युनिवर्सिटी और हायर सेकन्डरी बोर्ड को बाध्य नहीं कर सकते। मैं एक बात चाहता था। उप मंत्री और शिक्षा मंत्री जी से मैं यह नहीं चाहता था कि एक दम इस प्रकार का स्टेप ले लें केवल आश्वासन, विश्वास चाहता हूं कि यदि वे ज्यादा से ज्यादा कानूनी दिक्कत में अपने आपको पाते हैं, कठिनाइयों में पाते हैं तो किसी एक्सपर्ट की ओपीनियन ले कर के विचार करने का संकल्प रखते हैं, इतना आश्वासन मात्र भी देते हैं तो मैं उस सूरत में अपना प्रस्ताव वापिस लेने को तैयार हूं। मैं आपको प्रश्न नहीं पुछवाना चाहता, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता प्रश्न पूछा जायेगा, बैल बजेगी, वोटिंग की नौबत आयेगी, उन तकलीफों में मैं नहीं डालना चाहता। यही मौका है, इस वक्त आपके हाथ में है, जो कर सकते हो इसी वक्त कर सकते हो, जरा हिम्मत रखो। सहानुभूति रख कर यह तो कह दो कि हम आश्वासन देते हैं है कि जांच करायेंगे, कोई कठिनाई आयेगी तो बोर्ड और युनिवर्सिटी को एप्रोच करेंगे। तो मैं विड्ड्रा करता हूं और यदि आप आश्वासन देने को तैयार नहीं तो जो होगा सो होगा। मेजोरिटी से आप ड्राप कर देंगे। मैं समझता हूं कि वोटिंग जरूर होगा। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

[redacted]

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं नौन विश्वास देता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह विश्वास शिक्षा मंत्री की तरफ से आए, नहीं तो....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपको इसमें क्या दिक्कत आती है, आप हमारी भावनाओं को समझें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने विश्वास दिया है कि आपकी भावनाओं को सुदृढ़ता के साथ, मेरी खुद की भावनाएं उसमें मिलाते हुए, बिना कमिटमेंट किए हुए, युनिवर्सिटी तक पहुंचा दूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : शिक्षा मंत्री की ओर से आश्वासन आना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : शिक्षा मंत्री और उपशिक्षा मंत्री एक ही बात है। जिस दृढ़ता से आपने अपनी भावनाओं को यहां रखा है, मैं उनको विश्वविद्यालय तक पहुंचा दूंगा। इससे अधिक सरकार के बस में नही है। अगर होता तो मैं आपको और भी आश्वासन दता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बस मैं विश्वास करता हूं कि यदि इसी रूप में हमारे शिक्षा मंत्री इसमें आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा कल्याण होगा। सबसे बड़ी बात मैं यह मानता हूं। मैं आपको और कोई कष्ट नहीं देना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : तो क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री दुर्गालल बाढ़दार : हां।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने जो संकल्प रखा है, उसको उन्हें वापस लेने की आज्ञा दी जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की कार्यवाही सोमवार १७ अगस्त, १९६४, के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थागित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० १ बजकर ४३ मिनिट पर दिनांक सोमवार, १७ अगस्त, १९६४ के म०पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

[redacted]

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४० का उत्तर देखिये)

PRIMARY HEALTH CENTRES REMAIND WITHOUT DOCTORS FOR MORE THAN ONE YEAR.

District	No. of PHCs Remained Without Doctors.	Name of Primary Health Centres.
Kota	6	1. Bamla.
		2. Kailwara.
		3. Bhamri Kalan.
		4. Pipalda.
		5. Mandawar.
		6. Chabra.
Banswara	1	Ganoda.
Pali	4	1. Nimaj.
		2. Kherwa.
		3. Rohat.
		4. Kharchi.
Ratangarh	2	1. Sankhoo
		2. Parihara.
Nagaur	4	1. Kumkumali.
		2. Riyan.
		3. Nokha Chandawat.
		4. Deh.
Sikar	6	1. Khirod.
		2. Sultana.
		3. Shyamji ki khatu.
		4. Jasarpur.
		5. Kudan.
		6. Bhuhana.

Bhilwara	2	1. Kachole. 2. Phulia kalan.
Jodhpur	2	1. Nachana. 2. Selawas.
Jalore	2	1. Gurmalani. 2. Mandaii.
Dausa	2	1. Maid. 2. Bhandarej.
Tonk	2	1. Jhilai. 2. Mandali.
Alwar	2	1. Narainpur. 2. Majri kalan.
Karauli	2	1. Bhagwatgarh. 2. Machalpur.
Dungarpur	1	1. Damdi.
Ajmer	1	1. Roopangarh.
Udaipur	3	1. Delwara. 2. Sayara. 3. Riched.
Partapgarh	3	1. Bhainsrodgarh. 2. Barwara. 3. kanera.
Total	45	

* शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १४ अगस्त, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१-२			
	शीर्ष	१९६४ का प्रथम दिवस	१९६४ का १२ वां दिवस
४		[संख्या १	[संख्या १०
१२	५	श्री अध्यत्त	श्री अध्यक्ष
१७	३	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
	अन्तिम से	चुड़ावत	चूंडावत
१९	५		
,,	५	,,	,,
,,	३	श्री मोहनलाल सुखाड़ियां	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
	१३ व २०	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२१	शीर्ष	(श्री दोलतराम सारण)	(श्री दौलतराम सारण)
२६	१२	राश्न	प्रश्न
२८	१, ४, ७,	श्री चतुभुज	श्री चतुर्भुज
२९	, १४, २४	,, ,,	,, ,,
३०	८	(निम्हाहेडा)	(निम्बाहेड़ा)
३२	२, २२	मदेरना	मदेरणा
३३	१६	,,	,,
३७	११	श्री चतर्भुज	श्री चतुर्भुज
४५ व ४६	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
४६	अन्तिम से २	वैद्य श्री गोविन्दसहाय	वैद्य श्री गोविन्दसहाय
५०	१६	श्री चतुर्भुज उपाध्याय	श्री चतुर्भुज उपाध्याय
५१	१०	श्री चुर्तुभुज उपाध्याय	,, ,, ,,
५३	१५	लड्ढा :	लड्ढा) :

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५४	१४	(इकलेरा)	(अकलेरा)
५५	१	उप मंत्रीं	उप-मंत्री
५७	१४	श्री मुकटबिहारी लाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
५८	१५	(बैर)	(वैर)
,,	२३	डागी	डांगी
५६	१	श्री अध्यक्ष । :	श्री अध्यक्ष
६०	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
६१ से ६४	,,	तारांकित प्रश्नोत्तर—१४ अगस्त, ६४-तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के -१४ अगस्त ६४- तारांकित प्रश्नोत्तर
६३	शीर्ष	(श्री रामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
६४	३	नसिंग कालेज	नर्सिंग कॉलेज
६५	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर-१४	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
६६	शीर्ष	—	(श्री सिंचाई मंत्री)
,,	५, ६	सालोदिया : (निवाई) :	सालोदिया (निवाई) :
७०	३	श्री जोवसिंह	श्री जोधसिंह
७५	शीर्षक	-१४ अगस्त ६५-	-१४ अगस्त, ६४-
७६	२१	श्री मुर लीधर माथुर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
७७	शीर्ष	(निरंजनाथ आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
८०	शीर्षक	याचिकाओं का उपस्थापन	स्थगन-प्रस्ताव
८१	,,	अशासकीय संकल्प-१४ अगस्त ६४-पर वाद-विवाद	याचिकाओं का उपस्थापन -१४ अगस्त, ६४- अशासकीय संकल्प
८३	अन्तिम	ह ी हूं	रही हूं
८४	१	गोवल	गोयल
१०५	६	(बैर)	(वैर)
१११	शीर्ष	(श्री निरंजननाथ आचार्य)	(श्री रामकिशन)
११२	१७	अग्रवाल	अग्रवाल
१२१	१	चूड़ावत	चूंडावत
,,	अन्तिम से ३, २	(श्री भीमसेन सभापति, पदासीन) (म० पू० १०.४२)	(१०.४२ म० पू०) (श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)
१३८	३	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१४७	शीर्ष	श्री निरजननाथ आचार्य	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
१५०	३	श्री लद्मीकुमारी	श्रीमती लद्मीकुमारी
१५८	अन्तिम से २	सारस्वत लुगायां	सारस्वत : लुगायां
१५६	शीर्षक	छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी -१० अगस्त, ६४- संकल्प पर वाद विवाद	राजस्थानी भाषा में प्रचार –१४ अगस्त, ६४- छात्रों के स्कूल सम्बन्धी
,,	७	श्रीमती लद्मीकुमार	श्रीमती लद्मीकुमारी
	१३	श्री दुर्गालल बाढ़दार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
१६६ व १६२	शीर्षक	सकल्प	संकल्प
१७४	२२	श्री मुकट	श्री मुकुट
१७६ व १८६	शीर्षक	वावविवाद	वाद विवाद
१८१	शीर्ष	श्री अब्दुल जब्बार)	(श्री अब्दुल जब्बार)
१८३ व १८५	,,	(श्री अमरसिंह दूदू)	(श्री अमरसिंह)
२०५	,,	(श्री निरंजनाथ आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
२११	अन्तिम से २	श्री निरंजनाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
२१८	६	श्री दुर्गालल बांढ़दार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार

* नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।